राजस्थान विधान सभा

८ वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक-११ दिसम्बर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में मध्यान्हपूर्व ११-१४ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

शपथ अथवा प्रतिज्ञान

श्री सचिव (विधान सभा)—महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल ।

(शपथ ग्रहण की)

राव श्री हिम्मतसिंह ऑफ अटरू ।

(शपथ ग्रहण की)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ५८

शिक्षा विभाग (ठि० उनियारा) का एकीकरण एवं उस एकीकरण के पश्चात् शिक्षा विभाग के भवनों का जीर्णोद्धार

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क)शिक्षा विभाग, ठिकाना उनियारा का कौनसी तारीख को एकीकरण हुआ ?

(ख) हाई स्कूल व दीगर मिडिल स्कूल्स के भवनों का चार्ज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लिया या पी. डब्ल्यू. डी. ने एवं तब से अब तक उपरोक्त भवनों की मरम्मत कब कब हुई और क्या खर्चा हुआ ?

(ग) अब इन भवनों की क्या हालत है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप-मंत्राणी)—(क) १६ जून सन् १९५४ को।

Page No 2

[श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल]

(ख) इसका चार्ज विभाग ने ले लिया था। सभी भवनों को पी. डब्ल्यू. डी. के अधीन करने की कार्यवाही चल रही है। बहुत आवश्यक मरम्मत तथा थोड़े रुपये की जो होती है वह जनता की सहायता से कर ली जाती है। पूरी मरम्मत पी. डब्ल्यू. डी. निर्माण विभाग के अधिकार में आने के बाद ही की जा सकेगी। बड़ी मरम्मत की स्थिति अभी पैदा नहीं हुई।

(ग) एकीकरण के समय जो हालत थी वही अब भी है।

श्री सरदारसिंह—क्या यह सही है कि वहां के हेडमास्टर ने पी. डब्ल्यू. डी. को लिखा है, उन्होंने यह जवाब दिया कि वह हमारे तहत में नहीं है।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैंने आपको बताया कि कार्यवाही चल रही है। उन्होंने टेक ओवर किया नहीं इसलिए यह जवाब दिया होगा।

श्री सरदारसिंह—मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि तीन वर्ष से अभी तक यह कार्यवाही चल ही रही है और बहुत से स्कूल गिर गये हैं इस बरसात में।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मेरे पास जो सूचना आई है, उसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इनमें जहां मरम्मत की जरूरत थी वह कर ली गई है।

श्री सरदारसिंह—क्या कभी माननीय मंत्राणीजी ने स्कूल का निरीक्षण किया है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यह जरूरी नहीं है कि मन्त्राणीजी निरीक्षण ही करे। वहां कलेक्टर और ओन स्पोट ऑफिसर्स होते हैं वह देखते रहते हैं।

श्री सरदारसिंह—क्या आप उन सब भवनों की स्पेशल जांच करायेंगी कि बहुत से कमरे पड़ भी गए हैं।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैंने आपको बताया कि अभी ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है और आप अगर कोई बताते हैं कि कई कमरे गिर गए तो जांच कर लेंगे।

श्री सरदारसिंह—कितनी प्राइमरी स्कूलें और कितनी मिडिल स्कूलें और कितने हाई स्कूल ठिकाने से चार्ज में लिए गये हैं?

श्री मती कमलाकुमारी बेनीवाल—यह एक अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—दरवाजे तो हैं या नहीं, कमरे तो पड़ गये।

(हंसी)

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५६

भीलवाड़ा महिला कल्याण कार्य-केन्द्र के सदस्य एवं हम्मीरगढ केन्द्र द्वारा व्यय हुई राशि

श्री जगतसिंह झाला —क्या मन्त्री, समाज कल्याण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भीलवाड़ा महिला कल्याण कार्य केन्द्र के कौन कौन सदस्य हैं ?

(ख)क्या यह सच है कि हम्मीरगढ़ में इस कल्याणकारी केन्द्र द्वारा कोई रकम गत वर्षों में खर्च करने के लिए दी गई थी ? यदि हां, तो कितनी ?

(ग) कौन कौन से कार्य यहां पर उक्त काल्याणकारी केन्द्र द्वारा किये गये हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री, समाज कल्याण मन्त्री के स्थान पर)–(१)(क) श्री मती स्नेहलता, (२) श्रीमती नारायणी देवी, (३) श्रीमती कृष्ण देवी सक्सेना, (४) श्रीमती सुशीला माथुर, (५) श्री भंवरलाल भदादा, (६) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, (७) सरपंच ग्रामपंचायत हम्मीरगढ़, (८) डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर, (९) जिलाधीश, भीलवाड़ा।

(ख) समाज कल्याण फन्ड, भीलवाड़ा, हम्मीरगढ़ में गत वर्ष में ८५००) रु० की सहायता दी गई।

(ग) समाज कल्याण केन्द्र के अन्तर्गत महिला एवं बाल कल्याण विषयक प्रवृत्तियां चल रही हैं, जिनमें प्रौढ़ शिक्षा, बालवाड़ी, स्त्रियों को उद्योग की शिक्षा, पूर्व और प्रश्चात् जनन की सलाह, प्राथमिक चिकित्सा, समाज शिक्षा, बाल विनोद आदि सांस्कृतिक कार्यों की प्रवृत्तियों का संचालन किया जाता है।

श्री जगतसिंह झाला—क्या इसमें सदस्य एक ही परिवार के हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सभी एक परिवार के तो नहीं हैं।

श्री भैरूंसिंह—कितने हैं ?

Page No 4

श्री बृजसुन्दर शर्मा—दो हैं।

श्री भैरूंसिंह—एक ही परिवार के दो सदस्य क्यों लिए गये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्योंकि एक महिला आश्रम में एक ही परिवार के दो सदस्य अच्छी तरह से काम कर सकते हैं इसलिए।

श्री भैरूंसिंह—इसका मतलब क्या यह है कि एक ही परिवार के सभी सदस्य हो जावें तो काम अच्छी तरह से हो ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह अपनी अपनी समझ है।

श्री भैरूंसिंह—सरकार क्या चाहती है ? महिला केन्द्र में एक ही परिवार के सभी सदस्य हो जावें ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—एक महिला समाज कल्याण केन्द्र में एक ही फेमिली के कई सदस्य काम करते हैं तो इसमें हर्ज क्या है ?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस महिला समाज कल्याण केन्द्र में कर्मचारियों को काफी समय से वेतन नहीं मिले हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह एक अलग प्रश्न है।

श्री चांदमल मेहता—क्या रुपयों का दुरुपयोग किये जाने के संबन्ध में सरकार के पास कोई शिकायत आई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

श्री जगतसिंह झाला—क्या सरकार को यह मालूम है कि देवीलालजी सरपंच इसमें कार्य नहीं कर रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है। सरपंच हम्मीरगढ़ इसके सदस्य हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या रुपये दिये गये उनके संबन्ध में जांच नहीं हुई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसका समाज बोर्ड से संबन्ध है।

Page No 5

श्री चांदमल मेहता – जो ८०००) रु० देने के बारे में आपने कहा उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जांच होने पर डिटेल्स मालूम होंगे।

श्री भैरूंसिंह – जिस एक परिवार के दो सदस्य हैं वह परिवार कौन सा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह आप जानते हैं।

श्री अर्जुनदास – Other Hon'ble Member would like to know the information. If one of the Hon'ble Member knows others are entitled to know it from you.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—श्रीमती नारायणी देवी वर्मा है।

श्री भैरूंसिंह – क्या यह सही है कि श्रीमती नारायणी देवी वर्मा श्री माणिक्यलालजी वर्मा की धर्मपत्नि हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा – यह सही है।

श्री भैरूंसिंह – क्या इसीलिए एक फेमिली के दो सदस्य लिये गये हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा – इसलिए नहीं। लेकिन महिला आश्रम वही चला रही हैं।

श्री भैरूंसिंह – हमीरगढ़ के रुपये कल्याण केन्द्र के लिए दिये गये थे, क्या वे अभी तक खत्म नहीं हुए ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा – ८२०० रु० की ग्रान्ट दी गई है। महिला आश्रम से २७०० रु० की सहायता दी गई थी।

श्री भैरूंसिंह – ये रुपये खर्च हुए या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा – जी हां, खर्च हुये हैं।

श्री जगतसिंह झाला – श्रीमती नारायणी देवी की क्या क्वालिफिकेशन्स हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा – वे सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं।

Page No 6

श्री भैरूंसिंह – सामाजिक कार्य कर्त्री तो क्या ऐसी क्वालिफिकेशन सरकार ने मानी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा – इसके लिये क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है ? वे हाई स्कूल चलाती हैं तथा और भी काम समाज में करतो हैं और वहां की संयोजिका हैं।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सच है कि वहां की संयोजिका मनोनीत हैं, चुनी हुई नहीं हैं।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—जिसने शुरूआत की है क्या वह मनोनीत माना जाता है। वही संस्था चलाने वाली हैं और उन्होंने उसकी शुरूआत की है।

श्री हिम्मतसिंह—८२०० रुपयों की जो ग्रान्ट दी गई है उसके अलावा क्या और भी कोई सुविधा महिला कल्याण खंड को दी गई है ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—एक खंड को जो सुविधाएं भारत सरकार द्वारा दी जाती हैं वे सब इस खंड को भी दी गई हैं।

श्री हिम्मतसिंह—ये सुविधाएं क्या क्या हैं ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—यह अलग प्रश्न है।

श्री जगतसिंह झाला—श्रीमती स्नेहलता को क्या तनख्वाह मिलती है ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—किसी को कोई तनख्वाह नहीं मिलती है।

प्रश्न संख्या ६०।

राजस्थान में अतिवृष्टि के कारण उन्हालू फसल को क्षति–विशेषतया टोंक जिले में खरीफ फसल को

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में अतिवृष्टि के कारण फसल उन्हालू में कहां कहां कितना नुकसान हुआ ?

(ख) क्या यह सच है कि डिस्ट्रिक्ट टोंक में फसल खरीफ में नुकसान हुआ है ?

(ग) अगर हां, तो किस तहसील में कितना कितना किस आधार से अनुमान लगाया गया है और सरकार द्वारा किस तरह कहां २ और क्या छूट दी गई है ?

श्री सम्पतराम (उप-मंत्री)—(क) फसल उन्हालू में अतिवृष्टि के कारण कहीं से भी हानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(ख) जी हां।

(ग) किस तहसील में कितनी हानि हुई है उसका सही विवरण तो गश्त गिरदावरी पूरी होने के बाद ही दिया जा सकता है, किन्तु तहसीलात से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर यह अनुमान है कि रुपये में छः आने हुई। छूट दिये जाने के सरकार के नियम हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह—फसल कट-कटाकर खलिहानों से आ गई और अब तक गिरदावरी क्या पूरी नहीं हुई ?

श्री सम्पतराम—वैसे तो गिरदावरी हो गई है लेकिन सारी जगहों के इकट्ठा करने के बाद पूरा पता चल सकता है। एक गांव का मेज़रमेंट करने में समय लगता है।

श्री भैंरु सिंह—क्या यह सही है कि कई जिलों से सूचना आई है कि अतिवृष्टि के कारण कोई नुक्सान नहीं हुआ ?

श्री सम्पतराम—यहां सिर्फ टोंक का सवाल है।

श्री कंवरलाल जेलिया—अब तक की सूचना के अनुसार किस डिविजन में उन्हालू फसल को अतिवृष्टि से नुक्सान हुआ है ?

श्री सम्पतराम—उन्हालू फसल को अतिवृष्टि से कोई नुक्सान नहीं होता है।

श्री सरदारसिंह—क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ से सूचना आई है कि वहां पर अतिवृष्टि से नुक्सान हुआ है ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—कौनसी फसल से मतलब है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह—सावूण फसल से मतलब है।

श्री कंवरलाल जेलिया—मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है वह जानकारी से दिया है या समझदारी से दिया है। कोटा डिवीजन के बारे में पिछले समय भी जवाब दिया गया था।

श्री सम्पतराम—मैं अर्ज कर दूं कि अतिवृष्टि के कारण उन्हालू फसल को राजस्थान में कोई नुक्सान होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यदि कोटा में खास तौर से हो गया है तो पता नहीं।

श्री अध्यक्ष—और सियालू फसल का कोई सवाल है नहीं। प्रश्न नहीं पूछा गया है।

Page No 8

श्री सम्पतराम—Kharif only is the only question of our talk and discussion.

श्री जगतसिंह झाला—अतिवृष्टि का असर सियालू फसल पर होता है इसलिये उससे चित्तौड़गढ़ में कितना नुकसान हुआ ?

श्री सम्पतराम—नुकसान हुआ है लेकिन कितना हुआ है इसकी सूचना नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह—मेजरमेंट कैसे होगा गश्त गिरदावरी का ?

श्री सम्पतराम—गश्त गिरदावरी का सारे का मेजरमेंट होगा तब पता चलेगा।

श्री हिम्मतसिंह—मेजरमेंट याड्‌र्स कौन से हैं, यह जानना चाहता हूं ?

श्री सम्पतराम—वह तो रेवेन्यू विभाग का ज्ञान रखने वाले समझ सकते हैं।

श्री अर्जुनदास—Do we understand that the Hon'ble Minister himself does not know all the revenue things.

श्री अध्यक्ष—अंग्रेजी बोल गये आप।

श्री अर्जुनदास—We are interested because the Hon'ble Minister himself does not know all the revenue things.

श्री सम्पतराम—No, not necessarily. But I understand it correctly. Because all the Khasra entries are to be examined at the District level and then what concessions are, they are given. This decision is being taken by the Government at the recommendation of the Collector.

श्री हिम्मतसिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि मेजरमेंट से मतलब आपका अन्दाज से है या क्या है ?

श्री सम्पतराम—अन्दाज से है।

श्री हिम्मतसिंह—आपने मेजरमेन्ट के लिये कहा था इसलिये मैं जानना चाहता था कि कौनसे गज से मेजरमेन्ट निकालते हैं ?

श्री सम्पतराम—मैंने मोटी बुद्धि वालों के समझ के लिए उक्त शब्द का प्रयोग किया है।

Page No 9

श्री हिम्मतसिंह—इसीलिये तो चक्कर में पड़ गये।

प्रश्न संख्या ६१

हनुमानपुर (जिला झुन्झुनू) मिडिल स्कूल को शासकीय आर्थिक सहायता एवं इस स्कूल का आय-व्यय

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) हनुमानपुर, जिला झुंझुनू, मिडिल स्कूल को सरकार की तरफ से कितनी सालाना या माहवार सहायता दी जाती है और उक्त स्कूल का सालाना व माहवार खर्चा कितना है? कृपया उक्त स्कूल के अध्यापकों व कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत करने की कृपा करें?

(२) इस स्कूल का मालिक कौन है? क्या इस स्कूल का प्रबंध करने के लिये कोई ट्रस्ट बना हुआ है? अगर हां, तो ट्रस्टीज के नाम क्या हैं?

(३) क्या सरकार को यह मालूम है कि इस स्कूल के कई एक अध्यापकों को दो दो माह की तनख्वाह नहीं मिली है और अध्यापकों ने पिछले दो वर्षों में इस्तीफा दिया है? अगर हां, तो उनके नाम व इस्तीफे का कारण क्या है? क्या यह भी सच है कि उक्त अध्यापकों की तनख्वाह श्री रेखसिंह ने नहीं दी और इसी कारण से वे इस्तीफा देकर चले गये?

(४) क्या इस स्कूल का हिसाब सरकार की तरफ से आडिट हुआ है?

श्रीमती कमलाकुमारी वेनीवाल (उप मंत्राणी)—(१) ५,२६० रु० सालाना सहायता दी जाती है। सालाना खर्चा ६,७८४ रु० ५ आने ६ पाई है। अध्यापकों व कर्मचारियों की सूची सदस्य महोदयों की जानकारी के लिये सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) यह स्कूल एक प्रबंधकारिणी समिति की देखरेख में चलता है जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं :

१.	श्री रेखसिंह	अध्यक्ष
२.	श्री सरदार हरलालसिंह	सदस्य
३.	श्री सालीगाम	सदस्य
४.	श्री रामनारायण शर्मा	सदस्य
५.	श्री महादेव वर्मा	सदस्य
६.	श्रीमती सुमित्रासिंह	सदस्या
७.	श्री ईश्वरीसिंह	मंत्री

[श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल]

३. तनख्वाह समस्त अध्यापकों को माह अक्टूबर १९५६ तक की मिल चुकी है। पिछले दो वर्षों में त्याग-पत्र देनेवाले अध्यापकों के नामों की सूची त्याग के कारण सहित सदस्य महोदय की जानकारी के लिये सदन की मेज पर रखदी गई है। रेलसिंहजी का वेतन देने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

४. जी हां।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैंरोंसिंह—जिन अध्यापकों ने त्यागपत्र दिये हैं क्या उसका मुख्य कारण यह है कि उनको तनख्वाह नहीं मिली है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जी नहीं, ऐसा एक भी कारण नहीं है।

श्री भैंरोंसिंह—क्या यह सही है कि जिन्होंने त्यागपत्र दिया है उनकी तनख्वाह अभी तक बाकी है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसका जवाब मिल चुका है।

श्री भैंरोंसिंह—जवाब नहीं मिला है।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैंने आपको बताया कि अक्टूबर के महिने की तनख्वाह तमाम अध्यापकों को दी जा चुकी है, किसी की बाकी नहीं है।

श्री भैंरोंसिंह—क्या नवम्बर के महीने की तनख्वाह दी जा चुकी है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मेरे पास सूचना नहीं है। क्योंकि नवम्बर का महीना खत्म ही हुआ है।

श्री भैंरोंसिंह—क्या इस स्कूल का हिसाब सरकार की तरफ से ऑडिट हुआ है ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—इस स्कूल के हिसाब का ऑडिट हुआ है।

श्री भैंरोंसिंह—क्या यह सही है कि जो हिसाब की ऑडिट रिपोर्ट है उसमें तनख्वाह में हुई गड़बड़ियों का उल्लेख किया गया है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह – आप हिसाब की ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कहती हैं कि उसमें इस गड़बड़ी का उल्लेख नहीं है। क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा उस रिपोर्ट के अनुसार वहां पर जाकर जांच की गई है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल – जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह – यह जो सहायता दी जाती है, वह कितने परसन्टेज के अनुसार दी जा रही है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल – शायद ६० परसेन्ट दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह – क्या यह सही है कि ६० परसेन्ट मदद देने के पूर्व जो अधिकारीयों द्वारा जांच की जाती है, वह जांच कर ली गई है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल – ग्रान्ट इन एड हमेशा जांच करके दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ की जो स्कूल की बिल्डिंग है वह, ६० परसेन्ट ग्रान्ट इन एड के लिए जो बिल्डिंग होनी चाहिए, मकानों की संख्या होनी चाहिए, उतनी नहीं है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—अगर ऐसा ऐतराज होता तो ग्रान्ट इन एड नहीं दी जाती।

श्री भैरोंसिंह—क्या इस प्रकार का एतराज उठाया गया था कि बिल्डिंग स्कूल के लिए पर्याप्त है या नहीं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यह आपका अलग प्रश्न होना चाहिए कि बिल्डिंग कितनी बड़ी होनी चाहिए। प्रश्न में जो व्यवस्था के बारे में पूछा था वह बता दिया है।

श्री भैरोंसिंह—ग्रान्ट इन एड देने के वक्त यह देखा जाता है कि भवन इस प्रकार का होना चाहिए, कमरे इस प्रकार के होने चाहिए, अध्यापक इस प्रकार के होने चाहिए, तनख्वाह इस प्रकार की होनी चाहिए। यानि जो रूल्स ग्रान्ट इन एड के लिए होते हैं, उनकी तकमील की गई है या नहीं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैंने बताया कि ग्रान्ट इन एड के रूल्स की तकमील की जाती है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप प्रश्न पूछिये, आपको उसकी जानकारी करके बताया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री लक्ष्मीनारायणजी जोनवाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६३

जागीर पुनर्ग्रहण के पश्चात् तहसीलों में मिले हुए ग्रामों के नम्बरदारों के महनताने की बकाया ।

श्री जगतसिंह झाला—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में जो गांव जागीर रिजम्पशन के बाद किसी तहसील के साथ मिल गये हैं उनमें काम करने वाले नम्बरदारों का महनताना अब तक बकाया है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार कब तक इन नम्बरदारों को महनताना दिलाने के लिये आदेश देगी ?

(ग) चित्तौड़ जिले में कौन कौन सी तहसीलों में इन नम्बरदारों को मिलने वाला महनताना कितना कितना बकाया है तथा उसके कब तक मिल जाने की आशा की जावे ?

श्री सम्पतराम (उप राजस्व मंत्री)—(क) जी हां, किसी २ के बकाया हैं ।

(ख) इस सम्बन्ध में नियम बनाए जा रहे हैं ।

(ग) इसकी सही सूचना नहीं प्राप्त हो सकी ।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि नियम बन चुके हैं ?

श्री सम्पतराम—यह सही नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह—क्या उन नियमों को कबूल करके उनको तहसील में भेज कर जिन नम्बरदारों का रुपया बकाया है, उसको वसूल करने का प्रयत्न सरकार करेगी ?

श्री सम्पतराम – यह बात नहीं है, कायदे कानून के अनुसार ही उनको दिया जायगा । मेरे ख्याल में जो जानकारी इस प्रश्न में मांगी है वह दे दी गई है ।

श्री जगतसिंह झाला – आपने (ग) का उत्तर नहीं दिया ।

श्री सम्पतराम – मैं बता चुका हूं कि इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है ।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सिर्फ चित्तौड़ जिले के बारे में पूछा था और मैं समझता हूँ कि उसमें इतनी बड़ी सूचना की आवश्यकता नहीं थी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उसमें सैकड़ों गांवों से जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, रावराजा श्री सरदारसिंहजी।

प्रश्न संख्या ६४

ग्राम पंचायत चोरू (त० उनियारा) के सरपंच द्वारा शासकीय व जनता की रकम का दुरुपयोग

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत चोरू तहसील उनियारा के सरपंच के खिलाफ सरकार व प्रजा की रकम को जनता के कार्य में नहीं लगाकर अपने खुद के काम में लेने की शिकायत पेश हुई है ?

(ख) अगर हां, तो वह कितनी रकम थी और उसकी जांच करने के लिए कौन कौन से ऑफिसर गये थे ?

(ग) क्या यह सच है कि जो ऑफिसर वहां गये थे वे वहां से कागजात तथा कुछ रकम लेकर आ गये हैं ? यदि हां, तो वह रकम कहां व कितनी जमा की गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(१) जी हां, पूर्व सरपंच के विरुद्ध शिकायत थी।

(२) सरकारी सहायता का १५,००० रु० व जनता द्वारा ४,००० रु० कुल २०,००० रु० खर्च होना था, जिसमें से जांच के समय १८,३२५ रुपये १० आने ९ पाई का हिसाब मिला व ४७२ रुपये आठ आने नकद वसूल कर नई पंचायत के कोष में जमा कराये गये और हिसाब की जांच के लिए लोकल फण्ड ऑडिट विभाग को लिखा गया है। जांच करने निरीक्षक पंचायत जिला टोंक गये थे।

(३) ४७२ रु० ८ आने की रकम वसूल कर नई चुनी हुई पंचायत के कोष में जमा करा दी गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या सरपन्च के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस मामले में जांच की जा रही है। कुछ रुपया जो उसके पास था वह उससे लेकर नई पंचायत के पास जमा करा दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह—जो पैसा उन्होंने अपने काम में ले लिया, उसके बारे में उनको क्या पनिशमेंट देने के लिए सोच रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उसने अपने काम में नहीं लिया। जो रुपया उनके पास था वह उनसे लेकर नई पंचायत को दे दिया गया। वह रुपया ६७३ रु० था।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६५

भूतपूर्व अजमेर व राजस्थान राज्यों की सरकारी व सहायता प्राप्त पाठशालाओं में ली जाने वाली फीसें

श्री जेठमल चौधरी—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भूतपूर्व अजमेर व राजस्थान राज्यों की सरकारी व सहायता प्राप्त पाठशालाओं में विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस की दरें क्या क्या हैं ?

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में भूतपूर्व अजमेर राज्य के विद्यार्थियों को भी भूतपूर्व राजस्थान के समान सुविधा देने की कृपा करेगी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उपमंत्राणी)—(क) फीस आदि की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है सहायता प्राप्त पाठशालाओं की फीस के सम्बन्धमें सरकार सोच रही है।

(ख) प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री जेठमल चौधरी—कब तक निर्णय कर लिया जायगा।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जब भी फाइनल हो जायगा।

प्रश्न संख्या ६६

सन् १९५५ के पश्चात् क्लर्कों द्वारा रिटायरमेंट हेतु प्रार्थना-पत्र एवं उन पर कार्यवाही

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

नागौर जिले में सन् १९५५ के बाद किन किन क्लर्कों ने रिटायरमेंट के लिए आवेदन पत्र कब कब दिये हैं तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सम्पतराम (उप-राजस्व मन्त्री)—(१) सन् १९५५ के बाद अभी तक किसी ने भी कोई आवेदन पत्र पेश नहीं किया।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—यह सूचना किस आधार पर दी जा रही है ?

श्री संपतराम—आधार तो यही है कि जो जानकारी हुई है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो आवेदन पत्र आते हैं उनका रिकार्ड नहीं रखा जाता है ?

श्री संपतराम—यह ऐसी बात नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि भैरोंमल सिंघवी ने आज से चार पांच महीने पहले प्रार्थनपत्र पेश किया था और उसके बाद रिमाइन्डर दिये उसके बावजूद भी प्रार्थनापत्र पर कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री संपतराम—ऐसा कोई प्रार्थनापत्र पेश हुआ हो, यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह साबित होने पर कि उसने प्रार्थनापत्र दिया और उस पर रिमाइन्डर भी दिये, उसके बाद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई एक्शन लिया जायगा ?

श्री संपतराम—अगर यह सही होगा तो अवश्य अनुशासनिक कार्यवाही की जायगी।

Page No 16

प्रश्न संख्या ६७

उनियारा अस्पताल में दाई के रिक्त की स्थान की पूर्ति

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या मन्त्री, चिकित्सा विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि उनियारा अस्पताल में जो दाई (मिडवाइफ) की जगह है उसकी पूर्ति अब तक नहीं की गई है ?

(ख) क्या स्थानीय जनता की मांग इस सम्बन्ध में सरकार के पास पेश हुई है ?

(ग) अगर हां, तो उस पर अब तक क्या कदम उठाये गए हैं ?

(घ) कब तक उपरोक्त रिक्त स्थान की पूर्ति की जाने की आशा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (मन्त्री, चिकित्सा विभाग)—(क) उनियारा डिस्पेन्सरी के बजट में मिडवाइफ या नर्सदाई या दाई की जगह का प्रावधान नहीं है। अतः पूर्ति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(घ) जब तक उक्त प्रावधान सरकार द्वारा स्वीकृत न हो जाय।

प्रश्न संख्या ६८

बोहिड़ा तथा नीकूम (जिला चित्तौड़) की नई माध्यमिक पाठशालाओं में अध्यापकों की उचित व्यवस्था

श्री जगतसिंह झाला—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि नई खुली माध्यमिक पाठशालाओं में पुरानी माध्यमिक पाठशालाओं के मुकाबिले में अध्यापकों की संख्या कम है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या सरकार चित्तौड़ जिले की बोहिड़ा तथा नीकूम माध्यमिक पाठशालाओं में छात्रों की संख्या को देखते हुए अध्यापक बढ़ाने का विचार करेगी ?

[श्री जगतसिंह झाला]

(ग) क्या यह सच है कि बड़ी सादड़ी तहसील के स्कूलों का पे सेन्टर बोहेड़ा है जहां इस कार्य के कारण एक अध्यापक को पढ़ाने का समय कम मिलता है और इससे यह कमी विशेष रूप से महसूस होती है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उपशिक्षा मन्त्राणी)—(क) जी नहीं।

(ख) माध्यमिक शाला नीकूम में अध्यापक पर्याप्त हैं तथा माध्यमिक शाला बोहिड़ा में एक और अध्यापक भेजने की व्यवस्था कर दी गई है।

(ग) सरकार पे सेन्टरों को तोड़कर मनिऑर्डर द्वारा वेतन भेजने का प्रबन्ध कर रही है। इससे वेतन मिलने में सुविधा हो जावेगी और अध्यापकों का समय भी बच जावेगा।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि इस प्रश्न के मिलने के बाद में ऐसी व्यवस्था की गई है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैंने इसकी तलाश की थी कि किस वक्त इसकी व्यवस्था की गई है, पर जानकारी प्राप्त न हो सकी। पर अब तो व्यवस्था हो ही गई है।

प्रश्न संख्या ६९

सहायक कलेक्टर नावा (जि० नागौर) में कुछ क्लर्क्स को तीन माह से वेतन न मिलने का कारण

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

असिस्टेन्ट कलेक्टर नांवा जिला नागौर के कार्यालय में कितने क्लर्क हैं तथा इनमें से ऐसे कौन कौन हैं जिन्हें तीन माह से अधिक समय से वेतन नहीं मिल रहा है और उसके क्या कारण हैं ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (राजस्व मन्त्री की ओर से)—दो क्लर्क हैं। श्री भैरूंमल सिंघी (रीडर) को तीन माह से अधिक समय से वेतन नहीं मिल रहा है। यह लिपिक बहुत लम्बे समय तक अवकाश पर रहा और छुट्टी का केस अभी तक पेन्डिग पड़ा है। दूसरे बिना स्वीकृति प्राप्त किये कार्यालय से गैर हाजिर रहा, उसके कारण सस्पेन्ड हुआ और उसकी भी पूरी जांच अभी बाकी है जब दोनों केस तय हो जावेंगे तब वेतन मिल सकेगा।

Page No 18

श्री चांदमल मेहता—जिसको तनख्वाह नहीं मिली है, उसको कब से नहीं मिली है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—तनख्वाह मेरे ख्याल से पिछले दो साल से नहीं मिली है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार ने इस तरह का कोई आदेश दिया है कि इसे बिल्कुल तनख्वाह न दी जाय और काम लिया जाय ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा-सरकार ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है । पर जिस प्रकार वे काम करते हैं, वह उनकी तनख्वाह के मिलने में बाधक हो जाता है ।

श्री चांदमल मेहता—वह कौन सा काम है जो तनख्वाह मिलने में बाधक हुआ ? कब तक उनकी तनख्वाह बन्द रखी जायगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जब तक वह लिपिक रिज़ाइन नहीं करता ।

श्री चांदमल मेहता—पर कब तक उनको तनख्वाह नहीं दी जायगी और काम करते रहेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(अश्रव्य)तक काफी दिन कार्यालय में नहीं आये । उनके मामले में जांच चल रही है । जब वह पूरी हो जायगी तब तनख्वाह मिल जायगी ।

श्री चांदमल मेहता—क्या उनको अवकाश के समय की तनख्वाह नहीं दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष— There is no bar to the attention of the House being drawn to such delays but then pleading of individual cases is always harmful to the causo of the man. So I will advise the hon'ble members not to go is to individual cases because that will harm those individuals instead of giving any benefit to those individuals. Sometimes our psychology develops when a question is asked about a particular officer on the floor of the House and the man whose cause is pleaded becomes a target of official vindictiveness. So it is always better to avoid pleading of individual cases. Of course the hon'ble memsers are always entitled to draw the attention of the House on gross carelessness and other matters relating to them (individuals).

Question No. 7o, Raj Shri Himmat Singh.

Page No 19

प्रश्न संख्या ७०

कोटा सिटी होस्पिटल में ओक्सीजन सामान का प्रबंध

राज श्री हिम्मतसिंह—Will the Public Health Minister be pleased to state—

(1) Is the Kotah city hospital equipped with oxygen apparatus ?

(2) Is the Government aware that recently a child died for failure to give oxygen as the Cylinder was empty ?

(2) Will the Government please see to it that such incidents do not re-occur in future ?

श्री रामकरण जोशी—(१) जी हां।

(२) ऐसी शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं है। ऑपरेशन के कमरे में दो ओक्सीजन सिलेंडर सदैव तैयार रहते हैं।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राज श्री हिम्मतसिंह—यह इन्फोर्मेशन फिर कैसे आयेगी, लडका मर भी गया और सरकार के पास इस प्रकार की शिकायत नहीं आई है।

श्री रामकरण जोशी—लड़के के पर्टीक्युलर्स बताये जायं।

श्री हिम्मतसिंह–'पर्टीक्युलर्स- का मतलब क्या है, हुलिया ?

श्री रामकरण जोशी–किस तारीख को डेथ हुई, कौन लड़का था इत्यादि।

श्री हिम्मतसिंह—क्या रोज रोज ओक्सीजन काम में आता है !

श्री रामकरण जोशी—जरूरत पड़ने पर काम में आता है।

एक माननीय सदस्य–क्या ओक्सीजन से अधिक मौतें हुई हैं ?

(हंसी)

श्री रामकरण जोशी—ओक्सीजन तो जिन्दगी देता है।

वही माननीय सदस्य–तो इस साल में यह एक केस कैसे हुआ ?

Page No 20

श्री रामकरण जोशी—तो क्या मैं यह समझूं कि माननीय सदस्य को इस प्रश्न के पर्टीक्युलर्स मालूम नहीं हैं।

श्री भैरोसिंह—क्या यह सही है कि ओक्सीजन सिलेंडर्स गत तीन माह से खाली रहे हैं ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७१

श्री एल. जी. जोनवाल।

(अनुपस्थित)

Next, Shri Jeth Mal Chowdhri.

प्रश्न संख्या ७२

केकड़ी (जिला अजमेर) विस्तार सेवा खंड में हुए कार्य को देखते हुये सामुदायिक विकास खंड योजना में परिवर्तन करना

श्री जेठमल चौधरी—क्या सामुदायिक योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) केकड़ी जिला अजमेर विस्तार सेवा खण्ड में क्या २ काम हुआ है ?

(ख) क्या सरकार वहां जो आशातीत कार्य हुआ है उसे दृष्टिगत रखते हुए इसे सामुदायिक विकास योजना खंड में परिवर्तित करने का विचार रखती है ?

(ग) यदि हां, तो कब तक।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड, केकड़ी, में अब तक हुये कार्य का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(ख) जी हां।

(ग) भारत सरकार से केकड़ी क्षेत्र को सामुदायिक विकास खण्ड में बदलने के लिये बहुत आग्रह किया जा चुका है। उन्होंने कार्य को आशा-जनक मानते हुए भी अगले अवसर पर

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

इसे सामुदायिक विकास खंड में बदलने पर विचार करने का आश्वासन दिया है । आशा है इसे शीघ्र ही सामुदायिक विकास खण्ड में बदल दिया जायगा ।

श्री जेठमल—क्या आस-पास के क्षेत्र को भी इसमें लिया जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस विकास खण्ड को लिया जायगा, आस-पास का क्या सवाल है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ७३

चित्तौड़ जिले में भावों को गिराने हेतु सरकार द्वारा क्रय किया गया गेहूं

श्री जगतसिंह झाला—क्या खाद्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) चित्तौड़ जिले में भावों को गिराने के लिये कितना गेहूं सरकार द्वारा मगाया गया तथा यह किस भाव से बेचा गया व इसके कारण नाज के भावों में क्या कमी आई ?

(२) क्या यह सच है कि इस गेहूं के भीगे हुए होने के कारण न केवल जनता को आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि यह स्वास्थ्य के लिये भी हानिकारक सिद्ध हुआ ?

(३) यदि हां, तो सरकार भविष्य के लिये क्या प्रबंध कर रही है ?

श्री रामकरण जोशी—(१) ५०० बोरी गेहूं यहां साढ़े चौदह रुपया मन के भाव से दिया गया जिससे अनाज के भाव में दो रुपया प्रति मन की कमी आई ।

(२) जी नहीं ।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री जगतसिंह झाला—क्या जनता की तरफ से यह शिकायत आई है कि गेहूं भीगा हुआ होने के कारण जनता के स्वास्थ्य को हानि पहुंची है ?

श्री रामकरण जोशी—इस कार्यालय में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ७४

ढाई सौ रुपये मासिक वेतन से कम प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को उनके निवास स्थान के डिवीजन से बाहर भेजने की अवहेलना

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे: क्या सरकार ने यह तय कर लिया है कि २५०) रु० तक के पाने वाले सरकारी कर्मचारियों का उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके निजी निवास स्थान के डिवीजन के बाहर स्थानान्तर न किया जावे ? यदि हां, तो इस आज्ञा की अवहेलना क्यों की जाती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रीमुख्य मन्त्री की ओर से श्री वित्त मन्त्री)— इस विषय में आदेश मार्च सन १९५५ में जारी किये जा चुके हैं कि साधारणतया किसी कर्मचारी का जिसका वेतन २५०) रु० मासिक से कम हो उसका अपने जिले से बाहर स्थानान्तर न किया जावे और यदि स्थानान्तर करना आवश्यक ही हो तो जहां तक सम्भव हो उसको अपने डिवीजन में रखा जावे। तथापि प्रशासकीय कारणों से किसी किसी का स्थानान्तर करना ही पड़ता है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—बहुत से ऐसे क्लर्क हैं जिन्होंने डाक्टरी सर्टिफिकेट पेश किया है कि उनके रिश्तेदार बीमार हैं फिर भी उनका तबादला दूसरे डिवीजन में किया गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा— बहुत से ऐसे प्रशासकीय कारण हैं जैसे किसी की शिकायत हो, या कोई स्थान उनके लायक उस डिवीजन में न हो तो ऐसी दशा में ऐसे तबादले किये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—श्री धर्मपाल।

प्रश्न संख्या ७५

ग्राम आनन्दगढ़ (त० अनोपगढ़) में किसानों को एलॉट किया गया बारानी रकबा

श्री धर्मपाल पंवार—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) तहसील अनोपगढ़ जिला गंगानगर के ग्राम आनन्दगढ़ में कुल बरानी रकबा कितना है और उसमें से कितना रकबा किसानों को अलाट किया गया है और कितना अभी तक बाकी पड़ा है ?

(ग) क्या यह रकबा राजस्थान केनाल से सेरआब होने वाला है ?

(घ) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में कुछ सरकारी कर्मचारियों को छोटे छोटे बच्चों के नाम से भी रकबा अलोट किया गया है ? यदि हां, तो किन किन कर्मचारियों के बच्चों व खुद के नाम से रकबा अलोट किया गया है ?

Page No 23

श्री सम्पतराम (उप मन्त्री)— माननीय अध्यक्ष, इसकी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आ पाई है।

श्री धर्मपाल पंवार—सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष—इतने नजदीक बैठे हैं और कह रहे हैं कि सुना नहीं, यही कह सकते थे कि अब तक क्यों नहीं आई है।

श्री धर्मपाल पंवार—कब तक आ जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—आप नजदीक बैठते हैं, आपके पास जल्दी ही आ जायगी।

(हंसी)

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७६

नामजद सदस्यों वाली पंचायतें एवं उनमें चुनाव

श्री जगतसिंह झाला—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान में ऐसी कितनी पंचायतें है जहां पर सरकार द्वारा नामजद सदस्य हैं और वे कितने अर्से से कार्य कर रहे हैं ?

(ख) इनको नामजद करने का क्या कारण था ?

(ग) क्या सरकार शीघ्र ही इन पंचायतों का चुनाव कराने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) ६ पंचायतों में २८ मनोनीत सदस्य कार्य कर रहे हैं, ६ पंचायतों में माह अक्टूबर १९५६ से एवं तीन पंचायतों में माह जुलाई से।

(ख) निर्वाचन के समय मतदाताओं द्वारा भाग न लेने एवं शान्ति भंग होने की आशंका से निर्वाचन न हो सकने के कारण।

(ग) जी हां। कुछ के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं और शेष के लिये अति शीघ्र आदेश दिये जा रहे हैं।

श्री जगतसिंह झाला—ये ६ पंचायतें कौन कौन सी है, नाम बताने की कृपा करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नाम इस प्रकार है

बाला जिला जैसलमेर

लहरका ,, ,,

बांदासर ,, ,,

लूमयाम.........

खेड़ा

शेरवाड़

आसलिया

सेलान

डिग्गी, टोंक

श्री जगतसिंह झाला—यहां नामजद क्यों किये गये, क्यों चुनाव नहीं हो सके ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने निवेदन किया न कि कुछ पंचायतों में तो लोगों ने निर्वाचन में भाग नहीं लिया, आये ही नहीं लोग, जैसलमेर की पंचायतें हैं उनमें आये नहीं लोग। टोंक की एक पंचायत ऐसी है जहां ब्रीच ऑफ पीस का अन्देशा था इसलिये चुनाव नहीं हो सके।

श्री छीतरलाल—चेतां जिला बूंदी में भी गत तीन साल से नामजद सदस्य चल रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे पास जो लिस्ट है उसमें तो यह नाम नहीं है।

श्री छीतरलाल—इसीलिये तो जानकारी प्राप्त करने के लिये मैं पूछ रहा हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं जानकारी प्राप्त करके जवाब दूंगा, शायद वहां चुनाव हो गये हैं।

श्री छीतरलाल—नहीं, वहां चुनाव नहीं किया गया। दो साल से भी अधिक समय से ८ सदस्य नोमिनेट किये हुये हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री भैरूंसिंह—डिग्गी पंचायत का चुनाव क्यों नहीं हुआ ?

Page No 25

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ब्रीच ऑफ पीस की आशंका की वजह से।

श्री भैरोंसिंह—ब्रीच ऑफ पीस हुआ उस वक्त क्या पुलिस की सहायता ली गई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—क्या सरकार ने दूसरी बार चुनाव कराने की कोशिश की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आदेश जारी कर दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह—क्या जिस वक्त नामजद किये गये थे उस समय सरकार यह समझती थी कि अगर इस समय चुनाव कराये गये तो ब्रीच ऑफ पीस होगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वातावरण शान्तिपूर्ण नहीं था इसलिए तो नोमिनेट किया गया।

श्री भैरोंसिंह— वातावरण शान्तिपूर्ण नहीं था तो क्या पुलिस से भी पूछा गया था कि चुनाव कराने से शान्ति भंग हो जायगी ? और कब तक चुनाव कराने से शान्ति भंग नहीं होगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रिटर्निंग ऑफीसर की रिपोर्ट आई थी कि शान्ति भंग होने की आशंका है यदि चुनाव कराये गये तो।

श्री भैरोंसिंह—चुनाव कराने के दिन रिटर्निंग ऑफीसर ने रिपोर्ट की होगी कि चुनाव कराने से आज शान्ति भंग होने का अन्देशा है, बाद में तो शान्ति हुई होगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रिटर्निंग ऑफीसर इस प्रकार की रिपोर्ट कर दे कि चुनाव नहीं हो सकते, चुनाव कराए गए तो शान्ति भंग होने का अन्देशा है तभी तो नामजद किए जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह—क्या रिटर्निंग ओफीसर की रिपोर्ट पर सरकार ने जांच करना आवश्यक नहीं समझा कि वहां पर बाद में शांति होने पर चुनाव कराए जांय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उस समय शान्ति भंग का अन्देशा था इसीलिए तो काम चलाने के लिए नोमिनेशन किया गया, इसके बाद दुबारा चुनाव के तो आदेश दे दिए गए हैं।

श्री भैरोंसिंह—काम चलाने न चलाने का मेरा प्रश्न नहीं, मेरा प्रश्न यह है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच कराई कि नहीं नोमिनेट करते समय कि वहां अगर चुनाव कराए गए तो शांति भंग होगी ?

श्री वेदपाल त्यागी—क्या इस प्रकार का विधान है कि रूल ५ की तहत में जब तारीख चुनाव की तब्दील की जाती है तो यह भी जरूरी हो जाता है कि दूसरी तारीख निश्चित करें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह दूसरा प्रश्न है, यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री जगतसिंह झाला—शेरवाल पंचायत का चुनाव क्यों नहीं हो सका।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने ज्यादातर नाम बताये वे जैसलमेर के हैं और वहां पर लोग चुनाव के लिए इकट्ठे नहीं हुए।

श्री जगतसिंह झाला—शेरवाल तो उदयपुर में है।

एक माननीय सदस्य—अजमेर में बहुत सी ग्राम पंचायतें इलेक्टेड हैं। चुने हुए नहीं हैं इसके लिए सरकार का क्या विचार है ?

श्री अध्यक्ष—अजमेर की और आफत आ गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अजमेर में चुनाव द्वारा पंचायतें कायम नहीं हुई हैं इसलिए यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

एक माननीय सदस्य—इसके लिए सरकार का क्या विचार है ? वहां नोमिनेटेड पंचायतें रहेंगी या चुनाव करावेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सरकार का विचार शुद्ध है।

श्री भैरोंसिंह—जहां पर शान्त वातावरण नहीं होने के कारण चुनाव नहीं हो सका और फिर दुबारा चुनाव कराए, क्या सरकार ने यह जांच करा ली थी कि वहां पर वातावरण शान्त हो गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह आशा की जा सकती है कि शान्ति का वातावरण पैदा हो गया।

श्री भैरूसिंह—आशा की जाने का प्रश्न नहीं है, जांच कराई या नहीं कि शांति का वातावरण चुनाव के लिए बन गया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह उम्मीद की जाती है कि शान्ति का वातावरण बन गया।

श्री भैरूसिंह—सरकार इस बात की जानकारी करती है या नहीं कि वातावरण शांत बन गया या नहीं ?

Page No 27

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सरकार इस बात की आवश्यकता नहीं महसूस करती।

श्री भैरोंसिंह—फिर सरकार किस तरह समझती है कि शांति हो गई है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने आपको तीन बार कह दिया कि रिटर्निंग ओफिसर की रिपोर्ट पर।

श्री भैरोंसिंह—रिटर्निंग ओफीसर की रिपोर्ट सिर्फ एक दिन के लिए होती है और अगर आप इस सम्बन्ध में किसी भी रिपोर्ट का हवाला करें तो मैं आपके रिपोर्ट और आपके वाक्यों का स्वागत करूंगा।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या यह रिटर्निंग आफिसर के अधिकार की बात है कि वहां पर चुनाव नहीं करा कर नोमिनेशन करें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चुनाव कराने के लिए तो वह जाता ही है।

श्री भैरोंसिंह—यदि अशांति की वजह से रिटर्निंग ओफिसर की रिपोर्ट ऐसी हो और ऐसा सुझाव पेश करे कि नामजदगी की जावे, यह कहां लिखा हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह कानून में लिखा हुआ है।

श्री वेदपाल त्यागी—यह कौन से कानून में है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—.........Members can only return.

श्री भैरोंसिंह—रिटर्निंग ओफिसर को अधिकार है या नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह कौन से कानून में है कि वह नहीं कर सकता।

श्री भैरोंसिंह—यह कानून राजस्थान पंचायत एक्ट में है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह—आप एक्ट को पढ़ कर देख लें।

श्री अर्जुनदास—Does the Hon'ble Minister mean what is not prohibited is allowed by Law ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—This is a question of opinion.

श्री वेदपाल त्यागी—This is no question of opinion.

श्री अध्यक्ष—Ordinarily the Returning Officer is appointed to conduct the elections. He has no business to suggest that such and such be filled by nomination. This is no law of justice and equity.

श्री अर्जुनदास—It is also possible that Returning Officer may have done it as the Government itself.

श्री हिम्मतसिंह—यह रिटर्निंग ओफिसर सामन्तशाही वक्त का होगा।

श्री अध्यक्ष—All the replies are beside the scope of the question. I doubt, whether Returning Officers make such reports to the Government. I have strong doubts. But such light replies should be avoided. The Returning Officer has no right to suggest to the Government about the constituencies.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—The Government can...

श्री अध्यक्ष—One Member please.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—It is between the scope of the Government.

श्री अध्यक्ष—But no right.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—But still the questions are put.

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या ७७

ग्राम पंचायत ढसूक (त० अराई) के सरपंच के खिलाफ शिकायतें एवं तहसील पंचायत अराई द्वारा फायलों की मांग

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ग्राम पंचायत ढसूक (तहसील अराई) उप-जिला किशनगढ़ कब बनी ?

(२) उक्त पंचायत के निर्माण के बाद उसके फैसलों के खिलाफ कितनी अपीलें तहसील पंचायत में पेश हुई और क्या यह सही है कि कितने ही मामलों की फाइलें तहसील पंचायत के मंगाने पर भी उक्त पंचायत ने नहीं भेजी गई ?

[श्री चांदमल मेहता]

(३) तहसील पंचायत अराई ने सरपंच दसक के खिलाफ मिसलें नही भेजने की कब २ शिकायतें पेश कीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(१) दिनांक १. १०. ५२ से पंचायत ने कार्य प्रारम्भ किया।

(२) ६४, ऐसा ज्ञात हुआ है कि पंचायत ने १७ अपीलों में पत्रावली तहसील पंचायत में नही भेजी।

(३) मुख्य पंचायत अधिकारी के कार्यालय में माह जून १९५६ में इस सम्बन्ध में २ पत्र प्राप्त हुए। पचायतों को हिदायत कर दी गई है।

श्री चांदमल मेहता—यह जो अपील होने पर भी तहसील पंचायतों को १७ केसेज़ नहीं भेजे उसमें गए साल के कितने हैं ?

श्री अध्यक्ष—आप फिर महीने-महीने की पूछेंगे कि कौन कौन से महीने की कितनी है ?

श्री चांदमल मेहता—मार्च में शिकायत हुई और चीफ पंचायत अधिकारी ने हुक्म दियां, उस हुक्म के बावजूद भी फायलें नही भेजीं, उसके लिए आपने क्या एक्शन लिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हिदायत के बावजूद भी नहीं भेजीं।

श्री चांदमल मेहता—हिदायत के बावजूद भी नहीं भेजने की शिकायत आने पर आपने पंचायत के खिलाफ क्या एक्शन लिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कार्यवाही की जा रही है।

श्री चान्दमल मेहता—क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—दुबारा हिदायत की गई है कि मिसलें भेजिये और नहीं भेजेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—यह हिदायत कब की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तारीख तो मेरे पास नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार इस तामील नहीं करने वाली पंचायत को भंग कर देगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कायदे की कार्यवाही की जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—आपने १७ अपीलों में फाइलों का नहीं भेजा जाना बताया है, मगर तहसील पंचायत में इससे भी ज्यादा संख्या है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है कि संख्या ज्यादा है।

श्री चांदमल मेहता—तहसील पंचायतों ने कितनी फायलों के लिए कहा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे पास जो सूचना है वह १७ की है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इन्सपेक्टर जो मौके पर जांच करने के लिए गया उसने रिपोर्ट की है कि ६०-८० मामलों की फाइलें अभी तक नहीं भेजी हैं, सही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी इत्तिला मेरे पास नहीं है लेकिन उनको भेजनी चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—हुक्म की तामील नहीं करने में क्या सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कानून में प्रोविजन है उसके अनुसार कार्य किया जावेगा।

श्री हिम्मतसिंह—क्या डी. पी. ओ. के इशारे से ऐसा काम हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७८

ग्राम भोपालगढ़ (त० बिलाड़ा) एवं उसके समीप के ग्रामों में चिकित्सा व्यवस्था का प्रबन्ध

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील बिलाड़े के ग्राम भोपालगढ़ व उसके आस-पास के ग्रामों के निवासियों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा इलाज को किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या सरकार भोपालगढ़ व उसके आसपास के ग्रामों की जनता के लिए शीघ्र ही अस्पताल बनवाने की व्यवस्था करेगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—(क) स्वास्थ्य विभाग द्वारा भोपालगढ़ और उसके आसपास के इलाके के लिए इलाज की व्यवस्था है। इस क्षेत्र में भोपालगढ़, भावीं, हरियाढाना और आसोप गांवों में सरकारी औषधालय हैं।

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में भोपालगढ़ खास में एक एलोपेथी डिस्पेंसरी खोले जाने की योजना है।

श्री सन्तोषसिंह—भोपालगढ़ और हरियाढ़ाना का फासला क्या है ?

श्री रामकरण जोशी—आप ज्यादा जानते हैं मेरे से।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—४० मील का फासला है।

श्री अध्यक्ष—फासला आपके और इनके बीच में है, इससे अन्दाजा लगालें।

श्री रामकरण जोशी—मेरे ख्याल से फासला ज्यादा ही होता है। मगर मैंने अभी जिन चार गांवों के नाम बताये उनमें सरकारी औषधालय हैं।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—एलोपेथिक व डिस्पेन्सरी नहीं है।

श्री रामकरण जोशी - प्रश्न यह नहीं है कि वहां एलोपेथिक औषधालय है या नहीं। प्रश्न यह है कि वहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से व्यवस्था है या नहीं ? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से व्यवस्था है। डिस्पेन्सरीज के बारे में मैंने अपने (ख) के उत्तर में बताया कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में भोपालगढ़ खास में एक एलोपेथिक डिस्पेन्सरी खोले जाने की योजना है।

प्रश्न संख्या ७९

दसूक (त० अराई) के सरपंच के खिलाफ रिश्वत लेने की अनेक शिकायतें एवं उस सम्बन्धी शासकीय कदम

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सच है कि दसूक (तहसील अराई) उप जिला किशनगढ़ के सरपंच के खिलाफ रिश्वत लेने की कितनी ही शिकायतें चीफ पंचायत ऑफीसर के पास पेश हुई ?

(२) यदि हां, तो कितने मामलों में तहसील पंचायत अराई ने रिश्वत की शिकायतों की जांच की और उनमें से कितनों में रिश्वत लेना साबित बतलाया है ?

(३) सरकार द्वारा उक्त मामलों में क्या एक्शन लिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(१) चार मामलों में ।

(२) दो मामलों में ।

(३) विचाराधीन है ।

श्री चांदमल मेहता—यह मामला कहां विचाराधीन है ? जब उनके खिलाफ रिश्वत लेना साबित हो चुका है और इस तरह की जांच हो चुकी है तो फिर यह मामला विचाराधीन क्यों है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मामला गवर्नमेंट में विचाराधीन है ।

श्री चांदमल मेहता—यह मामला किस स्टेज पर है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उनको भी मौका दिया जावेगा । इकतरफा कार्यवाही नहीं होगी ।

श्री चांदमल मेहता—क्या किसी अधिकारी को सरकार ने मुकर्रर किया है कि उनकी बातों को सुनकर फैसला करें

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अधिकारी नहीं, गवर्नमेंट खुद सुनवाई करेगी ।

श्री चांदमल मेहता—क्या गवर्नमेंट की ओर से उनको कोई नोटिस दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अभी कार्यवाही जारी है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या कार्यवाही जारी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नोटिस दिया जा रहा है ।

एक माननीय सदस्य—सरकार उनके खिलाफ जुडिशियल में इन्क्वायरी क्यों नहीं देती ।

श्री चांदमल मेहता—क्या वजह है कि उसके खिलाफ शिकायत आने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई ।

श्री चांदमल मेहता—मैंने खुद ने आपसे शिकायत की है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ८०

श्री एल० डी० जोनवाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८१

सन् १९५१ में जोधपुर के अध्यापकों को जनगणना के कार्य में नियुक्त करने पर भी पारिश्रमिक न मिलना

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या जनगणना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५१ की जनगणना में जोधपुर के जिन अध्यापकों को शिक्षा विभाग द्वारा जन गणना के कार्य में नियुक्त किया गया था उनको काम करने का एक पैसा भी अभी तक क्यों नहीं मिला जब कि दूसरी तमाम जगहों के काम करने वालों को पैसे दे दिये गये हैं ?

(२) क्या सरकार को यह विदित है कि जोधपुर के म्युनिसिपल सेक्रेटरी ने बगैर पैसे दिये ही दिनांक २१-१-५१ को इन उपरोक्त जनगणना में काम करने वाले अध्यापकों से रसीदें पेशगी करवा लीं ।

(३) क्या सरकार इन अध्यापकों को उपरोक्त कार्यों के पैसे दिलवाने की व प्रमाण पत्र देने की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करेगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री सम्पतराम (जन गणना उप-मंत्री)—(१) जिन जिन अध्यापकों ने जन गणना का कार्य किया है उन्हें पैसे दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(२) जी नहीं । रसीदें पेशगी नहीं ली गई ।

(३) व्यवस्था की जा रही है ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—यह व्यवस्था की जा रही है लेकिन सन् १९५१ का मामला है, अब कब तक हो जायेगा ?

श्री सम्पतराम— I Admit Mr. Speaker, Sir, that considerable delay has already been done in the matter. Now immidiate steps will be taken.

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री अमरसिंह डिविजन नं० २ ने विधान सभा की बैठकों से दिनांक ११-१२-५६ से सत्र के समाप्त होने तक अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है ।

[श्री अध्यक्ष]

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्रीमान् राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर संदेश

श्री अध्यक्ष—I have received a message from the Governor which I read out to the Hon'ble members :-

"Raj Bhavan, Jaipur.

Dear Mr. Speaker,

I have received with great satisfaction the expression of thanks by the members of the Assembly for the address I delivered to them on the 4th December, 1956.

Yours sincerely,
(Sd.) Gurmukh Nihal Singh."

(राज्य पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

सरदार श्री हरलालसिंह द्वारा ठीक प्रकार से शपथ न लेने के कारण आपत्ति एवं उस पर वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह—On a point of information, Sir,

अध्यक्ष महोदय, आज हमारी इस सदन की बैठक में एक ऐसे सदस्य ने भी भाग लिया है जिन्होंने अभी तक शपथ ग्रहण नहीं की है और इसलिये मैं चाहूंगा कि उनसे सही रूप में शपथ ग्रहण कराई जाय और फिर उनको सदन में बैठने दिया जावे।

श्री अध्यक्ष—कौन हैं वे ?

श्री भैंरूंसिंह (१६)—श्री हरलालसिंह जी।

श्री अध्यक्ष—वह शपथ ले चुके हैं।

श्री भैरूंसिंह (१६)—उन्होंने शपथ नहीं ली है। कॉन्सटीट्यूशन के अनुसार जिस ढंग से शपथ ली जानी चाहिये थी वह उन्होंने नहीं ली और इसलिये मैं चाहूंगा कि उनको सही रूप में शपथ लेनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आपको तो कुछ न कुछ बखेड़ा ही करने से मतलब है।

श्री भैरूंसिंह (१६)—यह जो 'बखेड़ा' शब्द मेरे लिए कहा जा रहा है, माननीय अध्यक्ष, यह शब्द मेरे लिये बड़ा घातक है। मैं अर्ज करूंगा कि कॉन्स्टीट्युशन में यह व्यवस्था है...

श्री अध्यक्ष—आप जो कुछ कहना चाहते हैं वह लिख कर दे दीजिए।

श्री भैरूंसिंह (१६)—मगर वे तो अभी यहां बैठे हुए हैं और वे सही माने में मेम्बर नहीं हैं। उनके शपथ ग्रहण करने के बाद ही वे इस सदन के मेम्बर हो सकते हैं और जब वे शपथ ले लेंगे उसी समय हम उनका स्वागत करेंगे।

श्री अध्यक्ष—(अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह (१६)—नहीं नहीं, उनको मैंने अभी ही देखा है। Article 188 of the Constitution reads :

"Every member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State, shall, before taking his seat, make and subscribe before the Governor, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule."

और थर्ड शिड्यूल में यह है :

"Form of oath or affirmation to be made by a Member of the Legislature of a State :

I, A. B., having been elected (or nominated) a member of the Legislative Assembly (or Legislative Concil), do swear in the name of God/solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter."

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि उन्होंने अब तक इसके अनुसार शपथ ग्रहण नहीं की है और इसलिए उनको सदन में बैठने की अनुमति न दी जाय।

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Speaker had given a ruling on that day.

श्री भैरोंसिंह (१६)—तो सदन की प्रासीडिंग्ज़ देख ली जायं। जो इस फॉर्म में लिखी हुई बात है, जब तक उनके मुंह से सदन में न कही जाय तब तक वह इस सदन के मेम्बर नहीं कहलाये जा सकते और इस तरह उनको सदन में बैठने की अनुमति न दी जाय।

श्री अध्यक्ष—आप जो कुछ भी कहें लिखकर दे दें।

श्री भैरोंसिंह (१६)—मगर साहब मुसीबत तो यह है कि वह अभी बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—उस वक्त जो स्पीकर थे उन्होंने डिसाइड कर दिया था।

श्री भैरोंसिंह (१६)—उन्होंने जो पहले कहा था उसके कहने में गलतियां रह गई थीं और उन्होंने उस समय मुंह से यह नहीं कहा था कि मैं मंजूर करता हूँ। लेकिन केवल स्पीकर साहब ने कहा कि उन्होंने कहने में गलती की है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मगर साहब उनके रजिस्टर में दस्तखत हैं।

श्री अध्यक्ष—मुझे खेद है कि इस विषय पर अपनी राय जाहिर नहीं कर सकता क्योंकि तत्कालीन अध्यक्ष ने इसको वेध करार दे दिया था और माननीय सदस्य का एतराज था उस वक्त उनके सामने प्रस्तुत हो गया था और उसको ध्यान में रख कर ही उन्होंने मन्तव्य दिया था। यदि माननीय सदस्य को अब तक भी कोई एतराज है तो ३ तारीख से आज तक ८ रोज व्यतीत हो गये और यह आश्चर्य की बात है कि माननीय सदस्य उनको अभी तक दिखाई नहीं दिये। मैं समझता हूं कि आप सदन की कार्यवाही में बाधा न डालें और आज का जो आगे का जो एजेंडा है उसको जारी रहने दें।

श्री भैरोंसिंह (१६)—यह 'बाधा' वगैरह के जो शब्द मेरे लिए प्रयोग किये जा रहे हैं वे मेरे लिए अच्छे नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने शपथ ले ली थी।

श्री भैरूंसिंह (१६)—तो फिर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानूंगा कि वे यहां एक तरह से स्ट्रेंजर हैं।

राज्यथान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) विधेयक, १९५६
(अग्रेतर विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष— Yes, Legislative business,

श्री बृजसुन्दर शर्मा—The Advocate-General will speak on the Disqualification of Members Bill.

श्री अध्यक्ष—Rajasthan Legislative Assembly Members (Removal of Disqualification) Bill ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Yes.

उसके ऊपर एडवोकेट जनरल से सदन ने राय जाननी चाही थी।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल (एडवोकेट जनरल)—माननीय अध्यक्ष मैंने राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली मेम्बर्स (रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन) बिल, १९५६ को पढ़ा और कल जोसदन में वाद-विवाद हुआ था उसको भी पढ़ा। प्रश्न इस सदन के सम्मुख यह है कि सदस्यों को जो वेतन मिलता है उसके कारण क्या कोई आपत्ति उत्पन्न होती है, इस सदन के सदस्य न रहकर क्या कोई डिस्क्वालिफाई हो जाता है। इस सम्बंध में इसी प्रकार के जो अधिनियम पार्लियामेंट द्वारा पारित किये गये हैं मैं उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पार्लियामेंट के द्वारा इस प्रकार के तीन विधेयक पारित किये गये हैं ;

पहला, 'दी पार्लियामेंट प्रिवेन्शन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, १९५० (एक्ट नं० १९ ऑफ १९५०)' जो ११ मार्च, १९५० को पास किया गया। दूसरा इसी नाम का 'दी पार्लियामेन्ट प्रिवेन्शन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, १९५० (एक्ट नं० ६८ ऑफ १९५०)' जो १ नवम्बर, १९५० को पारित किया गया और तीसरा 'दी प्रिवेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट एण्ड पार्ट सी स्टेट लेजिस्लेचर्स एक्ट, १९५३ (एक्ट वन ऑफ १९५४)' जो १ जनवरी, १९५४ को लागू किया गया। ये तीन विधेयक सदन में समय समय पर पास किये गये।

संक्षेप में, इन-तीनों विधेयकों में ऑफिसर्स के बारे में कहा गया है। उन तीनों को मिला कर जितना आवश्यक था उतने ही प्रस्तुत विधेयक में इकठा किया जाकर सदन के सम्मुख उपस्थित किया गया है।

इन तीनों विधेयकों में से पहला जो वियधेक है वह मिनिस्टर्स ऑफ दी स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज़, अन्डर सेक्रेटरीज़ के सम्बन्ध में एक ही क्लॉज़ है। मैं उस विधेयक के शोर्ट टाइटल को सदन के सम्मुख उपस्थित करता हूं।

"Prevention of Disqualification of Membership of Parliament. Office a Minister of State or Deputy Minister or a Parliamentary Secretary or Under Secretary."

दूसरा विधेयक कुछ ऐसे ऑफिसर्स के बारे में कहा गया है जो किसी विशेष स्टेच्युटरी कमीशन से सम्बंध रखते हैं; जैसे Fiscal Commission, FilmEnquiry Committee, Chairmanof

[श्री गुलाबचंद कासलीवाल]

the working party of the Coal Industry, Railway Local Advisory Committee, Chairman or Member of any other Committee appointed by Government of India or the Government of any State held for a period not extending beyond 31st March 1952, Assistant Legal (अश्रव्य) and Enquiry Commission appointed by the Government of Assam or the Government of west Bengal in pursuance of the Agrement made between India and Pakistan, and the Bombay Revenue Tribunal.

इन सभी ऑफिसर्स के बारे कहा गया है।

तीसरा विधेयक है जिसमें मुख्यतया प्रस्तुत विधेयक से सम्बंध रखता है।

"Prevention of Disqualification (Parliament and Part C States Legislatures) Act, 1953."

इसमें भी जो धारायें हैं अर्थात् प्रोवीजन्स हैं वे ही प्रस्तुत विधेयक में दी गई हैं। यह जो विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत है वह एक तरह से इसी तीसरे विधेयक की धाराएं, एक तरह से दूसरे शब्दों में रूपान्तर करके सदन के सम्मुख उपस्थित की गई हैं। अर्थात् प्रस्तुत विधेयक पार्लियामेंट के तीनों अधिनियमों का सम्मिश्रण करते हुए उपयुक्त शब्दों में और उपयुक्त रूप में सदन के सम्मुख उपस्थित किया गया है। अब प्रश्न यह है कि सदन के सदस्यों के वेतन इत्यादि के बारे में इसमें कोई उल्लेख नहीं तो क्या ऐसी हालत में उल्लेख वेतन का न होने की सूरत में उनमें यह एक प्रकार से डिसक्वालिफिकेशन तो पैदा नहीं हो जावेगी। इस सम्बंध में मैं सदन का ध्यान संविधान के अनुच्छेद १९५ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके ये शब्द हैं :

"Members of the Legisletive Assembly and the Legislative Council of a State shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by the Legislature of the State by law and until provision in that respect is so made, salaries and allowances at such rates and upon such conditions as were immeditely before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Legislative Assembly of the corresponding Province."

जब संविधान में स्पष्ट शब्दों में इस सदन के सदस्यों को वेतन दिये जाने का उल्लेख कर दिया गया है तो कोई कारण नहीं सदस्यों को वेतन मिलने पर उनमें किसी तरह डिसक्वालिफिकेशन पैदा हो जावे।

अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में मैं इतना ही सदन के सम्मुख इस संबन्ध में प्रस्तुत कर देना आवश्यक समझता हूँ।

(भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ)

श्री अध्यक्ष—Yes. So I put the question now.

श्री अर्जुनदास—I have moved that the Bill be referred to Select Committee.

श्री अध्यक्ष—Now, reply ?

श्री अर्जुनदास—Unless the Hon'ble Minister wants to suggest something, Sir.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—I was just giving my reply, but the question was raised that the opinion of the Advocate-General should be taken on this point. He is also agreed with me that under Article 195, the Constitution provides certain salaries for the Hon'ble Members, and therefore, as such no disqualification arises by being members of the Assembly for the office of the membership of the Assembly; and as it is not an office of profit it if not necessary that it should be mentioned in this particular Bill. By being a member of the Assembly, a member does not entail any disqualification. Therefore, the position is now quite clear and I hope my friend will be satisfied and will withdraw his motion or it may be voted.

श्री अर्जुनदास—Mr. Speaker, there is no question whether I am personally satisfied or not. The question is, that my suggestion was that we may break for a day or two and meet in a select committee where we can talk directly to each other and come to an understanding about the phraseology and legality of the Bill before this House. I, at least, cannot see any reason why the Hon'ble Member in charge of the Bill is hesitating to accept an offer like this. An acceptance of this offer would make our intention doubly sure in respect of a very serious Bill like this which might concern all of us hereafter. I do not want to take the time of the House. We can give a report on this Bill even by tomorrow and possibly pass it in a day or tomorrow; but let it be gone into thoroughly in and out and let us have the opportunity of talking to each other directly and explaining the position by putting cross questions to each other.

Today we had the pleasure, Sir, of hearing the Advocate-General, but we cannot put cross questions to him. I cannot explain my point of view to him today. That is the difficulty in hearing somebody or discussing a matter with him, and therefore, I suggest, let us discuss the subject, and if the Bill needs any amendment we might make necessary amendments in it. We can submit a report by

[श्री अर्जुनदास]

tomorrow and finish the whole thing tomorrow. There should not be any objection like this.

Personally when I heard the Hon'ble Minister, making a suggestion yesterday, he informed us that the Legal Department had checked up the Bill and as such it should be accepted. Absolutely true, but I do not think, that is the position which should be accepted by this House. Various Bills submitted by the Legal Department are sent to Select Committee. If the suggestion made by the Hon'ble Members would be correct, then no Bill should hereafter be sent to the Select Committee with a view to making it perfectly legal. Even the bills presented by the Minister in charge are always scrutinised by the Legal Department, and then you cannot possibly make any amendments. We also know that various legal Bills or Acts passed by the various Houses, and even by the Parliament, are set aside by the High Courts etc. So let us not be sure because the Legal Department has checked up there fore it must be true, must be correct in all aspects. Let us not have any inferiority complex that our Hon'ble Ministers should not accept suggestions because they come from opposition, let us not feel shy of suggestions from the Opposition also. let us have a law perfectly clear and beyond any ambiguity.

The Hon'ble Minister also suggested yesterday that he has reproduced the Bill as it stood before. The same provisions of the previous Act have been incorporated into this Bill and it has been brought forward before this House. My humble suggestion is that this is the very reason which induces me to request the Hon'ble Minister to accept my suggestion, because the legal position before today was different from what it is today. The old bills and old Acts were enacted in different circumstances. Now the legal position has changed and that is why, that is the reason weighing with me, because of the changed legal position we should be so sure of what we enact, my suggestion is that we should consider one more aspect which we have failed to consider so far and that is that the legal position till today was that all the legislative Assemblies and the Parliament used to be dissolved before fresh elections were notified. At the time of nominations the Hon'ble Minister of this House ceased to be a member of the House; he ceased to be a member holding an office ofprofit. To day different position has been created under the States Reorganisation Act itself, and by that Act we continue to be members till after the fresh elections and till the next session of the elected Assembly is summoned. So on the day we submit our nomination papers hereafter we shallt be members of this House and we shall members of this House if a new position altogether comes. There

[श्री अर्जुनदास]

after, my submission, is that we shall be holding an office of profit on the day we submit our nominations or on the day of the scrutiny. Even on the day of the elections we shall be holding an office of profit, which cannot be denied. We will continue to get profit because we will be getting Rs. 20/- whether we sleep in the House or do something. Under this S.R. Act we have been appointed by the Government of India directly. I, for one, was never elected as member of the Rajasthan Legislative Assembly. I was elected by the voters as a member of the Assembly of Ajmer; but because of this S.R. Act, because of the provisions of this S.R. Act, I happen to be a member of this Legislative Assembly in Rajasthan. It cannot be said that I have been elected by voters in Rajasthan. I was elected for Ajmer. Therefore the position is certainly doubtful, and according to me it is absolutely clear that we are disqualified. That is not clear to anybody, at least it is doubtful and if it is doubtful why not make it clear ? Why not make a provision in the Bill that the sitting members shall not be disqualified; we shall be eligible for election. For aught I know there are a number of returning officers and any one can take a view on his own, because we all know two judges seldom agree on a point of law; here it is not the question of two judges, but a number of returning officers who will not consult each other but will pass different judgments. We also know that the debate on the floor of this House shall not be used by them. It cannot be used for the propose of guidance. So let us be doubly sure; we must not incur any risk. We do not lose anything by making a provision in this Bill, as we have done in respect of Ministers and Deputy Ministers, we should also provide for Members of this House. If we add only three words...

श्री बृजसुन्दर शर्मा—On a point of information, Sir, these things he has already spoken and it is a repitition of the same things, because he is not putting forward his motion, and he has made a speech at the time of putting his motion. So the same arguments are being repeated and it will be a waste of time of the House.

श्री अर्जुनदास—Unfortunately for me the Hon'ble Minister-in-charge or the Advocate-General did not make any reply to what I suggested. They only read away their own things. They did not make any reply. If they failed to understand what I said yesterday it is really my bounden duty to repeat it; to make a revised effort to understand each other. Therefore, I was submitting, let us appoint a Select Committee and give two days time for a report after there are discussions between ourselves. At least it cannot be said that the matter is beyond any doubt, and if there is any doubt, least doubt, why not remove that doubt by sending the Bill to the Select Committee.

[श्री अर्जुनदास]

Then I would remark that yesterday I had submitted that in such clause (a) of clause 3 of the Bill, it is suggested : "the office of a Minister of State or Deputy Minister". The word 'State' is defined in clause 2. In clause 2, the definition of the word 'State' is given. 'State' means the new state of Rajasthan," and if we read the two together, clauses 2 and 3 together, clause 3 only concerns office of a Minister of State cf Rajasthan or Deputy Minister and according to me this cannot possibly be remedied whether this gives any meaning or any other possible meaning. So a provision like this in this Bill is rather redundant and unnecessary, because in the Constitution there is a definite provision in Article 191, clause (2). I am reading clause (2) of the Article 191, Sir,:—

"For the purposes of this Article, a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the first Schedule by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State."

An identical provision has also been made in Article 102 of the Constitution. So in clause (2) of Article 102 :

"For the purposes of this Article a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State."

When a clear provision has been made in the Constitution of India in this regard, in Articles 102 and 191, why repeat that provision in this Bill ?

There must be some method wherever we make a law. We may mak mistakes, but let there be some method in the mistakes.

Then I would submit that the provision of sub-clause (c) of clause 3 of the Bill is absolutely unnecessary, because we get a provision like sub-clause (e) in the Bill under clause 3 which is an all-covering provision. Why have a separate provision for sub-clause (c) ? If we do away with sub-clause (c) and keep sub-clause (e) only the position will be the same. When it is unnecessary, why keep it there ? Therefore, my submission is, let this Bill be sent to the Select Committee with instructions to submit a report by this evening or bytomorrow so that our hearts be cleared and our brains also should understand what we are out

[श्री अर्जुनदास]

to legislate so that there may be absolutely no doubt and if the Hon'ble Minister does not accept the suggestion, I will only feel that he is not prepared to take any suggestion from the Opposition, Sir.

श्री अध्यक्ष—Will the Advocate-General say something after having heard the Hon'ble Member ?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल (एडवोकेट जनरल)—Mr. Speaker, Sir, I have very carefully listened the speech of the Hon'ble Member. The Hon'ble Member has raised two points. He has cited Article 191 of the Constitution, he has referred to clause (2) of that Article but he has failed to take note of clause (1). clause (1) (a) is "if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder." So disqualification is attached to an office of profit, under the Government of India or the Government of a State. I would humbly submit that the membership of this House is not an office of profit under the Government of India or the Government of any State. The Government of the State has absolutely no control over this House or over any person holding the office of such member. This cannot under any stretch of imagination be deemed to be an office of profit under the Government of this State or the Government of India.

Therefore, being a member of this House cannot in any manner be termed as holding an office of profit as stated in clause (1) of Article 191.

The other point the Hon'ble Member has referred to is regarding the drafting of the Bill, particular attention being paid to sub-clauses (c) & (e). (c) and The Hon'ble Member is of the opinion that where sub-clause (c) exists, it is not necessary to make special provisions in sub-clause (c). In sub-clause (c) the purpose enumerated in it is the collection of statistics or some matters of public importance or enquiry into certain matters. Where these three particular matters have been enumerated in sub-clause (c) it would be of no use to have provision when generally made in sub-clause (e). Regarding Chairman of the Committee it was stated that there is no mention in it. I would humbly submit, sir, that certain specification is made and a general provision is made, a general provision which followed one after the other is proved to be interpretated what have been stated earlier. No doubt, that's why I would say that there are two seperate clause-one residuary clause has been made and that stands for sub-clause (e).

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

The other point the Hon'ble Member has referred by saying "Minister of State or Deputy Minister." I would submit, Sir, that "the Minister of State or the Deputy Minister" the word "Minister of State" and phrasology is not above...... (inaudible) The Minister of State is a Minister, but not a member of the cabinet, and such Ministers are usually called Ministers for States. This is by nomenclature and specifically been mentioned in Article 191 of the Constitution. There is a difference between a Minister of State and a Minister of the State. The words "Minister of the State" has particular significance and the meaning is "Minister" for a particular State and that clearification made in sub-clause(a) is not within the scope of it. Therefore, the use of phrasology in this particular sub-clause (a), "the Minister of State" has definite meaning which is the Minister but not holding a cabinet rank.

I would like to add and would draw the attention of the Hon'ble Members regarding Parliamentary Secretaries and Parliamentry Under-Secretaries. This is making a provision for future. It is not necessary, but whenever the Government think that a Parliamentary Secretary or a Parliamentary Under-Secretary may be appointed to draw, introduce bills or amending the existing laws, it can. With a view to make provision for future, (a) and (b) has been provided; although no such posts exist. This is the reply to the points raised by the Hon'ble Member.

श्री श्रीमानसिंह—May I seek your permission, Sir, to clearify two points by the Advodate General.

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री श्रीमानसिंह—What is the meaning of 'Office of profit'? Secondly, in the Constitution is there any provision that the Assembly will be desolved early......

श्री अध्यक्ष—Where is it ?

श्री श्रीमानसिंह—......before the general election ?

श्री अध्यक्ष—I would like you to refer the Article.

श्री श्रीमानसिंह—I don't know; Sir. The Minister continued corresponding general election. Will it affect the position of the M.L.As'.?

Page No 45

श्री अध्यक्ष— Only this point the hon'ble member wants to clarify.

श्री अर्जुनदास–Mr. Speaker, Sir, I would like Advocate General to clearify it whether "the Minister of State" is defined anywhere ?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—No. This is colloquial word "Minister of State". A Minister may hold cabinet rank still may not sit in the cabinet. This is particularly followed over a century in the Parliament of England.

श्री अर्जुनदास—Law does not recognise such thing. The "State" is defined here. Naturally the Minister of State is Minister for Rajasthan. Unless you give definition of Minister of State, it won't be clear. Please say, what you actually mean ?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल – Mr. Speaker, Sir, I cannot say more than that. The word "The Minister of State" or phrase has particular meaning assigned to by just over century or so in the Parliament of England and that has been taken or accepted by all such countries where such parliamentry procedure exists. That is, the Minister of State is deemed to be a Minister similar to the rank, but has no seat in the cabinet. That is all I can say and nothing more.

The point which another Hon'ble Member has raised is about the existence of Assembly before the General election. I would simply say that the constitution makes provision that the Assembly will last for five years from the date it holds its first session. The Rajasthan Assembly hold its first sitting from.....

श्री अध्यक्ष—From 29th March, 1952.

श्री अर्जुनदास—That Assembly has gone, Sir, and it is no more in existence, we have different assembly altogether.

श्री अध्यक्ष— Does the hon'ble member mean to say that the Hon'ble Members would sit for five years from 1st November, 1956 ?

(हंसी)

श्री अर्जुनदास—I think, we are likely to continue till the next session of the Assembly is summoned.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—I was referring this and I have simply given my opinion that there is a provision in the Constitution which says five years from the date it started its first session.

श्री अर्जनदास—I would certainly say, Sir, that this topic takes very serious things to be decided and why should we not break for some time and have a discussion before we come up and pass the law here. I have to put various points. We submit our report. Let us have a break for some time so that we would be able to discuss certain points together to clear the matter.

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—Doubt after doubts will arrise. They did not require any amendments.

श्री अध्यक्ष— I think we are landing ourselves too much in technicalities. As regards the point raised by the Hon'ble Member about the life of the Assembly I am quite clear that the life is five years from the 29th of March, 1952, and my view is being supported by the S.R. Act, Section 13 which says that the period of 5 years referred to in clause so and so in the case of Legislative Assembly of each new State except the Kerala as constituted by the provisions of Section 28 be deemed to have commenced on the date on which it actually commences in the case of Legislative Assembly of the corresponding State.

And the corresponding State is Rajasthan which started its life on the 29th March, 1952, and since then it will go for five years.

I think the debate is over and the Hon'ble Members who have had the desire to hear the Advocate General, have had the satisfaction of hearing him. Now I should proceed with the Business unless the Minister-in-charge wants to say something over this.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—I have already made my submission on the point.

श्री अध्यक्ष—Allright. So the motion to refer the Bill to the Select Committee, putin by Shri Arjan Das, is put to vote.

The question is that Rajasthan Legislative Assembly Members Removal of Disqualification Bill, 1956, be referred to a Select Committee.

(मत-दान के पश्चात्)

"ना" पक्ष जीता ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—बोली इधर की ज्यादा है ।

श्री अध्यक्ष—But there is multiplicity of voices.

श्री संतोषसिंह कछवाहा—इधर ज्यादा है ।

श्री अध्यक्ष—फिर पूछता हूं ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली मेम्बर्स रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बिल, १९५६ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली मेम्बर्स रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक को विचारार्थ लिया जाता है ।

(विराम)

खण्ड २ व ३

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड २ और ३ विधेयक के अंगभूत स्वीकार किये गये ।

(विराम)

खण्ड ४ के बजाय एक संशोधन इस धारा में श्री बृजसुन्दर शर्मा प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं, इसमें, माननीय अध्यक्ष, यह संशोधन करता हूं कि मौजूद क्लॉज़ के बदले यह पढ़ा जावे :

"The Rajasthan Legislative Assembly Members (Removal of Disqualification) Ordinance, 1956 (Ordinance No. 10 of 1956) be repealed."

श्री अध्यक्ष—Instead of clause 4 this clause should be substituted.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Instead of clause 4 simply this will suffice---

"The Rajasthan Legislative Assembly Members (Removal of Disqualification) Ordinance, 1956 (Ordinance No. 10 of 1956) be repealed."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ४ को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधित खंड ४ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड (१), शीर्षक और भूमिका भाग विधेयक के अंग बनें!

(स्वीकृत)

खंड (१), शीर्षक और भूमिका भाग विधेयक के अंग बने।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अर्जुनदास—On a point of information, Sir, in clause 2 we have got a sub-clause (2) in this Bill which is this: 'The provisions of the Rajasthan General Clauses Act, 1956...' I am informed by some of the Hon'ble Members here that this Act was passed in 1955 and not in 1956. We should correct it as '1955' and not 1956. Of course, I am not sure about the position, but I am being told this. Is it an Act of 1955 or 1956?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल (एडवोकेट जनरल)—The Hon'ble Member is correct. The bill numbers No. 8 of 1955. It may be verified by the Secretariat.

श्री अर्जुनदास—इसीलिए कहा था कि सिलेक्ट कमेटी को भेजो।

श्री अध्यक्ष—I think 1956 is correct because, the assent was obtained in 1956, though the bill was passed in 1955. I will be informing the House later on.

श्री अर्जुनदास—What will be the Act number 8 of 1955 if this is something else ? What is the Act No. 8 of 1955 ?

श्री अध्यक्ष— (After seeing papers) The Hon'ble Member is correctb. This bill received the assent of the President of India on the 25th day of August, 1955 and the Bill, rather Act, is an Act No. 8 of 1955. It is only a printing error

श्री अर्जुनदास—फिर कहियेगा कि लीगल (लॉ) डिपार्टमेंट ने देख लिया है।

श्री अध्यक्ष—(श्री ब्रजसुन्दर शर्मा से) आपके यहां से १९५६ छप कर आया है।

श्री अर्जुनदास—We have already passed Clause 2.

श्री अध्यक्ष—These are the errors which can be corrected by me. I think I have that power on behalf of the House, or, if the Hon'ble members like a motion can e put ? But I think I have got that power, and the Hon'ble Members will not object if I correct such clerical errors.

श्री अर्जुनदास—Certainly not, Sir.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली मेम्बर्स (रिमूवल ओफ डिस्क्वालिफिकेशन) बिल, १९५६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान कृषि भू-धारण (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५६

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान टिनेन्सी (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान टिनेन्सी (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५६ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो २४ घंटों के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे।

[श्री चांदमल मेहता]

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट १५ अक्टूबर, १६५५ से लागू किया गया। उस एक्ट की धारा १५ के अन्तर्गत यह अधिकार दिया गया है कि यह एक्ट जिस तारीख से लागू होगा उस तारीख को जो सब-टिनेन्ट्स नहीं हैं या जो खुदकाश्त टिनेन्ट्स नहीं हैं उनके अलावा और धारा १६ में जिनकी चर्चा की गई है उनको छोड़कर अन्य सब किसानों को खातेदारी टिनेन्ट्स के अधिकार मिल जायेंगे। लेकिन जो बिल अब सदन के सामने आया है और मूल एक्ट की धारा १५ में जो संशोधन किया जा रहा है उसका नतीजा यह होगा कि पहले उक्त टिनेन्सी एक्ट में जो अधिकार धारा १५ में खातेदार खातेदारी के टिनेन्ट्स को दिये गये हैं वे इसके जरिये एक माने में समाप्त हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष, इस नये बिल में धारा १५ में जो संशोधन किया गया है उसका मतलब यह होता है कि जो भी टिनेन्ट्स, यह एक्ट लागू होने के वक्त, जो किसान जमीन पर काबिज थे, जो चाहे ग्रो मोर फूड कैम्पेन के अन्तर्गत जमीन दी गई है, चाहे स्पेशल ऑर्डर के अन्तर्गत, चाहे विशेष शर्तों से, चाहे विशेष कानून के अन्तर्गत या और किसी ढंग से जमीन दी गई है उन सब के लिए व्यवस्था की गई है कि यदि उन्होंने उन शर्तों को नहीं तोड़ा है और यदि उनको ग्रो मोर फूड के लिए दी गई है और पाबन्दी नहीं की है तो भी कोई राज नहीं होगा, तीन वर्ष के अन्दर खातेदारी राइट्स प्राप्त करने के लिए वह दरख्वास्त करे।

राजस्थान कई छोटी छोटी रियासतों से बना है। उन रियासतों में अलग अलग कानून थे और कुछ रियासतों में कानून नहीं भी थे। लेकिन जिन रियासतों में कानून थे उनमें जिस तरह की धारायें उन राज्यों ने बनाई उनसे भी हम बाहर जा रहे हैं। जयपुर में टिनेन्सी एक्ट था। मारवाड़ में भी टिनेन्सी एक्ट था। उस समय यह व्यवस्था थी कि जो किसान जमीन पर काबिज होगा उसको खातेदारी टिनेन्ट्स के अधिकार होंगे। राजस्थान सरकार अपने आपको प्रगतिशील कानून बनाने वाली समझती है और मैं मानता हूँ कि प्रगतिशील कानून उसने बनाये हैं। लेकिन जब टिनेन्सी एक्ट पास किया गया और उसमें इस तरह की धारा दी गई जो पहले वाले रियासतों के कानून में थीं और दूसरे प्रान्तों जैसे यू. पी., बिहार आदि प्रान्तों के टिनेन्सी एक्ट्स में थीं उसी तरह की धारा इस एक्ट में भी रखी गई। लेकिन अब यहां पर जो संशोधन लाया गया है उसका मतलब यह होगा कि पहले के एक्ट की धारा १५ में जिनको खातेदारी अधिकार दिये गये थे वे उनसे छीन लिए जायेंगे। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि खातेदारी राइट्स प्राप्त करने के लिये किसानों को आवेदन पत्र देने होंगे। दो चार महीने उनके फैसले होने में लगेंगे और फिर खातेदारी अधिकार मिलेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्था की गई है वह स्पेशल ऑर्डर से की गई है या निश्चित समय के लिये कोई जमीन दी गई है या जिन रियासतों में पहले कोई कानून नहीं था, खासकर किशनगढ़ रियासत में ऐसा कोई कानून नहीं था वहां पर किसानों को जो जमीन दी जाती थी उसके लिये सावूणू काश्त की जमीन के लिए बोली बोली जाती थी और उनालू की जमीन लटाई की शर्तों पर दी जाती थी। इसी तरह से वहां पर काश्त के लिए जमीन दी जाती रही। लेकिन ज्यों ही टिनेन्सी एक्ट पास

[श्री चांदमल मेहता]

हुआ त्योंही किसानों को अधिकार मिला कि वे अपने काश्त की जमीन अपने पास रखें। लेकिन अब यदि इस तरह का संशोधन पास होता है तो जिन किसानों को ठेके पर दो साल के लिए जमीन दी गई थी और उनका समय खत्म होता है तो खुदकाश्त ऑफ टिनेन्ट्स के ऑर्डर से तो कब्जा रहा लेकिन जो स्पेशल ऑर्डर से दिया गया था वह खत्म हो गया और उस दृष्टि से जो किसान काबिज हैं वे दुबारा खातेदारी के अधिकारों के लिये आवेदन पत्र दें। तो यह निश्चित है कि वह अवधि समाप्त हो गई और उनको खातेदारी अधिकार न दिये जावें, यह मौका आ सकता है, उस समय बड़ी कठिनाई आयेगी। इसलिये धारा १५ में जो संशोधन लाया गया है वह हमको पीछे ले जाने वाला है, जब कि हम अपने आपको प्रगतिशील मानते हैं। अभी तो हालत यह है कि जो किसान काश्त करता है वह उसका मालिक है और फिर यह स्थिति होगी कि वह अपने खातेदारी राइट्स प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र दे और खातेदारी राइट्स प्राप्त करे। थोड़ी देर के लिए यह मान लें कि उसको आवेदन पत्र देने पर भी खातेदारी का हक नहीं मिलता है तो उसकी क्या स्थिति होगी ? क्या वह ट्रेसपासर मानकर बेदखल किया जायगा ? या क्या स्थिति होगी ? या जिन पुरानी स्टेट्स में जमीन पर जिन किसानों का कब्जा चला आ रहा था और जो आज तक काबिज हैं उनका

(श्री रमेशचन्द्र भार्गव, सभापति, पदासीन)

क्या होगा। हमारी सरकार की यह पोलिसी है कि किसानों को जमीन पर से बेदखल नहीं करना है। इतना ही नहीं बल्कि उनको जमीन पर इम्प्रूवमेंट करने का अधिकार देना है। वे सारे अधिकार इस धारा से समाप्त हो जाते हैं।

१५ अक्टूबर, सन् १९५५ से टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ और खातेदार टिनेन्ट्स के अधिकार किसानों को मिले और उनको यह भी अधिकार मिला कि उनकी जमीन पर जो पेड़ हैं उनके भी मालिक वे ही हैं। पत्तियें छांगने का और उनको इस्तेमाल करने का अधिकार भी उनका है। लेकिन जब इस धारा में यह संशोधन किया जाता है और वह भी इस रूप में कि जिस तारीख को यह एक्ट लागू हुआ यानि १५ अक्टूबर, १९५५, इस तारीख से वह अधिकार वापिस लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिनको खातेदारी अधिकार मिले, या जो पेड़ों के मालिक हुए हैं, या जो पेड़ छांगने का काम करते हैं जोधपुर डिविजन और किशनगढ़ सब-डिविजन में पहले से ही ये अधिकार उनको थे, वे सब उनके हाथ से चले जाते हैं। जिन्होंने खातेदारी टिनेन्ट्स की हैसियत से पेड़ों का फायदा उठाया, पत्तियां छांगी उन सबसे वापिस वसूली की कार्यवाही हो सकती है। किशनगढ़ में आज भी झगड़ा चल रहा है। जो किसान वर्षों से जमीन पर काबिज थे और सैटलमेंट हुआ तब इस बात को मद्देनजर रखा गया था कि जिन्होंने जमीन खरीदी और उनके पास पट्टे हैं उनको परचियें दी जांय। नतीजा यह हुआ कि कईयों को परचियें नहीं दी गई। जो किसान १०, २० या ५० साल से काबिज थे या

[श्री चांदमल मेहता]

जो दो तीन पुश्त से काबिज थे उनको भी पट्टे नहीं दिये गये । लेकिन टिनेन्सी एक्ट लागू होने के बाद उनको अधिकार मिले और वे अपनी जमीन के मालिक बने और उनको परचे मिले । वही स्थिति अब यदि पैदा करदी जिसकी वजह से सारे अधिकार चले जाते हैं तो, मैं निवेदन करूंगा कि कई तरह की कठिइयां पैदा होनेवाली हैं । हम जिन उसूलों पर चले जा रहे हैं और उनके अनुसार जो किसान जमीन पर काबिज हैं उनको उस जमीन का मालिक बनाये रखा जाय, इस सिद्धान्त के प्रतिकूल हम इस संशोधन के द्वारा जा रहे हैं । हमने जो उनको अधिकार दिये और उनको जो विश्वास दिलाया गया था उसके प्रतिकूल यदि अमेंडमेंड लाते हैं तो ठीक नहीं है । उनको जो अधिकार दिये थे जमीन पर काबिज रहने के, पेड़ों के मालिक बनने के और पत्तियें छांगने के वे सब खत्म हो जायेंगे । तो मैं निवेदन करूंगा कि ये सारी बातें ऐसी हैं कि जिन पर गम्भीरता से विचार करने की बात है । जिस तरह की धारायें इस बिल में ली गई हैं, मैं कह सकता हूं कि, हिन्दुस्तान के किसी भी कानून में इस प्रकार की धारायें नहीं ली गई हैं । यह हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपनी ओर से, कुछ जो ऐसी शर्तें थीं, जिनको तोड़ने की कोशिश की हो, उनके लिए हम ऐसी धारा ला सकते हैं । कुछ किसान ऐसे हो सकते हैं, जिनको १० बीघा जमीन दी गई हो, १५ बीघा जमीन दी गई हो, २० बीघा जमीन दी गई हो, और वह दो साल के लिए दी गई हो, वह दो साल खत्म हो गई हों । इसके बाद ज्यों ही यह बिल इस सदन में पास कर दें, तो नतीजा यह होता है कि खेतीधर टेनेन्ट नहीं रह सकते । इसका नतीजा यह होता कि छोटे छोटे किसानों को जो हक मिलता है, वह उनसे छीन लेंगे । इस सम्बन्ध में जब पहले टिनेन्सी एक्ट पास किया गया था, उस वक्त जो जमीन के हकदार थे, उन किसानों को वहां से बेदखल किया जाना चाहिए, ऐसी भावना पैदा हुई थी । उस वक्त मैंने राजस्व मंत्री को एक व्यक्तिगत पत्र लिखा था और उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था । उसके बाद उन्होंने एक कमेटी की मीटिंग बुलाई जिसमें, सैटलमेंट कमिश्नर थे, जयपुर के कमिश्नर थे और जयपुर के कलेक्टर थे और दूसरे अधिकारी भी थे, रेवेन्यू सेक्रेटरी आदि थे, उन्होंने उस मीटिंग में विचार करके यह निश्चय किया था कि जो खेतीधरों का हक है. उसको मान लिया जायगा । लेकिन उसमें एक रुकावट रखी थी कि जिन किसानों के पास इतनी ज्यादा जमीन थी जो कि टिनेन्सी एक्ट में मुकर्रर की थी, यानि ३० बीघा इर्रीगेटेड लैंड, ६० बीघा अनइर्रीगेडेड लैण्ड, इससे ज्यादा जिनके पास जमीन थी, उनको पर्चा न दिया जाय । यह माना जा सकता है कि उन्होंने नियमों की अवहेलना की हो क्योंकि उनके पास बहुत जमीन है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है । लेकिन जिन किसानों के पास ५ बीघा जमीन हो, १० बीघा जमीन हो, २० बीघा जमीन है, जो कि शर्त के अनुसार उनके पास थी और जो कि पुराने स्टेट नियम थे उनके अन्तर्गत उनके पास जमीन चली आ रही थी, उनके लिए भी यह व्यवस्था करने का नतीजा यह होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा । जितनी जमीन का सैटलमेंट हो चुका है, उनके मामले भी दुबारा शुरू हो जायेंगे और किसानों का पैसा बरबाद होगा और उनके लिए काफी कठिनाइयां पैदा होंगी । इसलिए मैं नम्रता के साथ माननीय

Page No 53

[श्री चांदमल मेहता]
मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण मसला है और इस पर सोचने की जरूरत है। इसके अलावा जो हमारे सिद्धान्त है जमीन के बारे में, यह उनके भी प्रतिकूल है। इसलिए बहुत अच्छा तो यह है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। क्योंकि इसका फैसला जल्दी हो, इसके लिए मेरा निवेदन यह है कि वह प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट २४ घंटे में दे दे। हम सब मिल कर बैठेंगे और जो भी अड़चनें आ सकती हैं, उन पर तसल्ली के साथ विचार कर सकते हैं और हम किसी निर्णय पर पहुँच सकते हैं। अतः मैं बहुत नम्रता के साथ माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बिल को जल्दी से पास कराने की बात को सोच कर इसको जल्दी निपटाने की कोशिश न करें, यह एक बहुत अहमियत का मामला है और किसानों के हित में भी इसका बुरा असर पड़ने वाला है। सरकार की ओर से इसकी अहमियत के बारे में जो कहा गया है वह ठीक है। लेकिन यह हमारे सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। इसलिए जो प्रस्ताव मैंने रखा है, उसके लिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस पर विचार करें और इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करना स्वीकार कर लें।

श्री हिम्मतअली—माननीय सभापति महोदय, मेरे अज़ीज़ दोस्त चांदमलजी ने प्रस्ताव रखा है कि इस अमेंडमेंट बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय, मैं उसका समर्थन करता हूँ। गुजिश्ता तजुर्बात ने हमें यह बताया है कि बहुत से जरूरी काम जल्दी जल्दी में किये जाते हैं और जल्दी में उन कामों को करने के बाद उनमें कई खराबियां रह जाती हैं, कई खामियां रह जाती हैं, फिर उनमें अमेंडमेंट लाया जाता है। उसमें वक्त जाया होता है, पैसा जाया होता है, ताकत जाया होती है और सही रास्ता डेमोक्रेसी का जो होता है, उसको अख्तियार नहीं करते हैं। जो चीज कहीं से पैदा होती है, उनको अपनी जिद्द से, अपनी हट से, अपनी कुछ हिमाकत कह सकते हैं, उनके कारण उसको अपनी जिद्द में कर डालते हैं, कुछ उसमें गलत बात कर डालते हैं। उन गलत बातों को जल्दी में करने के बाद उसमें कुछ अमेंडमेंट करने पड़ते हैं। यह मामला जो है, वह काश्तकारों से ताल्लुक रखता है। मैं समझता हूं कि यह बहुत नाजुक मसला है और हमारे मुल्क की बहबूदी और मुल्क को आगे तरक्की की ओर ले जानेवाला मसला है इसलिए इस मसले को बड़ा अहम मानना चाहिये और इस पर बड़ी गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। अगर हमने इसमें गफलत की तो हम खुद ही का मजाक न उड़वायेंगे बल्कि अपने मुल्क के लिये भी नुकसान देह बना सकते हैं। कितने ही कानून बनते रहे हैं, अजमेर में भी बने हैं, यहां भी बने हैं, लेकिन कोई भी कानून अपनी जगह मुकम्मिल सूरत अख्तियार नहीं कर सका और उनमें थोड़े थोड़े अर्से के बाद हमें अमेंडमेंट लाने पड़ते हैं। कुछ लोगों ने वक्त पर कुछ बातें पॉइन्ट आउट कीं, कुछ बातों को बतलाया और कहा कि यह चीज और मिला ली जाय, शरीक कर ली जाय, लेकिन अपनी हट धर्मी से, अपनी जिद्द से उस चीज को नहीं माना जाता है।

बहरहाल इस एक्ट में कुछ तब्दीली हो रही है। मेरी दरख्वास्त हाउस से यह है कि वह सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय। चांदमल जी ने इस सिलेक्ट कमेटी के लिये बहुत कम समय रखा है कि सिलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट २४ घंटे

[श्री हिम्मत अली]

में सुपुर्द कर दे । लेकिन मैं समझता हूं कि जो चीज़ छन कर आती है वह ज्यादा बेहतर होती है । लेकिन अगर छानने वाले ही अगर उसमें किरकिरी छोड़ देंगे तो वह चीज़ किरकिरी हो जायगी । यह एक हिमाकतवाली बात होगी । इसलिये मैं चांदमलजी के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और हाउस से मेरी दरख्वास्त यह है कि वह इस पर गौर करेगा कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर देना चाहिए ।

श्री भैंरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय सभापति महोदय, परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । सभापति महोदय, यह बिल वास्तव में इस बात का द्योतक है कि सरकार ने ग्रो मोर फूड केम्पेन के अन्तर्गत कई ऐसे व्यक्तियों को भूमि अलॉट कर दी कि जो वास्तव में खेतिहर नहीं थे । उस समय एक हवा चली कि जिसके द्वारा पहले प्रान्त में चाहे नियमों के अनुसार भूमि पड़त हो या नहीं आबादी के अनुसार भूमि पड़त हो या नहीं, जिसको भूमि दी गई वह खेती करने के लायक हो या नहीं लेकिन जो कि चाहते थे कि उस जमीन के ऊपर किसी न किसी प्रकार अधिकार किया जाय, उन व्यक्तियों ने दरख्वास्त की और उस हवा में उस जमीन पर अधिकार कर लिया । अधिकार करने के बाद जो अधिकार की शरायतें थीं, उनकी पूर्ति नहीं की । ग्रो मोर फूड केम्पेन जब से हमारे यहां चला है उस समय से अब तक हमें इस बात के आंकड़े मिलते रहे हैं कि सरकार ने जितनी इस बार अलॉट की है, उन भूमियों में पैदा बढ़ती जा रही हैं, लोग उन जमीनों में काश्त कर रहे हैं, कोई जो भूमिहीन काश्तकार थे, उन काश्तकारों को भी जमीन मिली है । तो अब तक सरकार की तरफ से जो आंकड़े इस विधान सभा में समय समय पर आये, विधान सभा में समय समय पर आश्वासन मिले हैं, उनके अनुसार और जो ग्रो मोर फूड केम्पेन की रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, उनके अनुसार हम यह मान कर चल रहे थे कि सरकार इस प्रकार के आन्दोलन से वाकई भूमि की समस्या और खाद्य पदार्थों की समस्या को हल करने में सफल हुई है । लेकिन इस बिल के आने से स्पष्ट रूप से यह बात मालूम हो गई है कि ग्रो मोर फूड केम्पेन की रिपोर्ट में चाहे जो उल्लेख किया गया हो, चाहे सदन में किसी प्रकार का आश्वासन मिला हो, उसमें भी जान बूझ कर कई लोगों ने गड़बड़ी की है । सभापति महोदय, हमारे जयपुर शहर के नजदीक के लिए स्पष्ट रूप से यह कानून था कि जयपुर शहर के १० मील के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को काश्त के लिए भूमि न दी जाय । उस भूमि को भी ग्रो मोर फूड के अन्तर्गत ऐसे लोगों को दे दिया गया है जो लोग वास्तव में खेती नहीं करते हैं । राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के पास होने के बाद जिस बिल का उल्लेख किया गया है उसके अन्तर्गत ऐसे लोगों को खेतिहर अधिकार मिल गये हैं लेकिन जिनको खेतिहर के अधिकार मिले हैं, उनको काश्तकार होने से वंचित किया है । लेकिन राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के पास होने से पहले ही इस जयपुर शहर के आस पास की भूमि में, जिन लोगों को काश्त के लिए जमीनें दी हैं, वैसे लोगों ने उस भूमि में मकान भी बना लिये हैं, उस जमीन में काश्त नहीं होती है पर सब-टिनेन्ट्स के द्वारा काश्त भी करवाई जाती है, सब-टिनेन्टस से

[श्री भैरूं सिंह]

जितने राजस्थान सरकार के कानून हैं उनका उल्लंघन करके ज्यादा लगान लिया जाता है । स्वयं खेती नहीं करते, अनाज की प्रोड्यूस की रिपोर्ट्स अगर सरकारी अधिकारी दें तो झूठी दी जाती हैं और सरकार को मुगालते में रखा गया है कि ग्रोमोर फूड केम्पेन के प्रिन्सिपल्स की पूर्ति अच्छी तरह से की है।

इसी जयपुर शहर के नजदीक एक बीड़ में झुन्झुनू के श्री हरलाल सिंह को काफी जमीन कोओपरेटिव फार्म के नाम से ग्रो मोर फूड केम्पेन के सिलसिले में दी गई है और जितने रूल्स की की पाबन्दी होनी चाहिये थी वैसी उनकी पाबन्दी जमीन तकसीम करने के समय भी नहीं की गई। इसके बाद सरकारी अधिकारियों को चाहिये था कि उस जमीन की प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजते, थ्री मन्थली, सिक्स मन्थली या ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजते, जिस प्रकार की रिपोर्ट भेजने के सरकार के आदेश हैं उस प्रकार से रिपोर्ट भेजते पर बदकिस्मती है कि उनका सत्तारूढ़ दल में असर है, इसलिये इस बात की कोई जांच सरकार की ओर से नहीं की गई कि ऐसी कोई कोआपरेटिव सोसायटी बनी हुई है कि नहीं, जिन सदस्यों के नाम इस कोआपरेटिव सोसायटी के सदस्यों की लिस्ट में दिये गये हैं वे वास्तव में इस सोसायटी के सदस्य हैं कि नहीं और उन्होंने इस कोआपरेटिव सोसायटी के सदस्य बनने की स्वीकृति दी भी है कि नहीं, जो आवेदन पत्र प्रस्तुत हुआ है उस पर जो दस्तखत हैं वे जाली हैं या सही हैं, इनमें से एक भी बात की जांच नहीं की गई और न इस बात की भी जांच सरकार की ओर से की गई कि उस जमीन में जो हरे पेड़ खड़े हैं वे कितने हैं और कितनी कीमत के हैं. उनकी कीमत का अनुमान नहीं लगाया गया, ५००० रुपये की कीमत के जो पेड़ हैं वे ५०० रुपयों में बेच दिये गये। तो आज यह खयाल करना कि अनाज की प्रोड्यूस बढ़ती होगी, जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती होगी तो यह सही नहीं है।

तो आज यह सोच कर चलें कि ऐसे अनडिज़ायरेबल एलोमेंट्स हैं उन लोगोंको खातेदारी अधिकार नही देना चाहती तो निश्चय ही मैं सरकार की सराहना करूंगा और सरकार को अपील करूंगा कि इस तरह जमीन डिस्ट्रिब्यूशन के तरीकों को और सख्त बनाया जाय, पर मुझे खेद है कि इसका असर इन लोगों पर नही होगा जिन्होंने कि इस तरह से जमीनें ले ली हैं, उन पर अपने मकान बना लिये हैं बिना पट्टा हासिल किये, और इन जमीनों को दूसरों को सबलेट कर दिया है, क्योंकि वे सत्तारूढ़ दल में प्रभावशील हैं। वे सत्तारूढ़ दल पर ही प्रभावशील हों ऐसी बात नहीं है वे सरकारी अधिकारियों पर भी प्रभावशील हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि राजस्थान का कोई भी तहसीलदार ऐसा नहीं जो इनके प्रभाव से मुक्त रहने की हिम्मत कर सके, कोई भी ऐसा सब-डिवीजनल ओफिसर नहीं जो इनके प्रभाव से मुक्त रहने की हिम्मत कर सके, अगर इन्होंने खातेदारी के हक प्राप्त करने के लिये एक दर्खास्त दी तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अधिकारी इनके दबाव में आकर खातेदारी के अधिकार इन्हें दे देंगे। पर गरीब काश्तकार जिन्होंने ग्रो मोर फूड केम्पेन के आधार पर जमीनों को कब्जे में लिया है और रात-दिन मेहनत करके उस जमीन की पैदावार को बढ़ाया है,

Page No 56

[श्री भैंरुसिंह]
ग्रो मोर फूड केम्पेन से अपनी जीविका के आधार को बढ़ाया है वे अगर तहसीलदार या एस० डी० ओ० के पास दर्खास्त करेंगे कि उन्हें खातेदारी के अधिकार मिल जाने चाहिए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि खोखलेपन और भ्रष्टाचार के कारण छोटे छोटे काश्तकार और गरीब लोग हैं वे सारे के सारे इस भ्रष्टाचारी सरकार के शिकार बनेंगे। तो आज केवल यही कह कर कि ग्रो मोर फूड केम्पेन के जरिये और दूसरे उपायों के जरिये गरीब लोगों में जमीन बांट कर हम उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं, केवल बड़े बड़े आदमियों का उन जमीनों पर अधिकार कराने की चेष्टा की जाती है। इसी जयपुर के नजदीक भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री ने खूब जमीन ली, पट्टा बना लिया या नहीं मैं नहीं कह सकता, उन्होंने उस जमीन पर पक्के मकान बना लिये, उन्होंने कई ब्रीच ऑफ कन्डीशन्स की हैं, उनके खिलाफ यदि सरकार सख्त एक्शन ले तो मैं यह मान सकता हूँ कि निश्चित रूप से इस कानून का पालन होगा, पर ऐसे लोगों पर कानून का पालन नहीं होगा, इसके जरिये गरीबों को परेशान किया जायगा और मन माने ढंग से कार्य किया जायगा।

यह एक बहुत ही अहम मसला है, यदि माननीय मंत्री जी चाहें तो उन लोगों की लिस्ट सदन में पढ़ कर सुना सकता हूँ, उन लोगों की लिस्ट मेरे पास है जिन्होंने "ग्रो मोर फूड" केम्पेन के आधार पर जमीनें लीं और ब्रीच ऑफ कन्डीशन्स की जो शर्तें हैं, उनकी खिलाफ वर्जी के जो नियम हैं उनके खिलाफ कार्य किये, और यह सब सरकार के ध्यान में है फिर भी सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, ये लोग उन्हीं के दल के हैं, सत्तारूढ़ दल के हैं और जो या तो सत्तारूढ़ दल के प्रमुख व्यक्ति हैं या उनके दलाल हैं, ऐसे व्यक्तियों को जमीनें दी हैं। सभापति महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ कर सुनाऊं उन लोगों के नाम। पर मैं यह भी नहीं चाहूंगा कि असेम्बली का सेशन जहां समाप्त होने जा रहा है उस समय उन लोगों पर आक्षेप लगाऊं, आक्षेप लगाऊं ऐसी बात नहीं, दरअसल आक्षेप हैं उनको सदन में कहूं। मन्त्रीजी उनको कोई सजा नहीं दे सकेंगे, सजा मिलेगी गरीब लोगों को जो उन जमीनों में बोने के हकदार हैं।

तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि आज विधान सभा में बिल लाकर यह सब व्यवस्था नहीं कर सकते, यदि सेलेक्टेड पर्सन्स इस पर विचार करें तो व्यवस्था कर सकते हैं। ईमानदार काश्तकारों का हरेशमेंट न हो और ऐसे जो बाकी अनडिज़ायरेबल पर्सन्स हैं उनके लिए मैं तो यह नियम बनाने के पक्ष में हूं कि ऐसे लोगों से जमीनें छीन ली जांय और उनको किसी प्रकार का कम्पेनसेशन नहीं दिया जाय। जिन्होंने सरकार को धोखा दिया है, जनता को धोखा दिया है और आज कहते हैं कि हम खातेदार हैं, काश्तकार हैं, यह राजस्थान सरकार के लिये जबरदस्त शर्म की बात है और फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बनाने वालों, सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान बनाने वालों की बुद्धि को चुनौती है। जो राजस्थान सरकार अपनी तमाम बुद्धि लगा कर प्लान बनाती है उसमें अपने लोगों को इस तरह जमीनें दे कर के दूसरे लोगों को हैरेश करने के लिए उन्हें एग्ज़ेम्प्ट कराने की व्यवस्था करती है यह सरासर अन्याय है।

[श्री भैरूसिंह]

राजस्थान सरकार के अधिकारी भी इससे नहीं बचते। राजस्थान सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति जब इस प्रकार के अन्याययुक्त काम करते हैं तो सरकार के जितने अधिकारी हैं वे भी नहीं चूकते, वे देखते हैं कि बोलने वाला कौन है, जो बोलेगा उसको कहेंगे कि तूने भी गलती की है, जयपुर में जमीन ली है और मैंने सुना है कि राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव ने भी जमीन ले ली है, काश्त नहीं होती, खातेदारी का हक मिला या नहीं मिला यह मैं नहीं कह सकता, मकान बनाना शुरू कर दिया है। मकान उनके लिये बन रहा है, खातेदारी हक का कोई प्रश्न नहीं। उनके नीचे का कोई अधिकारी नहीं कि जो उनके आवेदन पत्र पर कुछ कह दे बल्कि उनका तो टेलीफोन ही काफी है, उसी पर तहसीलदार कहेगा कि आपके आदमी के दस्तखत करा दीजिये बस और बाकी मैं सब कर लूंगा, एस. डी. ओ. कहेगा कि साहब डिक्लेरेशन फार्म मुझे दे दीजिये मुझे इनाम की आवश्यकता नहीं, मैं तो आपकी कृपा चाहता हूँ।

ऐसे लोगों को सजा देने का हमारी सरकार का साहस नहीं, जो छोटे छोटे हैं वे इससे परेशान किये जायेंगे। इसलिए मैं वित्त मंत्रीजी से जो कि इस बिल को पायलेट कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इसे अधिक समय के लिये न सही २४ घंटे के लिये ही सेलेक्टेड सदस्यों की सलेक्ट कमेटी में दे दें और यह असेम्बली जैसा कि कहा जा रहा है कि कल समाप्त होने जा रही है इसके एडजोर्न होने से पहले पहले वह सिलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट इस पर पेश करे। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम ऐसी व्यवस्था कर सकेंगे कि जो ईमानदार काश्तकार हैं उनको हक मिलें, उनका हक बना रहे और जिन्होंने ब्रीच ऑफ कन्डीशन्स की हैं उनकी जमीनों को जब्त कर लें।

इन्हीं दो तीन बातों को कह कर परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं और सदन के माननीय सयस्यों से प्रार्थना करता हूँ कि उसको स्वीकार करायें।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय सभापति महोदय, परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसके समर्थन में मुझे भी निवेदन करना है। हमारे यहां ग्रो मोर फूड केम्पेन के नाम से बहुत ही भूमियों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें हमारे माननीय मन्त्री का भी हाथ है। मैं उन व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वे यहां पर मौजूद नहीं हैं और जो केबिनेट के मन्त्री हैं उन्होंने अपने नाबालिग बच्चे के नाम से २०० एकड़ जमीन ली और उसमें एक दूसरे आदमी जिसका नाम रतनलाल है उसको रखा। हमने इसके बारे में इस सदन में बार बार शिकायत की और आज भी इसका जिक्र इसलिये कर रहा हूँ कि इस बिल का सम्बन्ध इससे है। नाबालिग बच्चे के नाम से इतनी बड़ी जमीन ली जाती है, छोटी मोटी जमीन ही नहीं फिर उस जमीन में ५० हजार की लागत के पेड़ थे और माननीय मन्त्री उस समय वन मन्त्री थे।

श्री भैरूं सिंह—यह अमृतलालजी यादव का मामला है क्या ?

श्री जगतसिंह झाला—हां, उन्हीं का मामला है। उन्होंने ५० हजार के वृक्ष कटाये। मैंने उनका नाम यहां पर इसलिये नहीं लिया कि वे यहां पर मौजूद नहीं हैं। यह एक ऐसी घटना है जो राजस्थान के मन्त्री मण्डल पर कलंक है। वे इस कलंक के बावजूद भी मन्त्री मण्डल में मौजूद हैं। चाहिये तो उनको यह था कि वे मंत्री नहीं रहते। मगर वह जमीन उन्होंने मंत्री होने के नाते अपने नाबालिग बच्चे के नाम करा ली।

श्री सभापति—आप इस स्टेज पर बिल के मूल सिद्धांतों पर ही डिस्कशन करें। व्यक्तिगत बात आती है उस पर न कहें।

श्री जगतसिंह झाला—इसमें इनका जिक्र आता है इसलिये कहा है।

श्री सभापति—इस वक्त आप मूल सिद्धान्तों पर ही कहें या इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए इस पर कहें। यह जो व्यक्तिगत बातचीत आती है वह जिस समय क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डिसक्शन करें तब कहें।

श्री जगतसिंह झाला—हमारे यहां तो इस प्रकार की घटनाएं होती ही हैं। फिर उन्होंने उस जमीन को भूदान यज्ञ में दी। इस तरह व्यक्तिगत तरीकों से जमीनें ले ली गई। जमीनें भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा ले ली गई जो काश्त नहीं करते। अगर काश्त करते तो लेते तो कोई एतराज नहीं।

अब इसके मूलभूत सिद्धांतों पर आते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जमीनें ग्रो मोर फूड केम्पेन के नीचे या नाम से जमीनें ले ली जाती हैं अपने रिश्तेदारों के नाम से। मैंने इस घटना का इसलिये उल्लेख किया था कि जो लोग खेती नहीं करते और फिर भी जमीनें अपने नाबालिग लडके के नाम से ले लेते हैं। इसलिए यदि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावेगा तो सब बातों को सोच सकेंगे कि वास्तव में जो जमीन काश्तकारों को दी है वे लोग वास्तव में काश्त करते हैं या नहीं और उनको जमीन रखनी चाहिये या नहीं। जो लोग काश्त नहीं करते और मंत्रियों के पदों पर बैठे हैं और जमीन ले लेते हैं उनके लिए जमीन लेना कहां तक वाजिब है ? इसलिये यह सब बातें सिलेक्ट कमेटी में जाने पर डिटेल्स में तय हो सकेंगी और इन पर विचार कर सकेंगे और इसीलिए मैं इसके समर्थन में निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे वर्ना राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों को जमीनें दे दी जावेंगी और दी गई हैं। मैं इसकी एक बडी लिस्ट पेश कर सकता हूं। नौरामगरा के पास कांग्रेस भाइयों को किसी के हुक्म से जमीनें दी गई हैं और जिन लोगों को वह जमीनें दी गई हैं वे लोग उन जमीनों पर कश्त नहीं करते। काश्त दूसरे ही लोग करते हैं और वे लोग कांग्रेस के चवन्नी सदस्य हैं। मैं उनके नाम प्रकाशित करना नहीं चाहता। लेकिन इस तरह की कार्यवाही होती है कि लोगों को जमीनें दी जाती हैं। यदि

[श्री जगतसिंह झाला]

इस तरह की कार्यवाही राजस्थान सरकार में होगी तो काश्तकारों को जमीनें नहीं मिलेंगी और जो लोग काश्त नहीं, करते हैं वे लोग जमीनें ले लेंगे और जो आपके सिद्धान्त हैं कि अधिक धान उपजाओ उसके विपरीत पड़ेंगे। इसलिए मैं अदब के साथ निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—माननीय सभापति, परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे और वह सिलेक्ट कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करे इसका समर्थन करता हुआ मैं इसके समर्थन में निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव बिल्कुल वाजिब है। कारण यह कि इस बिल में सरकार क्या करने जा रही है? जिन आदमियों को ग्रो मोर फूड केम्पेन के सिलसिले में, जिसके अन्दर शर्तें भी मौजूद थीं उनकी तहत में जमीनें दे दीं और वे जमीनें इस काम के लिये दीं कि ज्यादा धान पैदा होगा मगर वह काम पूरा नहीं हुआ। अब इतने साल बाद गवर्नमेंट की आंख खुली कि जिन लोगों को जमीन दे दीं उन पर उन लोगों ने जिनको जमीने दी गई थीं उन्होंने खुद काश्त नहीं की और बहुत सी जमीनें पड़त पड़ी रहीं। बहुत से लोगों ने उन जमीनों पर से पेड़ काट कर उसका फायदा उठाया और इससे ग्रो मोर फूड केम्पेन में बाधा पड़ी। अब न मालूम क्या सरकार के दिमाग में आई है या क्या दबाव पड़ा है कि अब इसकी अवधि ३ साल की और बढ़ाई जा रही है, क्योंकि उन शर्तों के माफिक जमीन दी जाती है तो उसकी पूर्ति नहीं होती इसलिए अब अवधि बढ़ाई जावे। क्यों नहीं जो शर्तें हैं पूरी की जावें? इसके लिए सिलेक्ट कमेटी में डिस्कशन करने की जरूरत है। क्या यह जरूरी है कि अवधि बढ़ाई जावे। ग्रो मोर फूड केम्पेन अब भी द्वितीय पंच वर्षीय योजना में चल रहा है। इस पर प्रथम पंचवर्षिय योजना में जोर दिया गया था। हम समझते थे कि एग्रीकल्चर का काम इस योजना में खत्म होगा मगर वह नहीं हुआ इसका कारण यह है कि जिन लोगों को ग्रो मोर फूड में जमीनें दी गई थीं उन्होंने उन जमीनों का फायदा नहीं उठाया और जमीनें ऐसे आदमियों के पास रहीं जिनके पास रखना गलती है। ऐसे व्यक्ति को जमीन देने से फायदा क्या जो उसको काश्त नहीं करता? जमीन तो ऐसे व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो उस जमीन को जोत सकता हो और जो वाकई में जमीन से अन्न पैदा कर सकता हो। ऐसे आदमी से जो मकान बना रहा है या अपना निजि फायदा उससे उठा रहा है गल्ले के फायदे का उसको कतई ध्यान नहीं है। यह बात मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है। फिर यह कहना कि ३ वर्ष में दरख्वास्त देदें कि खातेदारी राइट्स उसको दे दिए जावें। हम ऐसे कानून की सरकार से एक्सपेक्टेशन नहीं करते। समझ में नही आता कि किस तरह से यह बिल हमारे सामने आ गया? इस बात पर अवश्य विचार करना चाहिए कि ऐसे आदमियों को जमीनें दी जानी चाहिए जो खेती करते हों और गल्ला पैदा करते हों। मैं समझता हूं कि अगर सिलेक्ट कमेटी में इस पर विचार होगा तो किसी निर्णय पर पहुंच जाएंगे। इसलिए जो परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय सभापति, एक तरफ बहस के दौरान में यह कहा गया कि लोगों को काफी जमीनें मिलीं, काश्त करते थे उनको मिलीं, काश्त करते नहीं थे उनको मिलीं। कइयों ने काश्त नहीं की और कइयों ने मकान बनाए और कइयों ने जो कंडीशन थीं उनको पूरा नहीं किया और यहां पर यह कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को जमीन नहीं मिलनी चाहिये। वह यह कहना कि ऐसे व्यक्तियों को जिनको जमीनें मिलीं और जिन्होंने कंडीशन लेड डाउन थीं उनका ब्रीच किया और उसके बावजूद भी उनके खातेदारी हक कायम रखे जावें जो टिनेंसी एक्ट...

श्री भैरोंसिंह (खेजड़ला)—सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

(गण-पूरक घंटी)

श्री बृजसुन्दर शर्मा (जारी)—तो, माननीय सभापतिजी, एक तरफ तो यह कहना कि जमीनें मिल चुकीं, वह गलत तरीके से मिलीं या सही तरीके से मिलीं और मौजूदा टिनेन्सी एक्ट जिस प्रकार का है उसके अन्तर्गत तो उनको खातेदारी हकूक भी मिल चुके। अगर यह अमेंडमेंट नहीं आता है तो जैसा आज टिनेन्सी एक्ट है उसके क्लॉजों के अन्तर्गत जो जमीनें जिनको दे दी गई हैं और जिसके ऊपर वह काश्त करते हैं उसको वह खातेदारी हकूक हांसिल हो चुका तो फिर मैं नहीं समझ पाया कि क्या माननीय सदस्यों की यह मन्शा है कि उसको कायम रखा जाये और उनके पास खातेदारी हकूक मिल चुके उनको कायम रखा जाय ? क्योंकि अगर यह अमेंडमेंट नहीं होता है तो जहां ग्रो मोर फूड केम्पेन के सिलसिले में हजारों बीघा जमीनें लीं उसके ऊपर काश्त नहीं किया, उस पर मकान बनाये और आज सब बातें जो कि यहां कही गईं अगर उनको मान लिया जाय, चाहे वह सही भी हैं तो फिर क्या वह जमीन उस तरह से कायम रखी जाये ?

श्री जगतसिंह झाला—जो जमीनें भूदान में दे दीं उनका क्या होगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इस सिलसिले में आपको सैकड़ों दफा जवाब मिल चुका है और जो बात आपने कही है वह असंगत है और मैं उसका जवाब देने को बाध्य नहीं हूं, लेकिन जो जमीनें उनको मिलीं, चाहे किसी भी कन्डीशन्स पर मिलीं जैसा कहा गया कि जयपुर में १० मील के अन्दर अन्दर खेती करने के लिए जमीन दी जायेगी, उसके ऊपर कोई मकान नहीं बनायेगा उसमें यह भी कन्डीशन थीं, वहां पर जो कुए बने हुए थे उनका नजराना देने की कन्डीशन थी और उन कन्डीशन्स को उन्होंने पूरा नहीं किया, उनको ब्रेक कर दिया तो क्या माननीय सदस्यों की यह मन्शा है कि जमीनें तो अब उनके पास आ गईं और उनके हकूक उस जमीन पर कायम रखे जायें अगर यह मन्शा है तो मुझे अफसोस है। अगर माननीय सदस्यों की यह मंशा नहीं है और उनकी मंशा यह है कि जिस जमीन को ग्रो मोर फूड केम्पेन करने के लिए दी गई, किसी भी कन्डीशन्स पर दी गई और अगर उस पर काश्त नहीं हुआ और उनकी कन्डीशन्स की पूर्ति नहीं हुई उनको जिन शर्तों पर दी गई थी तो फिर उनको खातेदारी हकूक उन जमीनों के ऊपर नहीं मिलने चाहिये। तो इसका तो इलाज यही है कि यह अमेंडमेंट जल्दी से जल्दी पास किया जाय। वर्ना उनको जमीन का

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

हक मिलते ही वह खातेदार बन चुकेंगे और अगर उनको खातेदारी के हकूक मिल जायेंगे तो फिर यह उनका वैस्टेड राइट हो जायेगा। और उनको वैस्टेड राइट हो जाने के बाद आप कोई कानून पास करेंगे तो इससे कोई महत्व नहीं होगा और वह कानून उन पर लागू नहीं हो सकेगा। और उनके खातेदार बन जाने के बाद आप उसको नहीं निकाल सकते। तो इसके अन्दर इस तरमीम के जरिये जो इसका आशय है वह बिल्कुल साफ है। जिन लोगों को किन्हीं शर्तों पर जमीन दी गई, जिनको ग्रो मोर फुड केम्पेन के लिए दी गई, किसी रूल्स के तहत में दी गई, जिन जमीनों पर कन्डीशन्स लागू हों अगर उनको उस जमीन पर इस मौजूदा टिनेन्सी एक्ट के अन्दर खातेदारी हकूक हासिल करने हैं तो उनको दुबारा दरख्वास्त देनी पड़ेगी। आज, माननीय सभापति जी, तरह तरह की बातें इस विषय पर हमारे सामने आती हैं। कई लोगों को हजार हजार, दो दो हजार बीघा जमीन मिली है। जहां छोटे छोटे काश्तकारों की बात कही जाती है वहां ऐसे भी लोग हैं कि जिनको दो दो हजार बीघा जमीन खुदकाश्त के लिए मिली है और उनमें से केवल तीन सौ बीघे पर ही काश्त होती है और १५०० बीघे पर मवेशी चराये जाते हैं। तो फिर इस तरह से क्या माननीय सदस्यों की यह मंशा है कि उन जमीनों पर कि जिनके ऊपर मवेशी चरते हैं और खेती नहीं होती है वह भी खातेदारी हकूक में दे दी जाये, तो फिर इस अमेंडमेंट को पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पुराना एक्ट रहता है तो फिर वह जमीन जो कि उनको मिल चुकी है और जिसका वह दुरुपयोग कर रहे हैं और जिन कन्डीशन्स पर वह जमीन उनको मिली उसे काम में नहीं लेते हैं तो उस पर उनके अधिकार कायम रहेंगे, क्योंकि उसका एक कारण है कि वह उनको अलॉट की हुई जमीन है। इसलिए जिन लोगों ने किसी दूसरी कन्डीशन्स पर जमीन ली और उसके ऊपर उन्होंने मकान बना लिया तो यह एक गलत तरीका है। अगर यह तरमीम नहीं होती है तो खातेदारी हकूक उनका जारी रहेगा। अब ऐसे भी व्यक्ति हैं कि जिनको कि यह कहा गया कि तुमको कुए का नजराना देना पड़ेगा, इस शर्त पर उनको कुए की जमीन दी गई, अगर यह तरमीम नहीं होती है तो उनकी भी जमीन खातेदारी बन जायगी। इसी तरह से जिन लोगों को किन्हीं कन्डीशन्स पर जमीन दी गई उन्होंने उन कन्डीशन्स की पाबन्दी नहीं की और इसके साथ साथ जमीन को खुद भी नहीं जोतते हैं तो क्या माननीय सदस्यों की यह मन्शा है कि इन जमीनों के ऊपर खातेदारी हकूक जो कि पुराने टेनेन्सी एक्ट के अन्दर मिल सकते हैं उनको कायम रखे जायें और आगे इस तरमीम को नहीं किया जाय? अगर माननीय सदस्यों की यह मन्शा है तब तो बात और है और अगर मन्शा यह नहीं है तो फिर यह तो एक सीधा-साधा सा अमेंडमेंट है और इसको पास कर देना चाहिये। यह अमेंडमेंट है कि जिन लोगों को किन्हीं कन्डीशन्स के ऊपर जमीन दी गई और उन्होंने इस कन्डीशन की पाबन्दी नहीं की तो उनको नये सिरे से दरख्वास्त देनी पड़ेगी कि हमको इस जमीन के ऊपर खातेदारी हकूक मिलने चाहिए और जब वह इस प्रकार की दरख्वास्त दे देंगे उसके बाद ही उनको इस प्रकार के खातेदारी हकूक मिल सकेंगे। साथ ही एक बात मैं आपको और बताऊं कि इसके अन्दर यह मियाद रखी गई है कि तीन साल के अन्दर अन्दर ही वह इस चीज की दरख्वास्त कर दें। अगर वह चाहें तो इस तीन साल

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

की मियाद पर एक अमेंडमेंट रख सकते हैं और फिर उस अमेंडमेंट के जरिये इस तीन साल की मियाद को कम समय की मियाद किया जा सकता है, लेकिन इसको अधिक लिबरेली मानते हुये भी मियाद कम कर दें तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस मियाद को एक अमेंडमेंट के द्वारा कम किया जा सकता है। अब यह कहा गया कि इससे जो गरीब काश्तकार हैं और जिनको ग्रो मोर फूड के सिलसिले में जमीनें मिलीं उनको भी बड़ी तकलीफ होगी। तो, माननीय सभापति महोदय, इस बारे में मैं एक निवेदन करूंगा कि जो खुदकाश्त करते हैं और जो जमीनों का लगान देते हैं उनके अन्दर कन्डीशन्स का कोई सवाल नहीं है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे काश्तकारों में तो कन्डीशन्स के ब्रेक करने का कोई सवाल ही नहीं है। यह सवाल तो वहां उठेगा जहां बडी बडी जमीनें हैं और जिन्हें शर्तों के आधार पर दी गई हैं, वहां ही यह सवाल उठेगा। मैं निवेदन करूंगा कि यह सवाल ऐसा है कि जिसे हमें देखना चाहिये। लोगों का यह कहना कि बड़े बड़े लोगों को ही जमीनें मिली हैं और उनको फायदा हो जायेगा ऐसी बात नहीं है। जैसा कि कहा गया कि गलत तरीकों से जमीनें दे दी गई यह सारा का सारा मामला तो ओपिन हो गया।

श्री जगतसिंह झाला—On a point of information, Sir. जिन्होंने जमीनें भूदान में दे दी हैं उनका क्या होगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जमीन तो भूदान में देने का अख्तियार ही नहीं था।

किसी पर्टिक्युलर केस के बारे में अगर बताया जायगा तो उसके बारे में कहा जा सकता है कि उसको किस प्रकार ट्रीट किया जा सकता है। जनरली इसमें कोई अधिकार नहीं। जिन मिनिस्टर्स का आप पर्टीक्युलर केस बताते हैं, वे इस बारे में कई दफा जवाब भी दे चुके हैं उसको फिर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं।

श्री जगतसिंह झाला—किसी मिनिस्टर की जमीन होने से क्या उसकी कन्डीशन दूसरी हो जाती है क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(जारी रखते हुए) अगर किसी मिनिस्टर की भी जमीन हो उस पर भी यदि कन्डीशन का ब्रेक हुआ है तो अगर किसी को अधिकार मिल चुका है तो वह भी खत्म हो जायगा। खातेदारी राइट्स के मामले को तो हम चलाकर ओपिन कर रहे हैं अगर मिनिस्टर के साथ भी किसी प्रकार की कन्डीशन होगी तो उनको भी सफर करना पड़ेगा। सब के सब सफर करेंगे जिस कन्डीशन पर जमीन मिली है उस कन्डीशन्स का ब्रेक हुआ है तो वह इसके अन्तर्गत आ जायगा। यह चीज अगर कोई बुरी है तो उसको बुरी मानकर चलना चाहिये। यह नहीं मानना चाहिए कि इस चीज का फायदा ए को मिलेगा और बी को नहीं मिलेगा। यह तो अच्छी चीज है इसको ओपिन करना चाहिये। ये सारे मामलात ऐसे थे जो टिनेन्सी एक्ट की तहत क्लोज़ हो गये थे

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

वे एक प्रकार से रिजोल्विन हो जाते हैं, इससे तो आपको फिर कहने का मौका मिलेगा। अगर बन्द कर देते हैं तो फिर कहने का मौका ही नहीं मिलेगा।

इसके अलावा यह जो छोटा सा अमेंडमेंट है इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रस्ताव रखा गया है उसका मतलब शायद यह हो कि इसमें डिले की जाय, क्योंकि हम कल तक ही बैठने वाले हैं इसलिए सिलेक्ट कमेटी में भेजने से कोई फायदा होने वाला नहीं। मामला बहुत अरजेन्ट है इसलिए इसे आज ही पास कर देना चाहिये। खातेदारी हकूक वापिस लेने का मामला है। पज़ेशन का उतना सवाल है नहीं। पज़ेशन का जो कायदा होगा उसी के मुताबिक किया जायगा। अगर खातेदारी ही नहीं रहेंगे तो किस प्रकार खातेदारी के हकूक मिल सकते हैं? कन्डीशन्स का ब्रेक किया होगा तो किया होगा इसके बाद स्टेटस को खोने के बाद उसके बारे में भी विचार कर लिया जायगा उसके लिए टिनेन्सी एक्ट मौजूद है। खुदकाश्त को तय नहीं करते तो सब टिनेन्ट होंगे उनके जो हकूक हैं वे उसके लिए दरख्वास्त कर दें।

मेरा निवेदन करना केवल यही है कि इस मामले को हम गंभीरता पूर्वक विचार कर सोचें तो जिन आदमियों के लिए यहां कहा गया है कि उनको तो इससे नुकसान होने वाला नहीं है। इसलिए माननीय विरोधी दल में बैठने वालों को तो किसी प्रकार गुरेज़ ही नहीं करना चाहिए। इसके लिए मेरा निवेदन है कि परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है और जो उन्होंने कहा कि जिस काश्तकार के पास बारह या पन्द्रह बीघा जमीन है और जो वर्षों से काश्त करते चले आ रहे हैं उन पर किसी प्रकार भी यह असर करने वाला नहीं है। यह तो जयपुर से दस मील के एरिया में या सोल्जर्स के बारे में जो रूल्स बनाये गये हैं उनकी तहत में जमीन दी गई थी, उनको खातेदारी हकूक वापिस हो जायेंगे। काश्तकारों का तो किसी प्रकार डिस्पज़ेशन होगा नहीं उन पर किसी प्रकार का असर पड़ने वाला नहीं, इसलिये यह जो तरमीम रखी है उसको जिस रूप में रखा गया है उसी रुप में स्वीकार किया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री **चांदमल मेहता**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन रखने का यह मतलब कभी न था कि जिन लोगों को जमीन दी है और जो शर्तें उनके साथ थीं उन शर्तों की अवहेलना की और उनके खातेदारी हकूक चालू रहे। मेरा संशोधन रखने का मतलब सिर्फ यह था कि कुछ बड़े लोगों ने जमीन ली है चाहे ग्रो मोर फूड के सम्बन्ध में ली हो, चाहे किसी दूसरी शर्तों की वजह से ली हो और उन्होंने उन शर्तों को नहीं माना। इसका असर उन साधारण श्रेणी के काश्तकारों पर जिन्होंने शर्त मानी है उनके लिए भी यह लागू हो जाता है और जिन लोगों ने शर्त तोड़ी है उनके लिए भी लागू हो जाता है तो उचित नहीं है। इसके अन्दर आगे जो व्यवस्था की गई है खातेदारी प्राप्त करने के लिए किन शर्तों पर एप्लाई करेंगे जैसी कि इसमें व्यवस्था की गई उन साधारण श्रेणी के किसानों ने उन शर्तों को नहीं तोड़ा है। इसका मतलब यह होगा कि जिन लोगों

[श्री चांदमल मेहता]

ने शर्तों को नहीं तोड़ा और दूसरी बातों का भी पूरी तरह से पालन किया उनके लिये भी वही तरीका अख्त्यार करना पड़ेगा जैसा कि शर्तों को तोड़ने वालों के साथ किया जायगा। इसलिये मेरा प्रस्ताव प्रवर समिति को सुपुर्द करने का था कि ये सब बातें ऐसी हैं जिनको ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता है और अगर हम प्रवर समिति में बैठ कर इन बातों को सोचते तो कोई न कोई हल अवश्य निकाल सकते थे।

मिसाल की तौर पर मान लीजिये ग्रो मोर फूड केम्पेन के अन्तर्गत किसी को जमीन दी गई और जिसको दी गई वह किसान उसमें खुदकाश्त करता है और आज भी कर रहा है, उसके ऊपर यह शर्त लागू कर दी गई कि अमुक समय तक कुआ खुदवा कर पानी कर लिया जायगा। मान लीजिये उसने कुआ खुदवा दिया लेकिन उसमें पानी नहीं हुआ तो उसके अनुसार कल उसको यह कह दिया जायगा इसमें पानी नहीं हुआ इसलिए तुम जमीन के मालिक नहीं हो सकते। ये सब बातें ऐसी हैं जो प्रवर समिति में जाकर ही ठीक की जा सकती हैं। जिन किसानों ने खुद ने काश्त की और जिस जमीन पर खुद काबिज हैं और बीच ऐसी हैं जिसको अन अवोईडेबल होने के कारण वैसे आदमियों पर भी इसका असर हो सकता है और उनको हकूकों से वंचित किया जा सकता है। कुछ लोगों ने गड़बड़ियां कीं उसके लिए छोटे किसानों को क्यों हर्जाना भुगतना पड़े, इसी की वजह से यह निवेदन मैंने किया था कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। मैं नहीं चाहता कि इसको पास करने में ढिले की जाय, मैंने तो यह कहा था कि २४ घंटे के अन्दर अन्दर प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे। मैं तो यह चाहता था कि राजस्व मन्त्री महोदय होते तो हम इस बारे में उनसे पहले डिस्कश न कर लेते और कोई न कोई हल करने की अवश्य बात की जाती।

मैं यह उम्मीद करता था कि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और किसानों से सम्बन्ध रखने वाला है, केवल उन्हीं आदमियों से सम्बन्ध रखने वाला नहीं जो जमीन लेकर मालिक बन गये हैं। जहां तक ऐसे व्यक्तियों का सवाल है जिन्होंने जमीन ले ली और मालिक बन कर बैठ गये दूसरों से काश्त करवाते हैं उनके लिए यदि सख्त से सख्त कानून बनाया जाय तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। मैं तो सिर्फ उनके लिए जो स्वयं खुद काश्त करते हैं उनके ऊपर असर पड़ता है तो दुःख होता है। जबकि माननीय मन्त्री महोदय प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए तैयार नहीं हैं वैसी स्थिति में मेरे लिए केवल यही चारा रह जाता है कि मैं सदन से निवेदन करूं कि मैंने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे मुझे वापिस लेने दिया जाय।

श्री अर्जुनदास—On a point of information, Sir, the Hon'ble Member did not explain the reasons why he wants to withdraw his motion. All that he said was that because the Hon'ble Minister opposed him, therefore, he wants to withdraw it. If that is the reason, that is not a relevant reason. Why he wants to withdraw it, he did not suggest at all ?

श्री उपाध्यक्ष—वजुहात तो इनके मन में होंगे । लेकिन जब वे सदन से अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत चाहते हैं तो इजाजत दी जा सकती है ।

श्री वेदपाल त्यागी—वापिस लेने के लिए तो कोई वजुहात इन्होंने बताये नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—Do you want to say anything ?

श्री चांदमल मेहता—No, sir.

श्री अर्जुनदास—When permission is sought from the House, there should be some reason behind it. We should all know what are the reasons which induce us to allow him to withdraw his motion. He has not given any reason before this House.

श्री उपाध्यक्ष—यह जरूरी नहीं है कि वे एक्सप्लेनेशन दें ।

प्रश्न यह है कि श्री चांदमल जी मेहता को अपना प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

बिल विचारार्थ लिया गया ।

Clause two; Rawat Shri Shambhu Singh.

रावत श्री शम्भुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन राजस्थान टिनेन्सी (३) अमेंडमेंट बिल पर इस प्रकार है :—

"Provided that such enquiry shall be made with the help of three panchas including Sarpanch of the Tehsil Panchayat."

Page No 66

श्री अर्जुनदास—On a point of order, Sir, I think the hon'ble Minister has first to move that clause 2 be passed before any amendment could be taken up.

श्री उपाध्यक्ष—The clause has been taken as moved when we take up amendments.

श्री अर्जुनदास—But none has moved it.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—It has been taken as moved.

श्री उपाध्यक्ष—When the amendments are moved the clauses are treated as moved.

रावत श्री शम्भुसिंह—उपाध्यक्ष महोदयजी, मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है :—

"Provided that such enquiry shall be made with the help of three panchas including Sarpanch of the Tehsil Panchayat."

माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो क्लॉज़ नम्बर २ हमारे सन्मुख है इसको पढ़ने से दो बातें प्रतीत होती हैं। पहली यह कि यदि किसी व्यक्ति को टिनेन्सी एक्ट बनने से पहले कोई भूमि ग्रो मोर फूड की दृष्टि से एलॉट की गई अथवा किसी स्पेशल ऑर्डर से या किसी स्टेच्यूटरी रूल्स के अंदर कोई भूमि अलाट की गई है तो वह खातेदार टिनेन्सी नहीं माना जावेगा, ऐसी भूमि का और जिन शर्तों पर वह भूमि दी गई है उनको अगर फुलफिल नहीं किया गया होगा तो भी वह खातेदार टीनेन्ट नहीं माना जावेगा।

पर तुरंत इसके बाद सब क्लाज (३) प्रोवाइड किया गया है जिसमें एक बहुत लम्बी अवधि बढ़ा दी गई है कि उस अवधि के अंदर किसी प्रकार का टीनेंट, जिसको कि नंबर २ के अंदर खातेदारी टीनेन्ट नहीं माना गया था वह दरख्वास्त पेश करके तुरंत ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो कि उसमें ए०, बी० सी० डी० फॉर्म्स बताये गये हैं उन पर लिख कर और असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रेस्क्राइब्ड फीस लेकर उसको खातेदारी टीटेन्ट एलान कर देगा यदि उसने उसकी दरखवास्त को रिजेक्ट नहीं करार दिया हो तो।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस क्लॉज २ के अन्दर दो खतरे नजर आते हैं। पहला तो यह कि ऐसे पोर्शन को, जिन्होंने ऐसी जमीनों पर कि जो खास कंडीशन्स के द्वारा उनको दी गई थीं और उन पर उन्होंने अभी तक पूरा अधिकार कर रखा है और उन कन्डीशन्स को पूरा नहीं किया, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने इस सदन में बहुत से उदाहरण पेश करके बताया था कि जयपुर

[रावत श्री शम्भुसिंह]

शहर के आस पास कुछ भूमियां ग्रो मोर फूड के सिलसिले में दी थीं उन्होंने उन पर मकान बना लिए और अभी तक उन पर काबिज भी हैं और ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि मिनिस्टर तक की तरफ से फोरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन निकाल कर ग्रो मोर फूड के नाम से उनके नाबालिग बच्चों को दी गई और आज भी उस पर उनका अधिकार है। तो इस प्रकार से अवांछनीय तरीके से कुछ व्यक्ति ऐसी भूमियों पर अभी तक काबिज हैं। इस क्लाज को पढ़ने से जो खतरा नजर आता है वह यह है कि वे ऐसे अवांछनीय व्यक्तियों को इस बात के लिये एक प्रोत्साहन देने की बात होगी कि वे उस पर अधिकार नहीं रख सकते पर फिर भी उनको एक कानूनी अधिकार मिल जावे और उनको वह अधिकार देने के वास्ते इतनी लम्बी अवधि इस क्लॉज के द्वारा तीन साल की दी गई और उनको अपनी दरख्वास्तों में ऐसे २ ग्राउन्ड्स पेश करने के वास्ते बताया गया, जैसे मैं एक ग्राउंड बता देता हूँ :

"2 (4) (c) that when the land was so let out to him he was not apprised of such circumstances." अब इसमें ऊपर तो सरकम्स्टान्सेज लिख दिया कि जिनमें रिपोर्ट हो सकती है। अब अगर वह अपनी दरख्वास्त में यह कह देगा कि मैं इससे वाकिफ नहीं था तो भी गोया यह मान लिया जावेगा और इसमें एक ऐसा शब्द है कि :

"He was not apprised,"

यह वह जानकारी नहीं रखता था इसलिये यह दरख्वास्त है। तो यह जानकारी नहीं रखना तो कानूनी दृष्टि से भी ठीक नहीं है। क्योंकि "Ignorance folaw is no excuse." तो यह कहना कि मैं इससे अनभिज्ञ था इसलिये अब मुझे खातेदारी राइट मिल जावें तो इस कानून के मातहत वह अनभिज्ञता भी मान ली गई है जब कि अनभिज्ञता कानूनन ठीक नहीं है। तो इस प्रकार की भी इसमें व्यवस्था की गई है और महज उन व्यक्तियों को उन भूमियों पर अधिकार दिलाने के वास्ते किया गया प्रतीत होता है।

दूसरा खतरा जो मुझे प्रतीत हुआ वह यह है कि इसके द्वारा जो छोटेछोटे किसान गांव के रहने वाले हैं और जिनके पास छोटी छोटी जमीनें हैं उनको उन भूमियों को भी सरकार चाहेगी तो इस कानून के द्वारा छीन सकेगी क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है कि असिस्टेन्ट कलेक्टर कोर्ट फीस लेकर उसकी एन्क्वायरी करेगा और अगर उसने दरख्वास्त रिजेक्ट नहीं कर दी है तो वह उसको खातेदार डिक्लेअर कर देगा, नहीं तो नहीं। तो अब उसको रिजेक्ट करने न करने के बीच में भी कोई अड़चन नहीं है, उसकी मर्जी पर निर्भर है। वह चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे इस बात की बहुत सम्भावना है कि जो सत्ता प्राप्त दल है और जिसकी सरकार है वह यदि किसी वजह से ऐसे किसानों को, जिन्होंने किसी कारण से सत्ता दल का प्रेम प्राप्त नहीं किया हो अथवा उनकी कृपा प्राप्त न की हो, उनके दल के वे कृपा पात्र न हों, या किसी वजह से उस दल के व्यक्तियों को नाराज कर दिया हो या मान लीजिये वोट नहीं दिया हो उनको अथवा और भी ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से किसानों ने सत्तारूढ दल के आदमियों

[रावत श्री शम्भुसिंह]

को नाराज कर रक्खा हो और उस नाराजगी की वजह से अगर वे सत्तारूढ दल के व्यक्ति या उनकी सरकार में बैठे उनके प्रतिनिधि उन किसानों से इस बात का बदला लेना चाहें तो उनके प्रति आर्बिट्रेरी रुख अपनाया जा सकता है और असिस्टेंट कलेक्टर को कह कर या और किसी जरिये से इस कानून का सहारा लेकर वे उनको उनकी भूमि से बेदखल भी कर सकते हैं। ऐसी भूमि पर किन्हीं किसानों ने अगर इम्प्रूवमेंट भी किये हों, कूए वगैरह भी बना डाले हों तो वे भी उनके छीने जा सकते हैं। और यह आज के वातावरण को देखते हुए असम्भव भी नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों की तरफ से रोजमर्रा के सरकारी कामों में इस तरह का इन्टरफीयरेंस होता रहता है। तो वे असिस्टेंट कलेक्टर के पास भी ऐसी प्रेरणाएं पहुंचा सकते हैं कि फलां किसान को बेदखल करना चाहिये तो वह अपनी जमीन से बेदखल भी किया जा सकता है।

तो इसमें ये दो तरह के खतरे मुझे प्रतीत हो रहे हैं और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इस वास्ते इसकी निष्पक्ष इन्क्वायरी कराने के वास्ते मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। इसमें उस तहसील पंचायत के तीन पंच कम से कम होने चाहिये जिनके सामने यह इन्क्वायरी कराई जावे और वहां की स्थानीय बातों से भी वहां के पंच ही पूरी तरह से वाकिफ हो सकते हैं और वही ठीक निर्णय भी कर सकते हैं।

इस वास्ते इनके शामलात से जो कुछ इन्क्वायरी की जावेगी उसमें इस प्रकार की इर्रेगुलेरिटीज़ होने का भय कम रहेगा। वे लोग जानते हैं कि फलां जमीन फलां व्यक्ति को दी गई है, जिन गोचर भूमियों को तोड़ कर दी, जिनको दी गई वे लोग जानते है, अधिकृत है या अनाधिकृत है, यह भी वे लोग जानते हैं। इसलिये ऐसी भूमि ऐसे व्यक्तियों के पास से हटाई जानी चाहिये, हटाई जा सकती हैं और ऐसी भूमि गरीब किसानों के पास रहनी चाहिये। उन गरीब किसानों ने उन जमीनों पर काफी इम्प्रूवमेंट कर डाले हैं। तो क्या माननीय उपाध्यक्षजी, ऐसी जमीनें थी, जिन लोगों के पास थीं और अब भी इस प्रकार की जमीने हैं तो क्या उनको बेदखल कर दिया जावेगा या क्या उन गरीब किसानों को भूखे मरने दिया जावेगा? तो ऐसी गड़बड़ का पता इन्क्वायरी से हो सकता है। ऐसी गड़बड़ें न होने देने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि वहां के स्थानीय जानकार व्यक्तियों से, जो तहसील पंचायत के पंच लोग ही हो सकते हैं, राय जानी जाय, वे लोग अपनी राय देंगे। इन पंचों की शामलात से ऐसी राय होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्रीजी मेरी बात से सहमत हो गए होंगे। यह तो निर्दोष बात है और इसको स्वीकार करने में उनको आनाकानी नहीं होना चाहिये। (घंटी) विरोधी पक्ष की ओर से आने वाले प्रस्ताव को केवल विरोध करने की दृष्टि से ही विरोध करना है तो दूसरी बात है। अगर इसको वाजिब दृष्टि से देखा जाय तो क्या उन पंचों की शामलात से इस प्रकार की इन्क्वायरी होल्ड की जावेगी क्योंकि जिन गांवों में इस प्रकार की जमीने हैं उनके बारे में पूरे हालात का उनको पता है, वे जानते हैं कि कौन काश्त कर रहे हैं और कौन नहीं?......... (घंटी) इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपने इस वक्तव्य से माननीय मन्त्री जी को कन्विन्स कर देना चाहता हूं लेकिन अगर विरोधी पक्ष की ओर

[रावत श्री शम्भुसिंह]

से चूकि प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उसका विरोध करना है केवल विरोध के लिए......विरोध करना है तो दूसरी बात है ।

(घंटी)

श्री भैरूंसिंह (१६)—कन्विन्स करने के लिए मौका देना चाहिए ।

रावत श्री शम्भुसिंह—तो मैं मानता हूँ कि माननीय मंत्रीजी मेरे भाषण के दौरान में उठ कर भाषण कर देंगे कि यह मुझे मान्य है तो मैं वहां अपने भाषण को छोड़ दूंगा ; ऐसे व्यक्ति तो कम होंगे कि जो न्यायी व्यक्ति हैं और उनका उपयोग करने वाले होंगे बड़े बड़े लोग था भूतपूर्व मंत्री लोग। देहातों में बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास जमीनें हैं और उन किसानों पर महज दबाव डालने के लिए कि तुम वोट नहीं दोगे तो यह कर देंगे। जब दबाव डालने की बात हो जावेगी तो क्या यह डेमोक्रेसी में उचित है कि मंत्रीजी यह कहना चाहते हैं कि किसानों को भूमि हमें नहीं देनी चाहिए । बार बार इस सदन में कहा गया है कि हम किसानों को बेदखल नहीं करना चाहते । वहां बेदखल करने की बात कही गई है । जागीरदारों की खुदकाश्त की जमीनों को तो रिवर्ट करने में मुस्तैदी दिखायी लेकिन एक अनऑक्युपाइड लैंड पर, जिसने उस पर खर्चा किया है महज इस वजह से कि हमको वोट देना चाहिए नहीं तो उस किसान की जमीन छीनने की कोशिश की जायगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि तहसील पंचायत के निष्पक्ष पंच होंगे, उनकी शामलात से यह इन्क्वायरी होनी चाहिए और डेमोक्रेसी का भी यह तकाजा है कि किसानों को उनकी जमीनों से वंचित नहीं किया जावे । जो वास्तव में अपने हाथों से जमीन जोतता है उनको बेदखल नहीं किया जाना चाहिए चाहे कन्डीशन्स को फुलफिल न कर सके हों । लेकिन बड़े बड़े लोग हैं, मिनिस्टर लोग हैं, जिनके पास जमीनें हैं, उन जमीनों को खेती के उपयोग में नहीं लेते हैं, उनको बेदखल किया जा सकता है और उनके बेदखल न होने के कारण उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है जैसा 'सी' में दिया गया, कानून के अनिभिज्ञ होने के कारण मकान बना लिये, वे कानून से अनभिज्ञ नहीं थे लेकिन जिस पर्पज के लिए उनको जमीनें दी गई थीं उन्होंने उनको उस पर्पज के लिए काम में नहीं लिया और बड़े बड़े मकान उनमें बना लिये ।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ...

श्री उपाध्यक्ष—निवेदन कर दिया ।

रावत श्री शंभुसिंह—वे मेरे इस संशोधन को अवश्य मानने की कृपा करेंगे और गरीब किसानों पर इस प्रकार का दबाव नहीं डालेंगे ।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय उपाध्यक्ष, सहाडा-रायपुर तहसील से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसके सम्बन्ध में मैं चन्द शब्द निवेदन करना चाहता हूँ। जब माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया था उस वक्त निवेदन किया था कि कुछ लोगों ने गांवों में इस प्रकार की जमीनें ले ली हैं और उनको भूदान में दे दीं, उनका क्या होगा? मेरा किसी पर आरोप नहीं था। लेकिन मैं चाहता था कि ऐसी कार्यवाही हो गई है तो फिर उसकी जांच का क्या प्रोसीजर रहेगा। उन लोगों ने खातेदारी राइट्स हासिल कर लिये हैं, खेती खुद नहीं करते हैं, खेती कभी की नहीं है, दूसरों से कराते हैं, मुगालता देकर जिन व्यक्तियों ने जमीनें इस प्रकार से ले ली हैं, ऊंचे पद पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, जानते हुए उन्होंने जमीनें ले ली हैं और उसके बाद उन जमीनों को दान में दे दिया, भू-दान में दे दिया और फिर उन्हीं जमीनों को उन्हीं व्यक्तियों को अलॉट कर दिया जो खेती करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि उनसे जमीनें छुड़ा ली जांय लेकिन जिन्होंने ऐसी कार्यवाही की है उसके लिए क्या कार्यवाही होगी?

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—बिल पर कहिये।

श्री जगतसिंह झाला—इसलिए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसके लिए मैं निवेदन करता हूँ कि तहसील पंचायत के लोग शामिल कर लिये जायेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो राजनीति में होता है कि अपने अपने व्यक्तियों को खुश करने के लिए ऐसा कर लिया तो कर लिया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वैसा फिर हो जावेगा तो।

श्री जगतसिंह झाला—हो जावेगा तो उसको हम लोग एक्सपोज़ करेंगे, आपको यह मान लेने में क्या हर्ज है। यह प्रस्ताव आवश्यक है और इसको मान लेना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह (१६)—उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर की तरफ से आने वाले माननीय सदस्य, कान्सटीट्यूऐन्सी का नाम मुझे मालूम नहीं है..............

एक माननीय सदस्य—सहाडा रायपुर से आने वाले।

श्री भैंरूसिंह—सहाडा रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने यह ख्वाहिश जाहिर की है कि इस विधेयक के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे, उसमें तहसील के पंचों की भी राय ली जाय। उपाध्यक्ष महोदय, पंचों की राय लेना वाजिब भी है और पंचों की राय लेना गैर वाजिब भी है। गैर वाजिब इस तरह से है कि राजस्थान में जो पंचायत कानून बना है और उसके अन्तर्गत जितनी पंचायतों का चुनाव हुआ है......

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सब गैर वाजिब हुआ है।

श्री भैरोंसिंह (जारी)—सब तो गैर वाजिब नहीं, अधिकांश गैर वाजिब हुए हैं।

श्री भैरूंसिंह—यदि ऐसे पंचों को इसका सदस्य बनाकर उनसे राय ली गई तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वे कभी भी यह राय नहीं दे सकेंगे कि किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति की, जिन्होंने ऐसी जमीन के ऊपर अधिकार कर रखा है और उस अधिकार के फलस्वरूप वह जमीन प्राप्त करने की जितनी शर्तें हैं उनको पूरा नहीं करते हैं; वे उनके खिलाफ कभी भी राय नहीं देगा। आज यह कहते हुए काफी शर्म महसूस होती है कि राजस्थान पंचायत विभाग का प्रशासन नहीं होने के कारण राजस्थान की अधिकांश पंचायतें जिनको यह कहे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून की आड़ लेकर जबरदस्ती थोपी गई पंचायतें हैं तो कोई अतिशयक्ति नहीं है। ऐसी पंचायतों में भ्रष्टाचार खूब बढ़कर फैला हुआ है। अभी सीकर जिले में, माननीय उपाध्यक्ष...

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—टिनेन्सी एमेंडमेंट बिल पर बोलें।

श्री भैरोंसिंह—मैं टिनेन्सी बिल पर बोल रहा हूं और इसका विरोध करता हूं, तो पंचायतों का जरूर जिक्र करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—वह बात आ गई जनरल में।

श्री भैरोंसिंह—जनरल में तो आ गई लेकिन मजबूर हूं।

श्री उपाध्यक्ष—कुछ एकाध पंचायत का कह दें।

श्री भैरोंसिंह—एकाध पंचायत का ही कह रहा हूं। (हंसी)

एक मगलाना की पचायत है। उस मगलाना पचायत के सरपंच और पंच दोनों ही रिश्वत लेते हुए पुलिस के द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिये गये, लेकिन अब जो स्वायत शासन मन्त्री हैं नहीं वे उनको डिफेन्ड कर रहे हैं। वे यह कोशिश कर रहे हैं कि रिश्वत में गिरफ्तार होने वाले पंच और सरपंच उसी प्रकार से शासनारूढ़ रहें। उनके राज्य में इस प्रकार की बात खट सकती है लेकिन जहां न्याय है उस न्याय के राज्य में इस प्रकार के भ्रष्टाचारी पंच और सरपंच रहें, माननीय उपाध्यक्ष, यह बहुत ही शर्म की चीज़ है। गिरफ्तार हो गये, उनको हटाया नहीं जा रहा है। गिरफ्तार होने के बाद हटाना तो दरकिनार रहा उनको सस्पेन्ड तक नहीं किया जा रहा है। आज भी वे उसी प्रकार से सरपंच और पंच बने हुए हैं। यदि सरकार मगलाना जैसे भ्रष्टाचारी पंच और सरपंच को सदस्य

[श्री भैंरुसिंह]

बनाकर राय लें तो निस्संदेह मुझे डर है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि उनकी राय कोई अच्छी राय नहीं होगी। उनकी राय तो हमेशा जिस तरह से उन्होंने रिश्वत खाई है उस तरह से रिश्वत खाने वाली राय होगी। भले पंचों की राय लेने का सवाल है तो मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। उसमें निश्चित शब्द नहीं हैं कि भले पंचों की राय ली जाय या भ्रष्टाचारी पंचों की राय ली जाय। यदि वे इसमें यह अमेंडमेंट कर दें तो मैं निश्चित रूप से उसका समर्थन करता। तो पंचों में तो भ्रष्टाचारी पंच भी शामिल हैं। इसलिये मुझे मजबूर होकर इसका विरोध करना पड़ा है। कन्डीशनल सपोर्ट तो मैं नहीं करना चाहता इसलिये मजबूर होकर प्रस्ताव का विरोध करना पड़ा है।

(श्री जवानसिंह और श्री बृजसुन्दर शर्मा के एक साथ खड़े होने पर श्री उपाध्यक्ष द्वारा घन्टी)

श्री जवानसिंह—मैं घन्टी का क्या अर्थ समझूं ?

श्री उपाध्यक्ष——आप भी बोलना चाहते हैं ?

श्री जवानसिंह——वह घन्टी माननीय मंत्रीजी के लिए थी, मैं गलत समझ गया था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जिस प्रकार से एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया था उसका विरोध किया गया। यह सुन कर मुझे दुःख हुआ। हम जिन पंचायतों के आधार को मान चुके हैं, राजस्थान में जिस प्रणाली को, भारत में जिस जनतन्त्रीय प्रणाली को अपना लिया है उसमें यह शंका तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह स्वाभाविक है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति भी और पंचायतों में आ भी सकते हैं, जो कि अवांछनीय हैं, लेकिन जिस आधारभूत को हम मान चुके हैं उसी के खिलाफ यहां पर आवाज उठाई जाए और कहा जाए कि चूंकि कुछ पंच किसी मगलाना पंचायत के या किसी एक्स, वाई, जेड पंचायत के ठीक नहीं है, उनके खिलाफ मुकदमे हैं, रिश्वत लेते हुए पकड़े गये हैं इसलिए किसी भी पंच को, किसी तरह की इन्क्वायरी हो जिस प्रकार कि इस टेनेन्सी एमेंडमेंट बिल में रखा गया है संशोधन के जरिये, उसमें शामिल नहीं करना चाहिए, यह मेरे खयाल से वाजिब नहीं होगा। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि चाहे ऐसे पंचों की संख्या अधिकाधिक ही क्यों न हो लेकिन क्या हम न्याय की दृष्टि से यह कह सकते हैं कि वे पंच जिनको सर्वसम्मति से या बहुमत से चुना गया है वे ठीक प्रकार के आदमी नहीं हैं, इसलिए उनका हक नहीं होना चाहिए कि वे किसी इन्क्वायरी में शामिल हो सकें। मेरा खयाल है कि यह हम उचित आधार मानकर नहीं चल रहे हैं। हमको मानना चाहिए कि सरपंच जो ठीक तरह से चुने गये हैं वे वांछनीय हैं, जब तक कि साबित न कर दिया जाए कि वे अवांछनीय व्यक्ति हैं और जब तक कि न्यायालय इस बात को ठीक तरह से तय नहीं कर ले कि अमुक व्यक्ति अवांछनीय है। जिस

[श्री जवानसिंह]

दिन ऐसी परिस्थिति आयेगी उस दिन से वह व्यक्ति वह काम नहीं कर सकेगा। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करता हूं कि जो अभी संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह एक खास दृष्टिकोण को सामने रखकर पेश किया गया है। उसमें जो हम नये सिरे से हजारों व्यक्तियों को नये खातेदारी के अधिकार देना चाहते हैं, जिसके लिए एक अलग सा तरीका मुकर्रर किया गया है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं हो सके। यह शुरू शुरू में जब नये अधिकार दे रहे हैं उस वक्त गड़बड़ी न हो जाय इस ख्याल को सामने रखते हुए यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है। मेरा खयाल है कि इसमें किसी माननीय सदस्य के एतराज करने जैसी बात नहीं है। कोई कायदे में, किसी प्रोसीजर के जरिये कोई उसमें गड़बड़ी नहीं हो इस दृष्टि को हमें सामने रखना है। मेरा खयाल है कि हरेक माननीय सदस्य इस संशोधन का समर्थन करेगा। लेकिन जो सदस्य यह चाहता है कि नये अधिकार दिये जायं, उनमें गड़बड़ी बर्दाश्त की जाय तो मैं मान सकता हूं कि वे सदस्य यह चाहते हैं कि इस प्रकार के अधिकार न दिये जायं। लेकिन अन्तिम रूप से जो हमने आधारभूत सिद्धान्त मान लिये हैं उन बातों को मानकर चल रहे हैं कि खातेदारी के अधिकार दिये जांय, जिनको जमीन गैर कायदे से मिल चुकी है उन आदमियों के पास नहीं रहे बल्कि जिन आदमियों को जमीन की आवश्यकता है उन आदमियों को जमीन मिलनी चाहिए तो मेरा खयाल है कि इस संशोधन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं तो बहुत संक्षेप में जवाब देना चाहूंगा कि राजस्थान टिनेन्सी बिल की स्कीम के मुताबिक या राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट की स्कीम के मुताबिक कहीं इन्क्वायरी या जांच आती है वहां किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर के साथ या किसी तहसीलदार के साथ या एस. डी. ओ. के साथ पंच इन्क्वायरी शुरू कर देंगे तो सारे का सारा प्रोसीजर और सारे के सारे जो इसके कानून बने हुए हैं इन्क्वायरी के, सब के सब रद्द हो जाते हैं। आपका जो संशोधन इसमें आया है वह सारी स्कीम ऑफ दी एक्ट के बिल्कुल प्रतिकूल है। इन्क्वायरी सम्बन्धी में जो लफ्ज़ हैं वे ये हैं.

"That the Assistant Collector shall make an enquiry in the prescribed manner and afford reasonable opportunity to the applicant."

तो इन्क्वायरी करने का जो तरीका है वह प्रेस्क्राइब्ड मैनर तो निर्धारित हो चुका है और उसके तहत में रूल्स बन चुके हैं। उन रूल्स के तहत में असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर में इन्क्वायरी करेगा और इन्क्वायरी करने के बाद में फाइंडिंग देगा और फाइंडिंग के बाद अपील होगी। अपील के बाद में दर अपील भी हो सकती। जहां अपील्स प्रोवाइडेड हैं, जहां सारे का सारा प्रोसीजर प्रोवाइडेड है वहां पर एक इन्वोल्व्ड प्रोसीजर है, इसमें एक पर्टीक्यूलर क्लॉज़ के लिए, क्योंकि यह टेनेन्सी एक्ट के तहत और लेन्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत रेवेन्यू इन्क्वायरीज़ के लिए प्रोसीजर निर्धारित है, और वह प्रोसीजर सारी जितनी स्कीम्स हैं उनके लिए अमल में लाया जाता है कि कलेक्टर किस तरह से इन्क्वायरी करेगा वह भी प्रेस्क्राइब्ड है। एस. डी. ओ. किस तरह से इन्क्वायरी

[श्री बृजसुन्दर शर्मा

करेगा यह प्रेस्क्राइब्ड है। असिस्टेन्ट कलेक्टर किस तरह से एन्क्वायरी करेगा वह प्रेस्क्राइब्ड है कि सम्मन हो जायगा, सम्मन भेजकर जवाब तलब करेंगे, इशू फ्रेम करेंगे और इशू फ्रेम करने के बाद गवाही लेंगे। यह सारी की सारी चीजें सेक्शन ८९ जो इस एक्ट का है, उसके तहत में रूल्स बने हुए हैं उनके अन्दर प्रेस्काइब्ड होती है। उसमें कहीं भी पंच या तहसील पंचायत को शामिल करने का जिक्र नहीं है। न पंचायतों को रेवेन्यू पॉवर्स देने की स्कीम का इसमें कोई प्रोवीजन है।

तो इस तरह ये जितने भी प्रोविजन्स हैं वे प्रतिकूल पड़ते हैं सेक्शन ८९ के। और इसके साथ साथ इस पर्टीक्युलर सेक्शन की इन्क्वायरी के लिये हम ऐसा क्यों इन्ट्रोड्यूस करें, यह समझ में नहीं आता। जो प्रोसिजर है वह ठीक है। इसमें अपील प्रोवाइडेड है। जैसा दांता रामगढ़ के माननीय सदस्य ने कहा, पंचों को भी इन्क्वायरी में शामिल कर लें तो जिस चीज को अपोज करते हैं वही इसमें शामिल हो जायगी। इसलिये वह इसके प्रतिकूल पड़ती है। असिस्टेन्ट कमिश्नर पंचों को शामिल लेकर इन्क्वायरी करे, यह बिल्कुल उल्टा पड़ेगा और रेवेन्यू में जो प्रोसिजर कायम किया है उसकी खिलाफवर्जी होगी इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री शंभुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष...

श्री उपाध्यक्ष—वोट के लिये प्रेस करेंगे क्या ?

श्री शंभुसिंह—पहले उत्तर में कुछ निवेदन कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष—ब्रीफ में।

श्री शंभुसिंह—मैंने जिस मकसद से अपनी यह तरमीम इस क्लॉज में पेश की थी मालूम होता है माननीय मंत्रीजी उसे बखूबी समझ नहीं पाये हैं। मेरी यह मंशा कभी नहीं थी कि रेवेन्यू में जो कुछ प्रोसिजर है इन्क्वायरी करने का उसमें उलझन पैदा की जावे या वह देर लगाने वाली इन्क्वायरी बनादी जावे। इस मंशा से मैंने अपनी तरमीम नहीं पेश की थी। मेरी मंशा यह थी कि वहां की स्थानीय हालत का जितना तजुर्बा और मालूमात वहां के पंचों को हो सकती है...

श्री उपाध्यक्ष—कानूनी दिक्कत को मान गये आप ?

श्री शंभुसिंह—कानूनी दिक्कत नहीं है। उसके लिये मैं बाद में निवेदन करूंगा। लेकिन मेरा मकसद यह था कि वहां के मुकामी हालात की जानकारी जितनी वहां के पंचों को होगी और जितनी अच्छी इन्क्वायरी या नतीजे पर सही तरीके से हम इन पंचों की इमदाद से जिस कदर पहुँच सकते हैं, बगैर इन पंचों की इमदाद लिये, मैं समझता हूँ, खाली एक असिस्टेन्ट कमिश्नर इन्क्वायरी करेगा तो वह ठीक नहीं होगी। इसके बारे में माननीय मंत्रीजी ने कोई जवाब नहीं दिया और आपने फरमाया कि यह एक प्रोसीजर है और उसके लिये अपील वगैरह वह का भी रास्ता खुला हुआ है। मैं

[श्री शंभुसिंह]

यह मंजूर करता हूं कि अपील का रास्ता जरूर है। लेकिन एक प्रोसीजर के जरिये एक गरीब किसान को इन्साफ हासिल करने के लिये जितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है वह बिल्कुल जाहिर बात है। आजकल जो प्रोसीजर जाब्ता बना हुआ है उसके मुताबिक कार्यवाही की जाती है। उसमें न केवल देरी ही ज्यादा लगती है बल्कि वह बहुत ज्यादा खर्चीली भी है। होना यह चाहिये कि किसानों के लिये जो इन्क्वायरी की जावे वह कम खर्चीली हो और जल्दी ही उसका नतीजा निकल सके। जल्दी नतीजा तभी निकल सकता है जब वहां के मुकामी हालात के जानकार पंच उसमें शामिल हों। तो एक तो उसमें देर कम लगेगी और सही हालात अदालत के सामने जल्दी और सही तरीके से आ सकेंगे। दूसरी बात यह है कि पंचों का जो डिसीजन होगा उससे, मेरे ख्याल से, किसी पार्टी को ऐतराज नहीं होगा और वे अपील के खर्चे से भी मुक्त हो जावेंगे। जब हम एड-मिनिस्ट्रेशन को डिसेन्ट्रेलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिये पंचायतों को हमें ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने चाहिये और हमारे कांस्टीट्यूशन की भी यही मंशा है कि यहां पंचायती राज्य कायम किया जावे। हमारे विधान में यह साफ बात है। (घंटी) पंचों के लिये जो रखा है उसके लिये निवेदन करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कहां तो विधान का डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल जिसके आधार पर पंचायत राज्य कायम करना चाहते हैं और कहां असिस्टेन्ट कमिश्नर इन्क्वायरी करेंगे। उनके साथ पंचों को शरीक करने की बात करते हैं तो मंत्रीजी चौकन्ने हो जाते हैं कि क्यों यह अधिकार दिया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि विधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल से किस तरह अलग हो रहे हैं और मंजिले मकसूद को कितना जल्दी हासिल करना ..

श्री बृजसुन्दर शर्मा—दफा २०८ सिविल प्रोसिजर कोड लागू किया गया, उसमें पंच बैठकर किस तरह इन्क्वायरी करेंगे? सिविल प्रोसिजर कोड की तहत इन्क्वायरी होगी उसमें पंच शामिल होकर कैसे इन्क्वायरी करेंगे? असिस्टेन्ट कमिश्नर को ऑथोराइज किया है और सिविल प्रोसीजर कोड को लागू किया है। यह तो कानूनी दिक्कत है। इसमें आप कहें कि पंचों को शामिल करिये, यह कैसे हो सकता है? यह दूसरा प्रश्न है कि स्कीम ऑफ दी एक्ट में आप कह देते कि हम सिविल प्रोसिजर कोड को लागू नहीं करते हैं और पंचायत एक्ट को उसके स्थान पर लागू करते हैं, तो बात अलग थी। अभी हमको काम बहुत करना है। मैं माफी चाहता हूं बीच में खड़ा होकर कहा उसके लिये। लेकिन यह आवश्यक था कि इस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूं।

श्री शंभुसिंह—(जारी) मैं बहुत शुक्र गुजार हूं मंत्रीजी ने जो फरमाया उसके लिये और ईर्शादपूर्ण शब्दों में फरमाया उसके लिये मैं उनका अहसानमंद हूं लेकिन मैं प्रोसीजर की बात कह दूं......।

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन डिले करने का उसूल नहीं होना चाहिये। देर करने की मंशा से, जो दलील शुरू में दे चुके हैं उसको और बढ़ाकर एक्सप्लेन करने की उत्तर में आवश्यकता नहीं होती है। उत्तर में तो जो नई बात मिनिस्टर के उत्तर में आई है और वह आपके ध्यान में नहीं

Page No 76

[श्री उपाध्यक्ष]

बैठती है तो अपने व्यू पाइन्ट को एक्सप्लेन कर देना। इतनी बात होती है क्योंकि उस उत्तर से नयी बात होने वाली नहीं है।

श्री शंभुसिंह—नयी बात ही तो मुझे कहनी है।

श्री उपाध्यक्ष—आपने पहले की बातें भी दोहरा दी हैं।

श्री शंभुसिंह—संशोधन के सम्बन्ध में जो बातें कहनी जरूरी हैं उनको ही कह रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—उनको वापिस दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शंभु सिंह—मैं समझता हूँ कि मेरी दलील का जिक्र इसलिये नहीं किया गया क्योंकि मंत्रीजी को दरगुजर नहीं हुई। इसलिये मुझे दुबारा अर्ज करने की आवश्यकता पड़ी।

श्री कस्तूरचन्द—उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में कोरम नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा—कोरम है।

श्री जगतसिंह झाला—कोरम नहीं है।

श्री शंभुसिंह (पूर्वक्रम से जारी)—माननीय मन्त्रीजी ने कृपा करके जो कहा है उसका उत्तर तो मैं देना चाहता हूँ, मैं प्रोसीजर को तब्दील नहीं करना चाहता हूँ चाहे आप उसे कोड मान लें, पर उसका प्रोसीजर तो वही होगा। कोर्ट बनेगी, उसमें असिस्टेन्ट कमिश्नर होगा, सरपंच होगा। अगर आप इस तरह से बनाना चाहते है कि जैसे, क्रिमिनल केसेज में असेसर होता है, ज्युरी होता है, वैसे भी मान लीजिए। लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है, यहां तो रेवेन्यु का ताल्लुक है, रेवेन्यु देने वालों का मामला है। अभी भी पचायतों में ज्युडिशियल मामलात तय करते हैं, वे भी किसी प्रोसिजर से ही तय करते हैं। अब आप रेवेन्यू के केसेज देने वाले हैं, सिविल, क्रिमिनल जस्टिस के मामले देने वाले हैं। मैं नहीं समझता कि इससे कोई प्रोसीजर तब्दील नहीं होगा। वे भी कोर्ट बन जायेंगी, उसमें असिस्टेन्ट कलेक्टर और सरपंच साथ मिल कर केसेज पर विचार करेंगे और उन पर अपने फैसले दे देंगे। अगर इसमें भी कोई हर्ज है तो दूसरी बात है। इसलिए मैंने जो तरमीम दी है, वह उचित है और माननीय मंत्रीजी इसको अस्वीकार करने का आग्रह न करेंगे और जो मैंने मोशन मूव किया है उसको स्वीकार कर प्रजातन्त्र का परिचय दे देंगे।....

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सिर्फ असंगत बात होगी, और कोई बात तो नहीं है।

श्री शम्भुसिंह—प्रजातन्त्र में यह गांवों का हक और उनको एक साधारण सा अधिकार देने की बात है। जब यहां पर अधिकार की बात कही जाती है तो उस पर किसी प्रकार भी विचार

Page No 77

[श्री शंभुसिंह]

नहीं किया जाता है। जब पंचायतों पर विश्वास किया जाता है तो माननीय मन्त्री जी उन पर अविश्वास नहीं करेंगे। मैं अपील करूंगा कि माननीय मन्त्री जी इसको बराये महरबानी स्वीकार करेंगे।

श्री जगतसिंह झाला—उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री हिम्मतअली—सदस्यों की इस ओर उदासीनता मालूम होती है, क्यों नहीं एडजोर्न कर दिया जाय ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—तो जल्दी से इसको पास कर दीजिए।

(सदन की कार्यवाही कोरम न होने के कारण दो मिनट तक स्थगित रही)

श्री उपाध्यक्ष —प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ पर जो संशोधन श्री शंभुसिंहजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड २ स्वीकार किया गया।

(स्वीकृत)

खंड दो विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खंड ३, ४, ५, व ६

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ३, ४, ५ व ६ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ३, ४, ५ व ६ विधेयक के अंग बने।

Page No 78

[श्री उपाध्यक्ष]

(विराम)

खण्ड १, टाइटल एवं प्रिएम्बल ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड १, टाइटल और प्रिएम्बल को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, टाइटल और प्रिएम्बल विधेयक के अंग बने ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि, "दी राजस्थान टेनेन्सी (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५६ को पारित किया जाय" ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि, "दी राजस्थान टिनेन्सी (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५६ को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक परित किया गया ।

(विराम)

नेक्स्ट ।

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५६

(स्थगित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स(अमेंडमेंट)बिल, १९५६ डेफर हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष —डेफर हो चुका है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा–डेफर्ड है ।

श्री उपाध्यक्ष–नेक्स्ट ।

राजस्थान जागिरदार्स ऋण प्रहसन विधेयक, १९५६

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्तमंत्री, श्री राजस्व मन्त्री की ओर से)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

"दी राजस्थान जागीदार्स डेट रिडक्शन बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय"।

श्री उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है ....

श्री मानसिंह—मेरा मोशन था ...

श्री मथुरादास माथुर—कल तो कह दिया था कि प्रेस नहीं करेंगे

श्री मानसिंह माद्दर— यदि मंत्रीजी ऐसा चाहते हैं तो I do not want to move my motion

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—मन्त्रीजी तो चाह ही रहे हैं।

प्रश्न यह कि, "दी राजस्थान जागीरदार्स डेट रिडक्शन बिल, को विचारार्थ लिया जाय'।"

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(विराम)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दी राजस्थान जागीरदार्स डेट रिडक्शन बिल, १९५६ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष —प्रश्न यह है कि, "दी राजस्थान जगीरदार्स डेट रिडक्शन बिल, १९५६ पारित किया जाय"।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

नेक्स्ट।

कोटन जिनिंग एन्ड प्रेसिंग फैक्ट्रीज़ (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९५६
(विचारार्थ एवं पारित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा (उद्योग मन्त्री की ओर से)-उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि, "दी कोटन जिनिंग एन्ड प्रेसिंग फैक्ट्रीज़ (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९५६ विचारार्थ लिया जाय"

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि, "दी कोटन जिनिंग एन्ड प्रेसिंग फैक्ट्रीज (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९५६ विचारार्थ लिया जाय"।

(स्वीकृत)

बिल विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि, "दी कोटन जिनिंग एन्ड प्रेसिंग फैक्ट्रीज (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९५६ पारित किया जाय"।

(स्वीकृत)

विधेयक, पारित हुआ।

राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज़ विधेयक, १९५६

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा (मुख्य मन्त्री की ओर से)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि, "दी राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय"।

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत है!

(विराम)

प्रश्न यह है कि, "दी राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज़ बिल, १९५६ बी टेकन फोर कन्सीडरेशन"।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय......

श्री मथुरादास माथुर—इस पर बोलेंगे?......

श्री मानसिंह महार—इस पर तो कैसे नहीं बोलूंगा ? इसके लिए तो तैयारी की है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर.........

श्री उपाध्यक्ष—संशोधन तो क्लॉज़ २ पर है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्लॉज़ तीन पर है।

श्री उपाध्यक्ष—आप किस अमेंडमेंट पर बोलना चाह रहे हैं ?

(श्री मानसिंह महार के बैठ जाने पर)

श्री मथुरादास माथुर—पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—इस पर तो अमेंडमेंट हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं......

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ बाई क्लॉज़ ले लें। क्लॉज़ २

(विराम)

प्रश्न यह है खंड २ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड२ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड ३, श्री लक्ष्मणसिंह।

श्री लक्ष्मणसिंह—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से अमेंडमेंट इस विधेयक के क्लॉज़ ३ में पेश करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है :——

"In parts (a) and (b), the word 'one thousand' be substituted by the words 'fifteen hundred' and the words 'eight hundred' be substituted by the words 'twelve hundred'.

श्रीमन्, निवेदन मेरा सदन से यह है कि इस विधेयक में माननीय मन्त्री महोदयों को जो तनख्वाह दी जाती है वह १०००) रु० मासिक है और उपमन्त्रियों को करीब ८०० रुपया दिया जाता है जो

Page No 82

[श्री लक्ष्मण सिंह]

मेरे ख्याल से नाकाफी है। इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है कि मन्त्रियों को एक हजार रुपया नहीं १५०० रुपया मिलना चाहिये और उपमन्त्रियों को ८०० नहीं १२०० रुपये मिलने चाहिये। यद्यपि श्रीमन् मैं चाहता तो यह था कि इससे भी ज्यादा सीमा बढ़ाऊं पर हमारे इधर बैठने वाले साथी कटु आलोचना न करें इसलिये इसी लिमिट तक यह रखा है।

श्रीमन्, जब मैं यह निवेदन करता हूँ तो इसका कारण यह है कि यद्यपि मैं इस सदन के लिये नया आदमी हूँ पर इस सदन में आने के बाद में जो विचार-विमर्श सुने उनसे इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मन्त्रियों पर और सरकार की नीति पर रोष प्रकट किया जाता है, उसका लुब्बेलुबाब यह है कि यहां की सरकार और उसके मन्त्रियों के कारनामें इनएफिशियेन्सी के द्योतक हैं। हमें सुनने को मिला कि फलां मन्त्री साहब एक्साइज़ के मामले में गड़बड़ी कर गये, कोई मन्त्री साहब मोटर लाइन पर अधिकार किये हुए हैं, कोई माइनर के नाम पर ग्रो मोर फूड कम्पेन में जमीन ले लेते हैं, और इस प्रकार के उन पर कई आरोप लगाये जाते हैं।

श्रीमन्, इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि किसी आदमी की बुराई तो कर सकते हैं पर उस आदमी की बुराई का कारण क्या है? सीधा सा मसला है। यदि हम चाहते हैं कि कोई आदमी ईमानदारी से काम करे तो उसको इतनी तनख्वाह देनी चाहिये कि उसका पेट भर जाय। जितनी उसको आवश्यकता है, उतना नहीं मिलता है तो टेम्पटेशन में आकर गड़बड़ी कर सकता है; फिर मैं उसे दोषी नहीं मानता चाहे सदन के सदस्य उसे दोषी समझें। मैं यह लोजिकल तुलना करता हूँ कि इस सदन के सदस्यों को जो मासिक २००) रुपया मिलता है जब कि उन सदस्यों को अधिकार है कि दूसरा पेशा कर सकते हैं और माननीय मन्त्रियों को इस सदन के सदस्य से पांच गुना दिया जाता है पर उनको यह अधिकार नहीं कि दूसरा पेशा कर सकें, वे चौबीसों घन्टों के लिये सरकार के नौकर हैं, तो फिर उनके पास दूसरा और जरिया क्या है?

जरूरियात का सवाल यह है कि एक आदमी छोटे लेवल पर होता है तो उसकी जरूरियात छोटी होती है और जब उस आदमी का लेवल बड़ा हो जाता है तो उसकी जरूरियात भी बड़ी हो जाती हैं। एक सदस्य मंत्री पद पर पहुँच गये और उनको बाजार से सब्जी मंगानी है तो मेरे जैसा व्यक्ति साइकिल पर नौकर को भेज कर सब्जी मंगा सकता है पर मंत्री महोदय के लिये बाजार से सब्जी लानी है तो सब्जी लाने के लिये मोटर जायगी। इसी प्रकार मैं मेरे बच्चों को किसी छोटी स्कूल में, पब्लिक स्कूल में पढ़ने के लिये भेज सकता हूं और मन्त्रीजी अगर पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ने के लिये भेजते हैं तो हम ही लोग कहेंगे कि मन्त्रीजी कितने कंजूस हैं जो अपने बच्चे को छोटी स्कूल में भेजते हैं तो, इस तरह उनको मजबूरन अपने बच्चों को बड़ी स्कूल में भेजना पड़ेगा। इसी तरह मेरे महमान गाड़ी पर जायेंगे तो मैं उन्हें रिक्शे में भेज सकता हूं और मन्त्रीजी के महमान गाड़ी पर जा रहे हैं तो वे रिक्शे में नहीं भेजे जा सकते, अगर मन्त्रीजी अपने महमानों को रिक्शे

[श्री लक्ष्मणसिंह]

में भेजते हैं तो लोग कहेंगे कि मन्त्रीजी बड़े कंजूस हैं जो अपने मेहमानों को रिक्शे में भेजते हैं और इस तरह उन्हें मजबूर होकर अपने मेहमानों को बजाय रिक्शे के मोटर में भेजना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ज्यों ज्यों स्तर बढ़ता जाता है त्यों त्यों आदमी की जरूरियात भी बढ़ती जाती हैं। इसका नतीजा यह देखा कि सदन में उन पर आरोप लगाये जाते हैं। किसी आदमी की बुराई दूर करने के सिद्धांत दो हैं, पहला सिद्धांत यह है कि उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाय और दूसरा यह है कि उसको दण्ड दिया जाय और दण्ड के द्वारा उसे सुधारा जाय। इस तरह दण्ड की नीति से सुधारने की नीति को मैं ठीक नहीं समझता।

दूसरी ओर यह भी कहा जा सकता है कि इनएफिशियेन्सी है हो नहीं। जहां तक ऑपोजिशन की ओर से मंत्रियों पर आरोप लगाये जाते हैं उसके लिये कहा जा सकता है कि अपोजिशन इज़ फोर दी सेक ओफ ऑपोजिशन। पर राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थक महोदय ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि अजमेर के मिल जाने से हमारे यहां का शासन सुदृढ़ और सुयोग्य बन जायगा; इससे माना जाता है कि यहां कुछ इनएफिशियेन्सी जरूर है।

अजमेर का प्रश्न आ गया है। मैं सरकार को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि वे अजमेर वालों के साथ हमदर्दी का बर्ताव कर रहे हैं, उनके साथ उनकी सहानुभूति है। पर याददानी के तौर पर कहना चाहता हूं कि सरकार इस सिद्धांत को न भूल जाय कि अजमेर वाले यहां आये हैं, अगर अजमेर स्टेट रहती तो शायद उन्हें नुकसान होता कि नहीं होता, पर अब अगर नुकसान हो तो उनको यह महसूस न हो कि अजमेर राज्य हमारा राजस्थान में मिल गया इसलिये हमें यह नुकसान उठाना पड़ा।

यह कहा जा सकता है कि जो ओफिशियेटिंग थे यह भूतपूर्व सरकार की गलती हो सकती है, पर उनकी तो गलती नहीं। मैं तो सरकार को यही याददानी दिलाता हूं कि सरकार इस सिद्धांत को स्वीकार करेगी। कोई हो वह इस बात को महसूस न करे कि विलीनीकरण के कारण हमें यह नुकसान उठाना पड़ रहा है, यह दिक्कत उठानी पड़ रही है।

दूसरे मंत्रियों की तनख्वाह के लिये यह भी कहा जा सकता है कि हमारी जो पार्टी है, उसको पूज्य गांधीजी ने बताया था कि मंत्री ५००) रुपयों से ज्यादा नहीं लें। उस सिद्धांत पर मैं नहीं जाता। पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम ५००) रुपयों की सीमा को लांघ गये हैं और १०००) रुपयों की सीमा तक पहुँच गये हैं तो हमें कम से कम मंत्रियों को उतना देना चाहिये जिससे उनकी जरूरियात पूरी हो जाय। इससे उनकी नेसेसिटी ओफ लाइफ है वह तो पूरी हो जायगी क्योंकि उनका खर्चा एक हजार रुपये मासिक में चलना असंभव सा मालूम होता है। उनको इतना वेतन तो मिलना चाहिये जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। मैंने देखा है कि कई

[श्री लक्ष्मणसिंह]

मन्त्रियों को चार-चार और पांच-पांच सदस्यों तक को अपने साथ रखना पड़ता है। उनकी बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है, अगर वे यह कह दें कि आप अपना इन्तजाम खुद कर लें। मेम्बर लोग यह समझते हैं कि हमारा खर्चा मन्त्रियों के माथे पड़ता है। मन्त्री जी का इस प्रकार स्तर बढ़ जाता है जब वे मन्त्री हो जाते हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—आप यह अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं ?

श्री लक्ष्मणसिंह—हां, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। मैं भी सदस्य हूं। अगर मैं दूसरा काम नहीं करूं तो २००) रु० में पूरा नहीं हो सकता। इसलिये मैं कहता हूँ कि अगर मन्त्री जी को यदि हमें इस स्तर पर देखना है कि वे इमानदारी से काम करें और उनको एक हजार रुपये ही दिये जावें तो मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि हजार रुपये उनके लिये काफी होंगे। मुझे तो अब भी ताज्जुब है कि उनके स्तर को देखते हुए वे किस तरह से अपना खर्चा निभाते हैं। यह कहना आसान है कि एक हजार रुपये मिलते हैं मगर वास्तव में देखा जावे तो यह उनके लिये पूरा नहीं है। उनको इससे ज्यादा की आवश्यकता होती है और वास्तव में जब उनकी जरूरत पूरी नहीं होती और जिस समय आवश्यकता उनकी पूरी नहीं होती तो उनके सामने यही प्रश्न होता है कि अब क्या किया जावे ? जिस स्थिति पर वे हैं उनके सामने कई टेम्पटेशन (temptation) के मौके आते हैं और वे ऐन केन प्रकारेण अपनी आवश्यकताओं को पूरी करें ऐसे अवसर उनके सामने रहते हैं। टेम्पटेशन उनके सामने आते हैं और इस प्रकार के टेम्पटेशनों से बचना हर एक आदमी के लिये आसान नहीं है। बहुत कम ऐसे आदमी होते हैं जो इस प्रकार के टेम्पटेशन्स से बच जाते हों। जब टेम्पटेशन होते हैं और आवश्यकता का तकाजा होता है और फिर पूरी करने का टेम्पटेशन सामने हो तो उस समय ह्यूमन वीकनेस (Human weakness) काम कर जाती है। यदि उस समय गल्ती हो जावे तो होना सम्भव है। इसलिये मैं तो उसे भारी अपराध नहीं कहूंगा। -

आवश्यकता है, टेम्पटेशन है और अवसर उपस्थित है। प्रत्येक मनुष्य से, चाहे वह किसी प्रस्ताव पर हो, यह आशा करना कि वह गांधी और सुभाष है, उचित मालूम नहीं होता।

अत: तनख्वाह बढ़ा कर हम उनकी आवश्यकता-पूर्ति कर दें, फिर भी सुधार नहीं मालूम होगा तो उचित और कड़े दण्ड की व्यवस्था हम कर सकेंगे। इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जावे।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं फिर अर्ज करूंगा कि मंत्रियों की तनख्वाह एक हजार की बजाय १५०० और उप-मंत्रियों की तनख्वाह ८०० से ज्यादा नहीं दी जावे।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे अजमेर की तरफ से आये हुए माननीय मित्र ने जो एमेंडमेंट रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ।

[श्री मानसिंह महार]

माननीय उपाध्यक्ष, मेरे मित्र ने जो तरीका रखा है वह शायद आज से १० वर्ष पुराना है और १० वर्ष पूर्व किसी हद तक वाजिब होता, यह वह तरीका किसी एसे इलाके में वाजिब होता जहां पर श्री मुरारजी भाई जैसे या श्री ढेबर भाई जैसे त्यागी और तपस्वी आदमी होते। लेकिन राजस्थान में उन्होंने ऐसी बात कहदी कि अगर हमारे मंत्रीजी की तनख्वाह और बढ़ा दी जावेगी तो आज विधान सभा के १८० सदस्यों में से ६० सदस्य जो मन्त्रियों की जगह के लिये उम्मीदवार हैं कि उनको भी मन्त्री बनाया जावे, फिर मैं समझता हूं कि १२० कांग्रेस में सदस्य हैं वे सारे के सारे इसके लिये उम्मीदवार हो जावेंगे और आपस में अभी भी झगड़े होने के कारण हाई कमान्ड परेशान है फिर तो न मालूम कहां तक उनको और परेशानी में डाल देंगे। मेरी राय में सबसे अच्छा तो यह होगा कि एम० एल० ए० और मन्त्रियों के वेतन में कोई फर्क नहीं होना चाहिये अगर यह फर्क नहीं रखा जावेगा तो कोई झगडा नहीं होगा और जो झगड़े हैं वे भी कम हो जावेंगे और राजस्थान को एक स्थाई मन्त्री-मण्डल मिलेगा और इसके बाद हम किसी तरह की रद्दोबदल नहीं देख सकेंगे। इसी ज्यादा तनख्वाह के कारण हमारे एक मित्र ने सिरोंज से इस्तीफा देकर वहां की जनता को लावारिस बना दिया। आज उन लोगों की आवाज विधान सभा में कोई उठाने वाला नहीं रहा। आगे आज मन्त्री को भी २००) मिलते तो वे ऐसी बात नहीं करते मगर उनको १०००) मिलते हैं इसलिये ऐसा किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो मैं इसके समर्थन में कहना चाहता हूं वह यह है कि यदि हमको हाई कमान्ड को सुखी देखना है तो यह तनख्वाह एम० एल० ए० और मन्त्रियों की, एक ही होनी चाहिये।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि मेरा यह पिछले पांच वर्षों का तजुर्बा है कि हमारे यहां पर जो भी मंत्री बनते हैं उनके, मैं नहीं जानता कि, अधिक तनख्वाह की वजह से या आराम की वजह से या दिन भर २४ घन्टे दिमागी काम करते रहते हैं इस वजह से, वे जरूर तन्दुरस्त हो जाते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रत्येक मंत्री के मन्त्री बनने के समय उसको तोल लेना चाहिये और उसके ब्लड प्रेशर का भी हर वक्त ध्यान रखना चाहिये वरना हमको दिक्कत का सामना करना न पड़ जाए। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अगर उनकी तनख्वाह एक हजार से १५००) रु० कर दी जावेगी तो वह वजन जो इस प्रकार से बढ़ा हुआ है और बढ़ जावेगा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जावेगा तो हमें बहुत मुश्किल आवेगी। इसलिये उनकी तनख्वाह बढ़ाने की जो बात है वह उचित नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर हमारे मन्त्री-मंडल में ऐसे व्यक्तियों को लाना है जो सर्वोदय के सिद्धान्तों को मानते हैं तो हमको मन्त्रियों की तनख्वाह विधान सभा के सदस्यों से कभी भी अधिक नहीं करनी चाहिये। मैं इस बात को मानता हूं कि मंत्री वही होना चाहिये जो श्री ढेबरभाई की तरह झोपड़ी में रहता हो। मैं पिछले वर्ष जब जामनगर गया था तो मैंने देखा कि ढेबर भाई एक सादी कुटी में रहते थे जब वे सौराष्ट्र के मुख्य मन्त्री थे। मैं समझता हूं कि उनकी इस चीज़ ने ही उनको आज इतना ऊंचा उठाया कि वे एक पार्ट सी स्टेट के चीफ-मिनिस्टर होते हुए आज ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के

[श्री मानसिंह महार]

प्रेसिडेन्ट हैं। इसलिये हमको भी इसी प्रकार के महानुभाव पैदा करने हैं जो इतने ऊंचे ओहदे पर पहुँचें और भारत में राजस्थान का नाम उज्जवल करें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह बहुत जरूरी है कि उनकी तनख्वाह २००) से अधिक नहीं की जावे।

एक जो खास तरीका है, माननीय उपाध्यक्ष, कि जो मेरे मित्र वकालत करते हैं वे ५००) ७००) कमा लेते हैं। अगर यह तनख्वाह कम करते हैं तो वकील लोग अपनी वकालत छोड़ कर मन्त्री पद को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर यह बात हो जावेगी तो उपाध्यक्ष महोदय, जितनी सरकार में गड़बड़ियें आती हैं, होती है जो इसी वजह से होती हैं कि वकील लोग जो अपना दिमाग शुरू से निर्दोषी को दोषी और दोषी को निर्दोषी ठहराने का कार्य करते हैं वही कार्य वे लोग गवर्नमेंट में करने लग जाते हैं। इसलिये गवर्नमेंट में वकीलों का जब अभाव होगा तो मैं यह कहूंगा कि शासन अच्छा चलेगा। एक बात और यह है कि मंत्रियों को कम तनख्वाह देनी चाहिये वह इस वजह से कि इससे हमको यह लाभ होगा कि हमारे वर्तमान और भूतपूर्व मिनिस्टर हैं उनमें वकीलों का हमेशा से प्रीडोमीनेशन रहा है वह खत्म हो जावेगा।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष, मेरे साबर से आये हुए मित्र ने यह रखा कि हम अगर मंत्रियों की तनख्वाह अधिक करेंगे तो यह कहने की गुंजायश नहीं रहेगी कि फलां मंत्री ने अपने नाबालिग पुत्र के नाम जमीन ले ली या फलां मंत्री ने शराब के ठेके में पैसे खा लिये या और किसी तरह से पैदा कर लिये। जो ईमानदार हैं चाहे हजार रुपये उनको मिलते हों या उनको मिलते हों या उनको ५०० रु० मिलते हों, फिर भी ईमानदार तो ईमानदार ही रहेगा। हमारे होम मिनिस्टर हैं उनको आज कौन कहता है कि ईमानदार नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर—चिलम क्यों भर रहे हो ?

श्री मानसिंह महार—चिलम भरना नहीं है। सच को सच कहना है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं किसी के लिये व्यक्तिगत बात नहीं कहता। यदि उनका हम १५०० रु० ही क्या ५ हजार रुपये माहवार भी तनख्वाह कर देंगे तो भी जंगलात के ठेके में हजार-हजार रुपये जो ठेकों में बन्धे हैं राजस्थान में, आपसे मैं यह निवेदन करूंगा कि मन्त्री जी क्या दूसरे लोग भी जो एम. एल. एज़. हैं करते हैं और पैसा लेते हैं। पिछले वर्ष उदयपुर में ठेका हुआ था तो उदयपुर से आनेवाले माननीय मित्र ने एक लैन्ड रोवर ही निकाली। कोई किसी सीमेन्ट फेक्ट्री से लेता है तो कोई लखेरी से लेता है और कोई सवाई-माधोपुर से लेता है तो कोई ट्रान्सपोर्ट में दलाली करते हैं। जब २०० रु० पाने वाले दूसरे जरिये अपनाते हैं तो मन्त्री होने पर उनका खर्चा बढ़ जाता है। जैसी कि मेरे एक मित्र ने यह दलील दी कि मन्त्रियों का स्तर ऊंचा उठ जाता है तो मैं तो यह निवेदन करूंगा कि उनके लिए जो आमदनी के रेवेन्यूज़ हैं वह भी हम से कहीं अधिक खुले

[श्री मानसिंह महार]

जाते हैं। हमारे लिए छुटपुट जरिया रहता है तो उनके लिए बहुत बड़ा जरिया हो जाता है। यहां राजस्थान में आप यह बात देखेंगे कि राजस्थान बनने के बाद जितने भी मन्त्री बने हैं सब ने अपना एक एक आलीशान बंगला या कोठी बनवा लिया है। अगर इसके बाद भी उनकी तनख्वाहें बढ़ाने का जिक्र मेरे मित्र करते हैं तो मैं अब और क्या निवेदन करूं?

अब इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द उप-मंत्रियों के लिए भी कह दूं। मेरे एक मित्र ने इन उपमंत्रियों के लिए ८०० से बढ़ा कर १२०० कर देने के लिए कहा है, इसके बारे में जरा दो शब्द कहूंगा। मैं यह समझता हूं, उपाध्यक्ष जी, कि उप-मंत्री की जो पोस्ट है वह तो होनी ही नहीं चाहिए और अगर उप-मंत्री बनाने ही हैं तो एक समय राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने कहा था कि उप-मंत्री तो हम एक प्रकार से ट्रेनिंग देने के लिए बनाते हैं ताकि वह उप-मंत्री हो कर आगे जा कर फुलफ्लेज्ड मंत्री बनें, उनको कुछ मंत्री के काम का तजुर्बा हो तो इस ट्रेनिंग पीरियड में जो कि उपमंत्री को मंत्री बनाने के लिए दी जाती है इस पीरियड के बारे में तो मैं कहूंगा कि उनको दो सौ रुपया मिले वह भी अधिक है। उनको एक प्रकार की सुविधा दी जाती है कि उनको मंत्रीपद की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह आगे चलकर मंत्री बन सकें तो उनकी तो मंत्री जितनी भी प्रतिष्ठा नहीं है तो इस कारण तो उनको यह चाहिए कि वह बंगले में न रह कर वह होस्टल का एक कमरा ले कर रहें। मंत्रियों के लिए तो फिर भी बंगले की बात वाजिब है लेकिन उप-मंत्रियों के लिए तो यह बिलकुल भी शोभा नहीं देता। मैं आपको एक बात और बताऊं कि हमारे जो उप-मंत्री हैं वह तो दफ्तर में दस पांच दिन से अधिक ही नहीं रहते। वह अक्सर दौरे पर चले जाया करते हैं। हमारे यहां तीन उप-मंत्री हैं और तीनों का रिकार्ड उठाकर देख लिया जाये...

एक **माननीय सदस्य**—तीन नहीं चार उपमंत्री हैं।

श्री मानसिंह महार—हां चार हैं। तो इन चारों का अगर रिकार्ड उठा कर देखा जाये तो मालूम होगा कि वह कभी भी पांच दिन से अधिक जयपुर में नहीं रहते हैं। अगर आप उनका टूर प्रोग्राम देख लें तो आपको मालूम होगा कि जो मंत्री जोधपुर के हैं वह मंत्री अथवा उप-मंत्री जोधपुर की ओर ही अपना टूर करेंगे और जो जिस इलाके का है वह उसी इलाके में अक्सर टूर पर जाता है। इसी प्रकार अलवर और राजगढ़ में भी टूर मंत्री महोदय के लगते रहेंगे।

(घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा सा समय और दिया जाय। तो उपाध्यक्ष जी, मैं यह अर्ज कर रहा था कि उप-मंत्रियों के लिए जो यह सुझाव दिया गया है कि उनकी तनख्वाह ८०० रुपये से बढ़ा कर १२०० कर दिया जाय और मंत्रियों की तनख्वाहें १००० से १५०० कर दी जायें तो यह तो, उपाध्यक्ष जी, बहुत ही अनुचित बात है। यह, उपाध्यक्ष जी, ८०० से बढ़ाकर १२००

[श्री मानसिंह महार]

करने की जो बात है यह तो इससे भी अधिक अनुचित बात है कि मंत्रियों के १००० से बढ़ाकर १५८० कर दिये जायें। उपाध्यक्ष जी, जब कि विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए जो इस प्रकार का कोई प्रोवीज़न नहीं है और हम इन मंत्रियों और उप-मंत्रियों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से भी ऊंचा उठायें यह तो नामुमकिन बात है मैं तो यह कहूँगा कि हमारे विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और उप-मंत्रियों को इन मंत्रियों से एक एक हजार अधिक मिलना चाहिए। मैं तो यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे मंत्रियों के पास जब कि खाने के कई तरीके हैं तो वहां हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए इस प्रकार के कोई तरीके नहीं हैं। वह इस चीज के अब्व एप्रोच होते हैं कि उनको घर बैठे ही कोई कोन्ट्रेक्टर या दूसरा हजार पन्द्रह सौ दे जावे। वह अपना पहले का सारा काम छोड़कर यहीं काम करते हैं, उनके लिए तो खाने का कोई जरिया ही नहीं है। लेकिन मंत्रियों और उप-मंत्रियों के लिये तो सारा मैदान ही साफ है। वह चाहे कितना खायें उनको पच जाता है। मेरे एक मित्र ने मुझे सार्वजनिक का मतलब यह बताया कि जो चारों तरफ से खाये जिधर चला जाये उधर से ही आने दो। तो माननीय मंत्री मेरे कहने का बुरा न मानें खाने में सभी मतलब आ जाते हैं। ज्यादा खाने का मतलब रोटी भी ज्यादा खाने से हो जाता है। मुझे ताज्जुब होता है कि इन लोगों के मंत्री व उप-मंत्री भी होने के बाद कैसे ज्यादा खाने लग जाते हैं? जहां जाते हैं वहीं खाते रहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे मित्रों को भूख ज्यादा क्यों लगने लग जाती है? क्या जाने अधिक खा जाने से उनको अजीर्ण भी नहीं होता है? इसके लिए मैं उनको बधाई तो जरूर देता हूं लेकिन बधाई के साथ ही साथ एक बात और कहूंगा कि बाद में जरा तकलीफ भी होती है और कई बार तो दूबला भी हो जाना पड़ता है। और यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मेड़ता और डीड़वाना जैसे मित्र तो दो सौ ही पावें और यह मन्त्री लोग पन्द्रह सौ पायें, उन जैसे दिमागों को तो दो सौ ही मिलें और इनको इतने मिलें तो यह अन्याय हो जायगा। अगर आपको तनख्वाह ही बढ़ानी है तो ऐसे लोगों की तनख्वाहें बढायी जानी चाहिए जो कि सारी पार्टी को गाइड करते हैं, अगर इनको उप-मन्त्रियों से भी कम तनख्वाह मिलती है तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं होगी। तो यह कुछ शब्द कह कर मैं सदन के माननीय सदस्यों से आशा करूंगा कि वह अमेन्डमेन्ट का विरोध करेंगे। मेरे मित्र जो अजमेर से आये थे उन्होंने सोचा था कि तनख्वाह बढ़ाने के बाद वह लोग ठीक प्रकार से काम करने लग जायेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जायेगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो आदमी की योग्यता पर चलता है एडमिनिस्ट्रेशन कोई तनख्वाह पर थोड़े ही चलता है। चाहे किसी भी आदमी को आप तनख्वाह दस हजार दे दीजिये लेकिन अगर उसमें योग्यता नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो अच्छी योग्यता वाला आदमी चाहिये। अगर आदमी योग्यता वाला हुआ तो कम तनख्वाह पाने वाला आदमी भी अच्छा काम करके दिखा सकेगा। इसलिये मेरे मित्र जो यह समझते हैं कि तनख्वाह बढ़ाने से हमारे यहां के मंत्रियों के खिलाफ जो शिकायतें हैं वह मिट जायेंगी यह बिलकुल गलत बात हैं, इस प्रकार की बात कभी नहीं हो सकती। तनख्वाह बढ़ाने से दूसरी बात यह हो जायगी कि हमारे जो पूज्य बापू जी के सिद्धान्त हैं उनकी हत्या हो जायगी। हालांकि उनकी तो पहले ही हत्या हो गई जबकि इनकी तनख्वाहें पांच सौ से एक हजार की गई।

Page No 89

[श्री मानसिंह महार]

अगर आप अब फिर एक हजार से पन्द्रह सौ कर देंगे तो उनके सिद्धान्तों का बिलकुल ही खात्मा हो जायगा। इसलिए पूज्य बापू जी के सिद्धान्तों के रूप से मैं यह मानता हूं कि यह बात नहीं होनी चाहिए और अब तो जबकि समाजवादी ढांचा कांग्रेस ने अपना लिया तो यह तो होना ही नहीं चाहिए। मैं तो यह कहूंगा कि राजस्थान में मंत्री और उप-मंत्री होने के बाद किसी ने तो बंगले बनवा लिए हैं और किसी ने और दूसरे काम करा लिए हैं। तो माननीय मंत्रियों ने जो बंगले बनवा लिए हैं उनका भी बटवारा विधान सभा के सदस्यों के अन्दर कर देना चाहिये ताकि हमारे होस्टल में जो जगह की कमी पड़ रही है वह भी पूरी हो जाए और एक एक मेम्बर को एक एक कमरा दे दिया जाये। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि हमें इस समूचे ही बिल का विरोध करना चाहिए। इन हजार आठ सौ रूपये के अलावा ढ़ाई सौ रुपया मकान का और ढ़ाई सौ रुपया कार के अलाउन्स के रूप में मिलता है इस तरह से एक मिनिस्टर का वेतन १५०० रुपये हो जाता है। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, जो मोटरें सरकार की ओर से उपयोग के लिये मिलती है उनका बहुत दुरुपयोग होता है, जिस मोटर में चार व्यक्तियों के बैठने की जगह है उसमें आठ आठ और दस दस आदमियों को बैठाया जाता है। यह आप सदन के खत्म होने पर नीचे जाकर देख सकते हैं इस तरह से सरकारी गाड़ियों का सत्यानाश कर दिया जाता है। मेरे मित्र ने जो सुझाव दिया है सब्जी लाने के लिये भी मोटर को भेजना चाहिये मैं तो कहूंगा और यह कह सकता हूँ कि आपके सुझाव देने से पहले ही मोटरों पर कोयला तो लदकर आता है आप यदि किसी प्रकार का सुझाव दें तो सोच समझ कर दें। अब तो मंत्रियों के घर में जो भी कोई काम होगा मोटरों के जरिये ही होगा। अब एक बात नई देखने में आयी है कि बाहर यदि किसी मिनिस्टर को जाना होता है तो पच्चीस तीस हजार की केडोलोक गाड़ियों में बैठकर जाते हैं। हमें बडा अफसोस होता है एक तरफ तो हमारी सरकार समाजवाद समाज की रचना का नारा लगाती है दूसरी ओर सरकार चलाने वाले तीस तीस हजार की मोटरों में बैठकर दिल्ली, जोधपुर, इधर उधर जाया करते हैं। ये बडी गाडियां सिर्फ पांच सात ही हैं। मुखियाजी को भी मैंने उसमें बैठे हुए देखा है. जोधपुर से आये हुए डिप्टी मिनिस्टर साहब के साथ जाते हुए एक दो बार उनके साथ बैठे हुए देखा है। मिनिस्टरों के साथ वे भी अपने काम से उनके साथ चले जाते हैं, नहीं जायेंगे तो कौन जायेंगे वे ही तो उनके परवरदिगार हैं। इसलिये मैं सदन के सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस सारे के सारे कानून को पारित नहीं करना चाहिये। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, आज कल मिनिस्टरों से मिलने के लिये भी परमिट हासिल करना पड़ता है, बेचारा कोई गांव का गांवडेल आदमी आये तो वह तो वहां तक अपने दुख-दर्द सुनाने के लिये उन तक पहुँच ही नहीं सकता। इसके लिये यह नियम बना हुआ है कि पहले मिलने की इत्तिला दी जानी चाहिये, राजाओं के राज में भी यह बातें नहीं थी। जिन राजाओं को आज निरकुंश कहा जाता है उनसे भी ज्यादा निरकुंशता आज हमारे मिनिस्टर लोग बरत रहे हैं। अगर किसी को मिनिस्टर महोदय से मिलने को जाना होता है तो पहले टेलीफोन पर आज्ञा लेना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद यदि उनके यहां आज्ञा मिल जाय, फिर

[श्री मानसिंह महार]

पास बनता है। हमने तो, उपाध्यक्ष महोदय, आज तक कपड़े और अनाज पर ही कन्ट्रोल सुना था और उन पर परमिट लिया जाता था किन्तु आज तो मन्त्री लोग भी इस काबिल हो गये कि उनके लिए भी परमिट हासिल करना पड़ता है। अगर परमिट नहीं लेते हैं तो मन्त्रियों से मुलाकात नहीं हो सकती। एम० एल० एज़० की जबान बन्द करने के लिए एम० एल० एज़० को तो जाने दिया जाता है। यह मेरा खुद का अनुभव है, उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी मैं सेक्रेटेरिएट जाता हूं तो मुझे यह मालूम है कि सिपाही एक दफा तो रोक देता है किन्तु यदि जानने वाला सिपाही हो गया तो वह जान लेता है कि यह एम० एल० ए० है जाने दिया जाता है। जैसे हम तो एक प्रकार से भगवान होते हैं। लेकिन जिन जनता-जनार्दन की कृपा से हम यहां आये हैं उनको वहां जाने नहीं दिया जाता। मन्त्रियों को सोचना चाहिए कि पढ़े-लिखे लोग तो उनसे मिलने के लिए परमिट हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर का गांवडेल आदमी आये जो परमिट प्रणाली में नहीं समझता वह बेचारा वहां जाता है और कहता है 'म्हने म्हारों दुःख दर्द कहणो है' तो उसको कहा जाता है कि क्या तुम्हारे दुख-दर्द है। वह बेचारा उनको बताना नहीं चाहता मंत्रियों को ही बताना चाहता है, वैसी हालत में वह मन्त्रियों तक पहुँच ही नहीं सकता। इस तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी दिक्कतें होती हैं गांव वालों को मन्त्री महोदयों से मिलने के लिए। आज मन्त्रियों पर एक प्रकार से कन्ट्रोल हो गया है वह कन्ट्रोल जब ही टूटेगा जब कि उन लोगों की तनख्वाह बन्द कर दी जाय। हजार रुपए पाने पर इन लोगों के दिमाग आगे से पीछे हो गया ये लोग अपने को मनुष्यता से भी ऊपर समझने लग गए, अगर इनकी तनख्वाह बन्द हो जाती है तो ये लोग नीचे उतर कर हमारे से खुल कर बातें कर सकते हैं। इसलिये मेरा सदन के समस्त सदस्यों से निवेदन है कि इस बिल को ही ठुकरा देना चाहिये और ठुकरा कर यह तय करना चाहिये मंत्री लोग हमारे बनाये हुए हैं, हमारे स्तर के हैं, जो एक सदस्य को वेतन मिलता है वही उनको भी मिलना चाहिये। इससे राजस्थान का भला होगा और अन्य प्रान्तों के सामने हम एक प्रकार का उदाहरण रख सकेंगे। और मंत्री लोग भी अपनी हैसीयत महसूस कर पायेंगें। आज तो वे सोचते हैं हमारे पास मोटर है और उस पर झंडा लगा हुआ है। ऐसी भी मोटर देखी है जो रात दिन झंडा लगा हुआ ही रखते हैं बन्द भी नहीं करते ऐसे मंत्रीयों के अलावा एकाध माननीय सदस्य भी हैं जिनके मोटर पर झंडा हमेशा ही खुला रहता है और जिनकी लाल नंबर की प्लेट है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा इस सदन के सदस्यों से कि वे इस बिल को कभी पारित नहीं करें। इसका विरोध कर हमें मंत्रियों को बनाना चाहिये वे हमारे ही अंग हैं, इसलिये उन्हें उतने ही पैसे मिलने चाहिये जितने हमें मिल रहे हैं और अपना समय देकर काम करना चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा— उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ इस बिल के सम्बन्ध में बहुत ही असंगत बातें कही गई', जिनका जवाब देने की मुझे आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, इस बिल पर जो अमेन्डमेन्ट रखा गया उसका मैं विरोध करता हूँ वह नहीं माना जाना चाहिये। मैं उम्मीद करता हूँ यह बिल जैसा सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है वैसा ही पास कर दिया जाय।

श्री लक्ष्मणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन रखा था उसके विरोध में बोलते हुए माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं, उसका स्पष्टीकरण करना जरूरी हो जाता है। सदन के सम्मुख माननीय सदस्य ने बोलते हुए बतलाया था कि मैं यहां के कन्वेन्शन से वाकफियत नहीं रखता था इसलिए यह अमेंडमेंट रख दिया और यह भी कहा गया कि डिप्टी-मिनिस्टर्स को जो लिया जाता है वे केवल ट्रेनिंग पीरियड के लिए जाते हैं और उतने ही काल तक उनको रखा जाता है। अगर मुझे यह पहले पता होता कि डिप्टीमि-निस्टर्स को केवल ट्रेनिंग पीरियड के लिए रखा जाता है तो मैं अपना संशोधन पेश ही नहीं करता।

दूसरी बात यह भी बताई गई कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अर्थात् अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा तनख्वाह बढ़ाने से कोई काम नहीं चलेगा। वेतन का कोई सवाल नहीं, यह तो आदमी की योग्यता और अच्छाई पर निर्भर है। उन्होंने यह भी कहा कि मेड़ता के सदस्य जो ट्रेजरी बेन्चेज़ के बेन्स हैं केवल २००) रु० ही मासिक पाते हैं। श्रीमन्, मेरा निवेदन था कि जब हम अच्छे लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में लाना चाहते हैं तो हमें अच्छी सेलरी उनको देनी चाहिये ताकि उनका ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन की ओर अच्छी तरह से लग सके। यदि अच्छी तनख्वाह हम उनको नहीं देते हैं तो योग्य आदमी आयेंगे नहीं। अगर हम वेतन अच्छा नहीं देते हैं और योग्य आदमी भी रखना चाहते हैं तो उसका मतलब यह होगा कि योग्य आदमी आयेंगे और बेईमानी करेंगे। इसलिए मेरा सुझाव यह था कि अगर योग्य आदमियों को शासन में लाना है तो अच्छा वेतन स्तर होना चाहिये। माननीय सदस्य ने जो जानकारी मुझे दी कि यहां के मन्त्री नेहरू, ढेबर और टंडन की तरह त्यागी और तपस्वी नहीं हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और ऐसी स्थिति में मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि मुझे अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री लक्ष्मणसिंह को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री लक्ष्मणसिंह—I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लाज़ ३ विधेयक का अंग बना।

[श्री उपाध्यक्ष]

खण्ड ४, ५, ६, व ७

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४,५,६ और ७ स्वीकार किये जांय ।

(स्वीकृत)

खण्ड ४,५,६ और ७ विधेयक के अंग बने ।

(विराम)

क्लॉज़ ८

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ८ में अमेंडमेंट इस बात का है कि राजस्थान मिनिस्टर्स सेलरी बिल, १९५६ को रिपील करने के बारे में जिसके लिये रूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं। जब तक दूसरे रूल्स नहीं बन जाते वे ही चालू रहेंगे। क्लॉज़ ८ में यह सारा संशोधन सबस्टीट्यूट करने से यह मतलब हल हो जायगा। जो इस तरह से है :

"8. Repeal and Savings.—(1) The Rajasthan Ministers Salaries Ordinance, 1956 (Rajasthan Ordinance 11 of 1956) is hereby repealed.

(2) Such repeal shall not affect the rules and orders made or deemed to be made under the Rajasthan Ministers Salaries Act, 1951 (Rajasthan Act XIX of 1951) in force in the pre-reorganisation State of Rajasthan and the said Rules and orders as in force immediately before the appointed day shall, until varied or superseded by competent authority, be deemed to have been made under this Act and shall as such continue to be in force as from the appointed day throughout the State."

This is only consequential. और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बृजसुन्दर शर्मा ने प्रस्तुत किया है, खण्ड ८ पर, उसे स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

Page No 93

[श्री उपाध्यक्ष]

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८, एज़ अमेण्डेड, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ १, टाइटल व प्रीएम्बल

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, टाइटल और प्रीएम्बल स्वीकार किये जावें ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, टाइटिल और प्रीएम्बल विधेयक के अंग बने ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज़ बिल, १६५६ पारित किया जाये ।

(स्वीकृत)

राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज़ बिल, १६५६ पारित हुआ ।

राजस्थान राजकीय भाषा विधेयक, १६५६

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान ऑफिशियल लेन्गुएज बिल, १६५६ को विचारार्थ लिया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि राजस्थान ऑफिशियल लेन्गवेज बिल, १९५६ विचारार्थ लिया जावे ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान ऑफिशियल लेन्गवेज बिल, १९५६ पारित किया जावे ।

(स्वीकृत)

राजस्थान ऑफिशियल लेन्गवेज बिल, १९५६ पारित हुआ ।

राजस्थान सिविल कोर्ट्स लॉज़ (एक्सटेन्शन) बिल, १९५६
(विचारार्थ एवं पारित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान सिविल कोर्ट्स लॉज़ (एक्सटेन्शन) बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल कोर्ट्स लॉज़ (एक्सटेन्शन) बिल, १९५६ विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

बिल विचारार्थ लिया गया ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल कोर्ट्स लाज़ (एक्सटेन्शन बिल, १९५६ भी पारित किया जाए ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ ।

राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेण्ट एण्ड एविक्शन) अमेन्डमेन्ट बिल, १९५६

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) अमेंडमेंट बिल, १९५६ विचारार्थ लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि दी राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) अमेंडमेंट बिल, १९५६ विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बिल को पारित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) अमेंडमेंट बिल, १९५६ पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) अमेंडमेंट बिल, १९५६ पारित हुआ।

श्री जवानसिंह—I think no better co-operation could have been possible from the Opposition side.

श्री मथुरादास माथुर—Thank you very much.

श्री उपाध्यक्ष—एक प्राइवेट मेम्बर्स डे का सवाल है हमारे सामने। तो वह बजाय १४ के कल दिनांक १२ को लिया जावेगा और कल ही प्राइवेट मेम्बर्स डे माना जावेगा और इस सिलसिले में जो बिल प्रस्ताव आदि उस रोज लिए जाने वाले थे वे कल की तारीख में ले लिए जावेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा--यह तो सर्कुलेट भी हो गया है साहब।

श्री उपाध्यक्ष—तो कल प्राइवेट मेम्बर्स डे रहेगा और आज हम डिसपर्स होते हैं।

I adjourn the House till tomorrow at 11. A. M.

(सदन की कार्यवाही मध्यान्ह ३–२८ बजे दिनांक १२ दिसम्बर, १९५६ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक, ११ दिसम्बर १९५६

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६१ का उत्तर देखिये)

अध्यापकों व कर्मचारियों की सूची :

१.	श्री ईश्वरसिंह	एम.ए.	
२.	श्री भागीरथमल	बी.ए.	
३.	श्री वेदपालसिंह	बी.ए.	
४.	श्री भूपालसिंह	ए.बी.एम.	
५.	श्री श्यामसुन्दर भटनागर	इन्टर	
६.	श्री फूलसिंह	मेट्रिक	
७.	श्री देवदत्त शर्मा	लोअर मिडिल	
८.	श्री रेखसिंह	हिसाब लेखक	(पार्ट टाइम वर्कर ।)

भृत्यगण

कजोड़मल

नवम्बर, ५४ से नवम्बर, ५६ तक त्याग पत्र देने वाले अध्यापकों की सूची

	नाम अध्यापक	कार्य-काल	त्यागपत्र का कारण	वेतन चुकाना
१.	श्री सुखदेवसिंह	२१-७-५४ से ५-८-५५	अन्यत्र नियुक्ति हेतु	समय पर चुका दिया गया ।
२.	श्री रेखसिंह	३-११-५३ से ३१-८-५५	अन्यत्र नियुक्ति हेतु	,, ,,
३.	श्री सुखदेव	४-११-५३ से १८-११-५५	नहर पर ठेकेदार बनने हेतु	,,
४.	श्री झाबरसिंह	१२-९-५५ से १६-११-५५	सरकारी स्कूल में नियुक्ति हेतु ।	
५.	श्री महादेव वर्मा	१६-९-५५ से ३१-८-५६	व्यक्तिगत कार्य हेतु	,, ,,
६.	श्री फूलसिंह	३-११-५३ से २०-११-५६	अन्यत्र नियुक्ति हेतु	,, ,,
७.	श्री ब्रजराजसिंह	१-६-५५ से २१-११-५६	स्वेच्छा से	,, ,,

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न-संख्या ६५ का उत्तर देखिये)

Statement of tution fees charged in Rajasthan & Ajmer.

Class		Rajasthan	Ajmer.
1.		Free	Free
2.		Free	Free
3.		Free	Free
4.		Free	Free
5.		Free	Free
6		-/8/-	2/12
		(Alwar only)	
		0-12-0	4/-
7.		(Alwar only)	
8.		1/8-	4/-
		(Jodhpur only)	
		&	
		-12/-	
		(Alwar only)	
9.		1-/8	4/8
10.		1-8-0	4/8
Inter	(Arts)	3/-	8/-
	(Science)	3/8	8/-
	(Commerce)	3/8	8/
Degree	(Arts)	4/-	10/-
	(Science)	4/8	10/-
	(Commerce)	4/-	10/-
Post-Graduate		8/-	12/-
LL.B.		10/-	12/-.
Ph.D.		10/	100/-P.A. in two instalments.

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ७२ का उत्तर देखिये)

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड, केकड़ी में ३० नवम्बर, १९५६ तक हुए कार्य की प्रगति का विवरण :—

१. कृषि एवम् सिंचाई

अच्छी किस्म के बीजों का वितरण	मण	७६०३
खाद वितरण	,,	१७२५
अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र	एकड़	६२५
पुनर्उद्धारित भूमि	,,	१३२१
प्रदर्शन खेत बनाए गये	संख्या	३५३
उन्नत औजारों और खाद के प्रदर्शन	,,	१४११
फलों के वृक्ष लगाये गये	एकड़	१७

२. पशु पालन

कुंजी ग्राम केन्द्र	संख्या	४
कृत्रिम प्रजनन केन्द्र	संख्या	१
बैल बधिया किये गये	,,	२२५२
उन्नत नस्ल के मुर्गे मुर्गीयां	,,	२५०
जानवरोंके टीका लगाया गया	,,	३३५८८
जानवरों का उपचार हुआ	,,	१२३०५

३. स्वास्थ्य एवम् सफाई

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	१
चलस्वास्थ्य वाहन द्वारा मनुष्यों का उपचार	,,	८६००
नालियां बनाई गई	गज	२३३
दवाइयों के बक्स वितरित किये गये	संख्या	६७
दाइयों के प्रशिक्षण क्षेत्र	,,	४

४. समाज शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	संख्या	२१९
प्रौढ़ शिक्षित किये गये	,,	३२६०

प्रशिक्षार्थी प्रौढ़	संख्या	२५००
किसान-मंडल	,,	१६
सामुहिक मनोरंजन का आयोजन हुआ	,,	२१३२
ग्राम मुखिया प्रशिक्षित किये गये	,,	२२३
मनोरंजन केन्द्र स्थापित हुए	,,	११

५. निर्माण कार्य

स्कूल भवन	संख्या	४६
प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र	,,	१
नये स्वच्छ कुओं का निर्माण	,,	२७
पुराने कुओं का पुनर्उद्धार	,,	२७
सड़क अर्धपक्की	मील	६
कच्चा	,,	२०
डिस्पेन्सरी	संख्य	४
गोदाम	,,	१

६. सहकारिता

सहकारी समितियों की कुल संख्या	११४
नये सदस्य	१३८९

७. गृह-उद्योग

दरी केन्द्र	संख्या	१
महिला हस्त-कौशल केन्द्र	,,	२२
प्रशिक्षित महिलाएं	,,	४४४
फ्लाई शटल हाथ कर्घे लगाये गये	,,	१६७

परिशिष्ट ४

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न

१ (२५) (एल०एस०एम) श्री सन्तोषसिंह कछवाहा, एम.एल.ए. (१३६) —क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या गवर्नमेंन्ट प्रेसों के कर्मचारियों में बढते हुए असन्तोष के कारणों की सरकार द्वारा जांच की गई हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या गवर्नमेंन्ट के पास सारे ही प्रेसों में निकलने वाले कामों का आंकड़ा है ?

(३) क्या हर प्रेस में हर एक मशीन के अनुपात से कितना कितना काम प्रत्येक प्रेस को निकालना चाहिये उसका कोई लेखा, और कितना कितना काम हर एक मशीन से इस समय निकल रहा है उसका ब्योरा है ? यदि है, तो वह पूरा पूरा सदन में प्रस्तुत किया जावे।

(४) क्या यह सच है कि प्रेसों में मशीन का काम न जानने वाले भी मशीन सेक्शन में फिट किये गये हैं, जबकि काम वे दूसरे सेक्शन में कर रहे हैं और मशीन का काम जानने वाले बाईडिंग आदि सेक्शन में फिट किये गये हैं ?

(५) क्या यह सच है कि सैंकड़ों पौंड टाइप जो कि सरकार ने खरीदा है वह पुराने होने की वजह से बेकार पड़ा हुआ है ? अगर हां, तो क्यों ?

(उत्तर अनुपलब्ध)

शुद्धि—पत्र

कार्य-विवरण दिनांक ११ दिसम्बर, १९५६

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
५७१	अन्तिम से दूसरी पंक्ति	श्री बृजमुन्दर शमा	श्री बृजसुन्दर शर्मा
५७३	८	श्रीमती नारायण देवी	श्रीमती नारायणी देवी
५७६	१०	मद्दिला कल्याण खंड	महिला कल्याण खंड
५७६	१५	Not nccessarily	Not necessarily
६०१	२३	I Admit	I admit
६४२	२	[श्री बृजमुन्दर शमा]	[श्री बृजमुन्दर शर्मा]